Monday, 07 May, 1962

लोक-सभा

वाद-विवाद

तृतीय माला

खण्ड २, १९६२/१८८४ (शक)

[३० अप्रैल से ११ मई, १९६२/१० से २१ वैशाख, १८८४ (शक)]

3rd Lok Sabha

Chamber Fumig… 18.10.73

Preservation Unit. 14-5-92
Fumigated On 3-12-83
Parliament Library

पहला सत्र, १९६२/१८८४ (शक)

(खण्ड २ में अंक ११ से २० तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

विषय-सूची

[तृतीय माला खंड २, अंक ११ से २०—३० अप्रैल से ११ मई, १९६२/१० से २१ वैशाख, १८८४ (शक)]

अंक ११—सोमवार, ३० अप्रैल, १९६२/१० वैशाख, १८८४ (शक) पृष्ठ

सदस्यों द्वारा शपथ ग्रहण ६६९

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २६९, २७०, २७२, २८३, २७३ से २८१, २८४ से २८६ और २८८ से २९० ६६९—९४

प्रश्नों के लिखित उत्तर —

तारांकित प्रश्न संख्या २७१, २८२, २८७ और २९१ से २९८ ६९४—९८

अतारांकित प्रश्न संख्या २५० से ३२६ और ३२८ से ३६२ ६९८—७४८

स्थगन प्रस्ताव के बारे में ७४८

आवेलम्बनीय लोक महत्व के विषयों की ओर ध्यान दिलाना ७४८—५१

१. आन्ध्र प्रदेश में बिजली की कमी . . ७४९—५१

२. पाकिस्तान उच्च आयोग द्वारा एक ऐसे मानचित्र का परिचालन जिसमें भारत के कुछ राज्य क्षेत्रों को पाकिस्तान का भाग दिखाया गया है ७५१

३. पूर्वी पाकिस्तान की सीमा पर मुसलमानों का कथित जमा होना ७५१

समितियों के लिये निर्वाचन . ७५१–५२

१. भारतीय केन्द्रीय पटसन समिति . ७५१

२. भारतीय केन्द्रीय तिलहन समिति ७५२

राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम विधेयक—पुरस्थापित ७५२

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रस्ताव . ७५३

दैनिक संक्षेपिका . ७९०—९६

अंक १२—मंगलवार, १ मई, १९६२/११ वैशाख, १८८४ (शक)

सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण . ७९७

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २९९, ३०१, ३०२, ३०४ से ३०६, ३०८, ३११ से ३१५ और ३१७ से ३१९ . . ७९७—८२२

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ३००, ३०३, ३०७, ३०९, ३१०, ३१६, ३२० से ३३६ . . . . . ८२२—३३

अतारांकित प्रश्न संख्या ३६३ से ४१२, ४१४ से ४२२, ४२४ से ४३५, ४३७ से ४४८, ४५० और ४५१ ८३३—७३

प्रक्रिया के बारे में ८७३–७४

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषयों की ओर ध्यान दिलाना . ८७४—७८

१. बिहार को कोयले का अपर्याप्त संभरण . . ८७४—७५

२. लाल किले के समीप शरणार्थियों की झोपड़ियों को आग लगना ८७५–७८

३. सशस्त्र नागा विद्रोहियों के एक दल का पूर्व पाकिस्तान की ओर जाने का समाचार . ८७८

सभा पटल पर रखे गये पत्र . ८७९-८०

तारांकित प्रश्न संख्या २०५ के उत्तर में शुद्धि ८८०

बोकारो इस्पात संयंत्र के बारे में वक्तव्य ८८०–८१

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रस्ताव ८८१—९१६

कार्य मंत्रणा समिति--

पहला प्रतिवेदन ९१६

दैनिक संक्षेपिका . . . . . ९१७—२३

अंक १३—बुधवार, २ मई, १९६२/वशाख १२, १८८४ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ३३७ से ३४४, ३४६, से ३४९, ३७०, ३५१ और ३५३ ९२५—५०

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ३४५, ३५०, ३५२, ३५४ से ३६९ और ३७१ से ३७९ ९५०—६३

अतारांकित प्रश्न संख्या ४५२ से ५२३ . . ९६३—९६

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना ९९६—९८

१. कलकत्ता गोदी श्रमिक बोर्ड की पुनर्रचना की आवश्यकता ९९६–९७

२. गुजरात में कपास का अधिग्रहण . . ९९७–९८

३. पूर्वी पाकिस्तान में ढाका तथा राजशाही में दंगे ९९८

सभा पटल पर रखे गये पत्र ९९८—१०००

कार्य मंत्रणा समिति--

पहला प्रतिवेदन . . १०००

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रस्ताव . १००१—११

अनुदानों की मांगें (रेलवे) . . . . १०११—५७

दैनिक संक्षेपिका १०५८—६७

अंक १४—गुरुवार, ३ मई, १९६२/१३ वैशाख, १८८४ (शक)

सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण—

प्रश्नों के मौखिक उत्तर . . . १०६७

तारांकित प्रश्न संख्या ३८०, ३८२ से ३८९, ३९३ से ३९६ और ३९८ १०६७—९१

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ३ . . १०९२—९४

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३८१, ३९० से ३९२, ३९७ और ३९९ से ४१५ १०९४—११०५

अतारांकित प्रश्न संख्या ५२४ से ६०२, ६०५ से ६२१ और ६२३ से ६३७

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना —

१. स्माल स्केल वुलन मैन्युफेक्चरर्स एसोसियेशन और स्क्रीन प्रिन्टर्स द्वारा अपने समवाय बन्द कर देने की धमकी . ११५१–५२

२. हुगली के पायलेटों द्वारा त्याग पत्र देने की धमकी ११५२—५४

स्थगन प्रस्ताव तथा अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाने के बारे में—

सभा पटल पर रखे गये पत्र ११५५–५६

समितियों के लिये निर्वाचन—

१. पशु कल्याण बोर्ड . ११५६

२. भारतीय लाख उप-कर समिति . . . ११५६–५७

३. भारतीय चिकित्सा अनुसन्धान परिषद का प्रशासी निकाय ११५७

अनुदानों की मांगें (रेलवे)—

स्थगन प्रस्ताव तथा अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

(१) भारत को चीन को कथित अलटीमेटम ; तथा . ११९३–९४

(२) १५० नागा विद्रोहियों का पूर्वी पाकिस्तान में चले जाना ११९४—९६

बड़ी और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के बारे मे आधे घंटे की चर्चा—

दैनिक संक्षेपिका १२०६–१२१४

अंक १५—शुक्रवार, ४ मई, १९६२/१४ वैशाख, १८८४ (शक)

सदस्यों द्वारा शपथ ग्रहण १२१५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ४१६ से ४१९, ४२१ से ४२५ और ४२८ से ४३३ । १२१५—३७

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ४ . . . १२३७–३८

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ४२०, ४२६, ४२७ और ४३४ से ४५० १२३८--४७

अतारांकित प्रश्न संख्या ६३८, ६३९, ६४२ से ७१३ और ७१५ से ७२१ . १२४७--८१

निधन सम्बन्धी उल्लेख १२८१

सभा पटल पर रखे गये पत्र १२८२

राष्ट्रपति का संदेश १२८२

सभा का कार्य १२८३

अनुदानों की मांगें (रेलवे) . . १२८३--१३१७

विनियोग (रेलवे) संख्या २ विधेयक--

पुरःस्थापित और पारित . . . १३१८-१९

जनता एक्सप्रैस गाड़ियों के बारे में संकल्प १३१९--३८

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के बारे में संकल्प १३३८

दैनिक संक्षेपिका १३४४-५०

अंक १६--सोमवार, ७ मई, १९६२/१७ वैशाख १८८४ (शक)

सदस्यों द्वारा शपथ ग्रहण १३५१

प्रश्नों के **मौखिक** उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ४५१, ४५३ से ४६१, ४६३, ४६४, ४६६ और ४६७ . . १३५१--७६

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ४६२, ४६५ और ४६८ से ४९६ . १३७६--८९

अतारांकित प्रश्न संख्या ७२२ से ७५२, और ७५४ से ७७२ १३८९--१४१०

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना--

काश्मीर और चीन के सिंक्यांग क्षेत्र के बीच सीमा निर्धारण के बारे में बातचीत करने का पाकिस्तान और चीन का कथित निर्णय १४१०-११

सभा पटल पर रखे गये पत्र--

समितियों में निर्वाचन--

१. राजघाट समाधि समिति और . . १४१२

२. कर्मचारी राज्य बीमा निगम १४१३

सामान्य आय-व्ययक--सामान्य चर्चा १४१३--३८

दैनिक संक्षेपिका १४३९--१३

अंक १७, मंगलवार, ८ मई १९६२ / १८ वैशाख, १८८४ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ४९७ से ५०४ और ५०६ से ५१४ . . १४४५—६९

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ५ . . . . १४६९—७१

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ५०५ और ५१५ से ५४६ . . १४७१—८५

अतारांकित प्रश्न संख्या ७७३ से ८६०, ८६२ से ८७८, ८८०, ८८१, ८८३, ८८४, ८८६ से ९१० और ९१२ से ९२३ . . १४८६—२५५२

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

नागा लैंड में भारतीय वायु सेना के एक डकोटा विमान का गिरना . १५५३–५४

सभा पटल पर रखे गये पत्र— १५५५—८७

सामान्य आयव्ययक—सामान्य चर्चा १५७६–७७

राष्ट्रपति की विदाई के बारे में . . . . १५८८—९६

दैनिक संक्षेपिका—

अंक १८, बुधवार, ९ मई १९६२ / १९ वैशाख, १८८४ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ५४७ से ५५६ और ५५८ . १५९७—१६१९

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ६ . . . . १६१९–२०

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ५५७ और ५५९ से ६०९ . . १६२०—४३

अतारांकित प्रश्न संख्या ९२४ से १०२६ . . . १६४३—८७

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

नागा विद्रोहियों द्वारा भारतीय वायु सेना के अधिकारियों की कथित रिहाई १६८७

विशेषाधिकार प्रस्ताव के बारे में १६८८

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . . . १६८८—९०

सामान्य आयव्ययक—सामान्य चर्चा . . . . १६९०—१७१४

दैनिक संक्षेपिका . . . . . १७१५—२३

अंक १९, गुरुवार, १० मई, १९६२ / २९ वैशाख, १८८४ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ६१० से ६१५, ६१७ से ६२०, ६२३, ६२६ से ६२८, ६३८ और ६२९ से ६३२ . . . १७२५—५०

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ६१६, ६२१, ६२२, ६२४, ६२५, ६३३ से ६३७ और ६३९ से ६४५ . १७५०—५७

अतारांकित प्रश्न संख्या १०२८ से १०६९ और १०७१ से १०७७ . १७५७—८०

हुगली पोत चालकों की हड़ताल के बारे में . . . . १७८०—८२

सूचना प्राप्त करने के बारे में

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाने के बारे में—

चीनी वाणिज्य दूतावास कलिम्पोंग से एक सिपाही पर गोली चलाया जाना . १७८२—८३

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

मद्रास में छपाई के कागज की कमी १७८३—८४

सभा पटल पर रखे गये पत्र १७८४

सामान्य आयव्ययक--सामान्य चर्चा . . . १७२४—१८२८

दैनिक संक्षेपिका . . . . . १७२९—३२

अंक २०, शुक्रवार ११ मई, १९६२ / २१ वैशाख, १८८४ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ६४६ से ६४९, ६५१ से ६५५ और ६५७ से ६६३ . १८३३—५४

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ७ . . . . १८५४—५६

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ६५०, ६५६ और ६६४ से ६९१ . . १८५६—७०

अतारांकित प्रश्न संख्या १०७८ से १०८२ और १०८४ से ११८६ १८७०—१९२३

स्थगन प्रस्ताव तथा अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

माल गाड़ी और ट्रक की टक्कर १९२३—२७

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

१. फिजी के सम्बन्ध में जानकारी और विद्रोही नागाओं के एक ओर दल का पाकिस्तान को कथित प्रस्थान १९२८

GMGIPND—LS III—811 AI LSD—12-7-62—150

लोक-सभा

सोमवार, ७ मई, १९६२

१७ वैशाख, १८८४ (शक)

लोक सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

सदस्यों द्वारा शपथ ग्रहण

श्री ति० त० कृष्णमाचारी (त्रिचेंदूर)
श्री ललित सेन (मंडी)
श्री वीरभद्र सिंह (महासू)
श्री प्रताप सिंह (सिरमौर)
श्री छतर सिंह (चम्बा)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

डेरी उपकरण और मशीनों का निर्माण

†*४५१. **श्री श्रीनारायण दास** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में डेरी उपकरण और मशीनों के निर्माण के लिये कोई व्यवस्था की गई है अथवा की जाने वाली है, और यदि हां, तो क्या ; और

(ख) इन चीजों का वर्तमान उत्पादन कितना है और भविष्य के लिये इस सम्बन्ध में क्या कार्यक्रम है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) और (ख). इस प्रश्न का उत्तर इस्पात और भारी उद्योग मंत्री आगे किसी तारीख को देंगे।

†मूल अंग्रेजी में

भेषज कारखानों की स्थापना

+

*४५३. श्री भक्त दर्शन :
श्रीमती मैमूना सुल्तान :
श्री वेंकटासुब्बया :
श्री वारियर :
श्री वासुदेवन् नायर :
श्री अ० क० गोपालन :
श्री प० कुन्हन :
श्री कैप्पन :
श्री मणियंगाडन :
श्री यलमंदा रेड्डी :
श्री मे० क० कुमारन :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री २ दिसम्बर, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या ४९१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि ऋषिकेश, संतनगर, मद्रास तथा नरियामंगलम में स्थापित होने वाले चार भेषज कारखानों में से प्रत्येक कारखाने के निर्माण मे अब तक क्या प्रगति हुई है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो) : एक विवरण सभा की मेज पर रखा जाता है ।

विवरण

सोवियत रूस के मैसर्स टेक्नोएक्सपोर्ट के साथ ऋषिकेश और मद्रास में क्रमशः कीटाणु-नाशक औषधें तथा शल्य चिकित्सा के औज़ार बनाने की प्रायोजनाओं के बारे में संविदा किये जा चुके हैं। इन संविदाओं में संयंत्र और मशीनों का संभरण करने के साथ ही भारत में रूसी विशेषज्ञों की नियुक्ति करना, सोवियत रूस में भारतीय विशेषज्ञों को प्रशिक्षण देना, काम का विस्तृत ब्यौरा तैयार करना तथा संयंत्र की सीमा के अन्दर यंत्र लगाने के खाके तैयार करना आदि शामिल हैं। हैदराबाद मे संश्लिष्ट भेषजों की एक प्रायोजना के लिये भी हाल ही में इसी प्रकार का संविदा किये जाने की आशा है । नेरियामंगलम में फाइटो-केमिकल्स संयंत्र लगाने के लिये भी एक संविदा करने के बारे में इस समय विचार किया जा रहा है । जिन प्रायोजनाओं के लिये संविदा किये जा चुके हैं, सोवियत संघ से उनके विस्तृत खाकों का आना १९६२ की तीसरी तिमाही में शुरू हो जाएगा, जिसके बाद निर्माण कार्य आरम्भ किया जा सकेगा ।

भूमि की आवश्यकता बहुत कुछ सम्बन्धित राज्य सरकारों द्वारा बिना कुछ मूल्य लिये पूरी की जा चुकी है। ऋषिकेश, हैदराबाद तथा मद्रास में कारखानों और बतिस्यों का निर्माण सम्बन्धी प्रारम्भिक प्रबन्ध शुरू कर दिया गया है । इन तीनों स्थानों पर बतिस्यों के लिये एक वृहद योजना बनाने का काम वास्तुशास्त्रियों को सौंप दिया गया है तथा कीटाणुनाशक एवं संश्लिष्ट भेजष बनाने के कारखानों की प्रायोजनाओं को अन्तिम रूप दिया जा चुका है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री भक्त दर्शन : श्रीमान् इन कारखानों की स्थापना में जो प्रगति हो रही है क्या शासन को उससे सन्तोष है और यदि सन्तोष नहीं है तो इस प्रगति में तेजी लाने के लिये कौन से कदम उठाये जा रहे हैं ?

श्री कानूनगो : सरकार को काफी सन्तोष है और इस साल के आखिर से तेजी से काम चलेगा ।

श्री भक्त दर्शन : श्रीमन्, कब तक आशा की जाती है कि इन कारखानों में वास्तविक उत्पादन-कार्य प्रारम्भ हो जायगा ?

श्री कानूनगो : १९६४ के बाद ।

†श्री श्याम लाल सर्राफ : क्या अब भी कहीं पर जड़ी बूटियों की औषधि का कारखाना स्थापित करने का सरकार का विचार है ?

†श्री कानूनगो : यह एक भवन है जहां फाइटो-केमिकल्स कारखाना खोला जायेगा ।

†श्री वासुदेवन् नायर : क्या नेरियामंगलम में फाइटो-केमिकल्स संयंत्र लगाने के निश्चय पर पुनः विचार करने का कोई प्रस्ताव सरकार के सामने है ? यदि हां, तो क्या सरकार को मालूम है कि इस बारे में केरल राज्य के लोगों में गहरी आशंका है ।

†अध्यक्ष महोदय : हम इनकी प्रगति के बारे में पूछताछ कर रहे हैं लेकिन माननीय सदस्य उस पर पुनर्विचार चाहते हैं ।

†श्री वासुदेवन् नायर : मैं वह बिल्कुल नहीं चाहता । मैं यह जानना चाहता हूं कि इस समाचार में कोई सचाई है कि नरियामंगलम में यह कारखाना स्थापित नहीं किया जायेगा ।

†श्री कानूनगो : इन कारखाने के, जो इस भवन का एक अंग होगा, आर्थिक पहलुओं पर अभी विचार हो रहा है । काम की प्रगति में देर इस कारण है कि इसके लिए पूरी पूरी जमीन अभी तक नहीं दी गई है ?

†श्री मे० क० कुमारन : इंडियन ड्रग्ज एण्ड फर्मास्युटिकल्स के अध्यक्ष कुछ पहले महीने केरल राज्य में आये थे और समाचारपत्र सम्मेलन में कहा था कि इस कारखाने का काम जनवरी, १९६२ में शुरू किया जायगा । क्या मैं जान सकता हूं कि देर का कारण क्या है ?

†श्री कानूनगो : मैं समझता हूं कि उन्हें उस समय यह आशा थी कि जमीन का कब्जा बहुत जल्द ही मिल जायगा ।

†श्री मे० क० कुमारन : कितनी जमीन आवश्यक है और कितनी जमीन दी गयी है ?

†श्री कानूनगो : ४०० एकड़ में से केवल १०० एकड़ जमीन ही दी गयी है ।

†श्री अ० क० गोपालन : विवरण में यह बताया गया है कि ऋषिकेष, हैदराबाद और मद्रास में कारखाने खोलने व्यवस्था शुरू की गयी है लेकिन केरल में नहीं । क्या इसका कारण यह है कि राज्य सरकार ने वहां पर जमीन प्राप्त नहीं की थी ?

---

†[ ] अंग्रेजी में

†श्री कानूनगो : केवल वही कारण नहीं है। कारखाने के आर्थिक पहलुओं पर अभी विचार हो रहा है।

†श्री त्यागी : क्या राज्य सरकारों को कोई हिदायत दी गयी है या केन्द्रीय सरकार ने इस ओर ध्यान देने के लिए कोई व्यवस्था की है कि विस्थापित व्यक्तियों को रहने की कोई दूसरी जगह और खेती के लिए जमीन भी दी जाये ?

†श्री कानूनगो : सरकारी क्षेत्र के उद्योगों के सम्बन्ध में सामान्य प्रथा यह है कि उपयुक्त विस्थापित व्यक्तियों को जमीन या रोजगार दिया जाये।

†श्री म० रं० कृष्ण : संश्लिष्ट भेषज कारखाने में ८५१ टन औषधियों का लक्ष्य किस अवधि तक प्राप्त कर लिया जायेगा ?

†श्री कानूनगो : १९६४ से तीन साल भी लग सकता है।

†श्री भागवत झा आजाद : सरकार के वर्तमान अनुमान के अनुसार, ये तीनों कारखाने चालू हो जाने पर कितनी प्रतिशत हमारी आवश्यकताएं पूरी हो जायेंगी ?

†श्री कानूनगो : आशा है कि १९६५ तक जो मांग होगी वह इन संसाधनों से पूरी हो सकेगी।

†श्रीमतीमैमूना सुल्तान : क्या इन परियोजनाओं के लिये हमने किसी दूसरे देश से सहायता और सहयोग मांगा है और यदि हां, तो वह कौन सा देश है और करार की शर्तें क्या हैं ?

†श्री कानूनगो : यह योजना रूस की सहायता और सहयोग से कार्यान्वित की जा रही है। प्रारम्भिक संविदा और दूसरी रिपोर्टें सभा के पुस्तकालय में रख दी गयी हैं।

नारियल-जटा से बनी वस्तुएं

+

†*४५४. { श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री म० ला० द्विवेदी :

क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नारियल-जटा से बनी वस्तुओं की खपत के लिये देश में और विदेश में बाजार ढूंढने के लिये और कौन से कारगर कदम उठाये गये हैं ;

(ख) क्या नारियल-जटा से बनी वस्तुओं पर माल भाड़ा कम करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) क्या नारियल-जटा उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम के अन्तर्गत आ जायेगा ?

†वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) से (ग). विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) नारियल-जटा और नारियल-जटा से बनी वस्तुओं के लिये बाजार ढूंढने के लिये की गयी कार्यवाही में निम्न बातें शामिल हैं : भारत में और विदेशों में प्रदर्शनियों में भाग लेना, विदेशों में भारतीय दूतावासों से संलग्न दर्शनकक्षों (शो-रूम्स) में प्रदर्शन, प्रचार साहित्य बांटना, विदेशों में

†मूल अंग्रेजी में

शिष्टमण्डल भेजना और बाजार सर्वेक्षण करना भारत में समाचारपत्रों में विज्ञापन देना, बोर्ड और सिनेमा स्लाइड्स दिखलाना, भारत के मुख्य मुख्य नगरों में शो-रूम और बिक्री डिपो खोलना और नारियल-जटा से बनी वस्तुओं की बिक्री के लिये मान्यताप्राप्त व्यापारी नियुक्त करना।

(ख) नारियल जटा से बनी छोटी और बड़ी चटाइयों पर जहाजी माल भाड़ा कम करने के प्रश्न पर सम्बन्धित जहाजी सेवाओं के साथ बातचीत की गयी है।

(ग) जी नहीं।

†**श्री स० चं० सामन्त** : क्या नारियल-जटा से बनी वस्तुओं के निर्यात के लिये राज सहायता देने की कोई योजना है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : यह बिल्कुल अलग सवाल है। मूल प्रश्न में माननीय सदस्य ने पूछा है कि माल भाड़ा कम करने के सवाल पर हमने कार्रवाई की है। निश्चय ही हमने उस मामले में कदम उठाये हैं। यद्यपि माल भाड़े के ढांचे में कोई भेदभाव नहीं है, नारियल जटा के सूत और चटाइयों पर माल भाड़ा अलग अलग है। जहां तक राज सहायता का सम्बन्ध है, नारियल जटा से बनी वस्तुओं पर भिन्न भिन्न प्रकार के प्रोत्साहन दिये जाते हैं जैसे कि निर्यात की दूसरी वस्तुओं के सम्बन्ध में भी दिये जाते हैं।

†**श्री स० चं० सामन्त** : क्या नारियल जटा के सूत के स्वतन्त्र निर्यात पर जिसकी हमारी निर्माता संस्थाओं के साथ प्रतियोगिता होती है, कोई नियन्त्रण रखने का सरकार का विचार है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : यदि माननीय सदस्य आंकड़े देखें तो पता चलेगा कि तैयार माल भी बाहर भेजा जाता है। नारियल जटा का सूत निर्यात किया जा रहा है क्योंकि कुछ देशों में ऐसा उद्योग पहले ही चालू हो चुका है और अगर हम निर्यात न करें तो हमारा कुछ निर्यात कम हो जायगा। लेकिन हम पहले तैयार माल भेजना पसन्द करते हैं और बाद में सूत।

†**श्री वासुदेवन् नायर** : माननीय मंत्री ने बताया है कि सम्बन्धित जहाजी सेवाओं के साथ माल भाड़ा कम करने के सवाल पर बातचीत की गयी है। इस प्रस्ताव पर उनकी क्या राय है।

†**श्री मनुभाई शाह** : अभी तक बहुत अच्छी है।

श्री अचल सिंह : क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि कोयर इण्डस्ट्री ने पारसाल से इस साल कितनी तरक्की की है ?

श्री मनुभाई शाह : कोई २५ लाख ज्यादा हुआ है ९ करोड़ के ऊपर। लेकिन जितना पैदा होता है उसमें से ९५ परसेंट बाहर जा रहा है और अब जरूरत है और ज्यादा पैदा करने की।

†**श्री वासुदेवन् नायर** : प्रश्न के भाग (ग) के उत्तर में बताया गया है कि नारियल जटा उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम के अधीन नहीं आयेगा। क्या मैं जान सकता हूं कि इस उद्योग को भी इस अधिनियम के अधीन लाने में सरकार को क्या आपत्ति है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : हम इसको दूसरी तरह से सोचते हैं कि क्या इसे इस अधिनियम के अधीन लाने में कोई लाभ है या नहीं जैसा कि माननीय सदस्य को मालूम है, यह अधिकांशतः एक घरेलू कुटीर उद्योग तथा छोटे पैमाने का उद्योग है। इसमें तो हजारों कार्यकर्त्ताओं को इस अधिनियम के

---

†मूल अंग्रेजी में

अधीन लाने का प्रश्न है । साथ ही यह बहुत उन्नत उद्योग है । इसके लिये नारियल जटा बोर्ड बनाया गया है । इसलिये सरकार यह समझती है कि इसे इस अधिनियम के अधीन लाने से कोई खास फायदा नहीं होगा ।

†**श्री कोया** : क्या नारियल जटा उद्योग में मशीनों के प्रयोग को प्रोत्साहन देने की कोई योजना है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : सरकार चाहती है कि इस उद्योग में मशीनों का प्रयोग हो । यहां एक सम्मेलन आयोजित किया गया था और हमने पक्का निश्चय किया था और केरल सरकार भी उससे सहमत थी कि इस उद्योग के एक तिहाई क्षेत्र में अभी ही मशीनों का प्रयोग शुरू कर दिया जाये ताकि कम से कम छंटनी करनी पड़े और उस कारण होने वाले अतिरिक्त आदमियों को दूसरा रोजगार दिया जा सके। लेकिन बिना मशीनीकरण के नारियल जटा के निर्यात का भविष्य सन्देहास्पद है और इस कारण हम उसमें मशीनों का प्रयोग शुरू करने जा रहे हैं ।

†**श्री भागवत झा आजाद** : क्या विवरण में बतायी गयी कार्यवाहियों के परिणामस्वरूप इस उद्योग में चालू वर्ष में कोई विशेष वृद्धि हुई है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : इसका जवाब मैं पिछले प्रश्न के उत्तर में दे चुका हूं । जो कुछ भी हम उत्पादन करते हैं उसका ९५ प्रतिशत विदेशों को भेजा जा रहा है । अब वास्तविक समस्या यह है कि देश में नारियल के और अधिक पेड़ उगा कर तथा नारियल के और अधिक बाग लगा कर नारियल रेशा और अधिक मात्रा में उपलब्ध किया जाये ।

पिम्परी में बनी पेनिसिलीन का मूल्य

+

†*४५५. { **श्री रामेश्वर टांटिया** :
श्री श्रीनारायण दास :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पिम्परी में बनी पेनिसिलीन का थोक मूल्य विश्व के बाजार में पेनिसिलीन के मूल्य से अब लगभग पांच गुना है ;

(ख) यदि हां, तो इसका क्या कारण है ; और

(ग) क्या पेनिसिलीन का यह मूल्य विश्व स्वास्थ्य संगठन के साथ वस्तुओं को लागत के मूल्य पर बेचने के लिये किये गये करार की शर्त के अनुसार है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) से (ग). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

हिन्दुस्तान एण्टीबायोटिक्स, पिम्परी, में बनी पेनिसिलीन का थोक मूल्य आयात की गयी पेनिसिलीन की लागत से निश्चित ही अधिक ऊंचा है । लेकिन पिम्परी के पेनिसिलीन के मूल्य के बारे में फैसला करने के लिये यह उचित आधार नहीं है क्योंकि निर्यात करने वाले अपना निर्यात योग्य अतिरिक्त माल बहुत ही कम कीमत पर बेच सकते हैं । इसके अलावा, विदेशों में यह उद्योग बहुत बड़े

†मूल अंग्रेजी में

पैमाने पर चलता है और इसलिये वे काफी कम मूल्य पर यह वस्तु तैयार कर सकते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन और संयुक्त राष्ट्र संघीय बाल सहायता निधि के बीच करार में 'कोई मुनाफा नहीं' वाला खण्ड अब लागू नहीं है लेकिन इस कारण कोई अनुचित मुनाफा नहीं लिया जा रहा है।

†**श्री रामेश्वर टांटिया** : यह बताया गया है कि मूल्य निश्चित ही ऊंचे हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि वे कितने ऊंचे हैं, हम किन विदेशी निर्यातकों से यह दवा मंगाते हैं और क्या कारण हैं कि हम आयात मूल्य से भी अधिक कीमत पर उसे बेचते हैं ?

†**श्री कानूनगो** : कारण स्पष्ट हैं। दूसरे देशों के निर्माता इस क्षेत्र में काफी लम्बे समय से हैं, उनके अपने देशों में ही इस औषधि के लिये बहुत बड़े बड़े बाजार हैं जहां उन्हें ऊंचे मूल्य मिलते हैं। निर्यात वृद्धि के लिये वे कहीं कम कीमत पर उसका निर्यात भी कर सकते हैं। उत्पादन लागत न तो मूल देश में और न अन्यत्र ही मालूम होती है। आशा है कि हमारे विस्तार कार्यक्रम पूरे हो जाने पर हम सम्भवतः लगभग ६० टन पेनिसिलीन तैयार कर सकेंगे। फिर उसकी कीमत और कम कर दी जायेगी। वास्तव में पिछले तीन वर्षों में हमने उसका मूल्य काफी कम कर दिया है और हमारा उत्पादन बढ़ने पर वह और कम कर दिया जायेगा।

†**श्री रामेश्वर टांटिया** : वह मूल्य दुगने या तिगुने ऊंचे हैं ?

†**श्री कानूनगो** : हमारा मूल्य लगभग ५० नये पैसे प्रति यूनिट है और आयात की हुई दवा का मूल्य कर सहित १५ रुपये ५० नये पैसे है।

†**श्री श्रीनारायण दास** : विवरण में बताया गया है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन और संयुक्त राष्ट्र संघीय बाल सहायता निधि के बीच करार में 'कोई मुनाफा नहीं' वाला खण्ड अब लागू नहीं है लेकिन इस कारण कोई अनुचित लाभ नहीं लिया जा रहा है। मैं यह जानना चाहता हूं कि कितना मुनाफा लिया जा रहा है।

†**श्री कानूनगो** : मैंने मूल्य बता दिये हैं। वह खण्ड इस आधार पर नहीं निकाला गया है कि कुछ यूनिट अस्पतालों में प्रयोग के लिये निःशुल्क दिये जायेंगे।

†**श्री उमानाथ** : क्या सरकार को मालूम है कि विदेशी तथा भारतीय कम्पनियों को पिम्परी कारखाने के द्वारा थोक में दी जाने वाली पेनिसिलीन और दूसरे एण्टीबायोटिक्स भिन्न भिन्न व्यापार के नाम से बहुत ही ऊंची कीमतों पर बेचे जाते हैं और यदि हां, तो उसे रोकने के लिये सरकार ने क्या उपाय किये हैं ?

†**श्री कानूनगो** : मूल्य बहुत अधिक ऊंचे नहीं हैं। वास्तव में पिम्परी कारखाना दूसरे निर्माताओं को बेचने के लिये कार्बनिक द्रव्य तैयार करता है। ओषध नियंत्रक किस्म देखता है और मूल्य बहुत ऊंचे नहीं हैं।

†**श्री जाधव** : क्या सरकार को मालूम है कि देश में पेनिसिलीन की सप्लाई कम है ?

†**श्री कानूनगो** : जी हां, क्योंकि मांग अधिक बढ़ गई है और इसलिये हम इस कारखाने में उत्पादन बढ़ा रहे हैं।

†**श्री उमानाथ** : क्या जिन भारतीय और विदेशी फर्मों को सरकार से थोक सप्लाई मिलती है वे विभिन्न व्यापारिक नामों से उसे ऊंची कीमतों पर फिर बेच देती हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री कानूनगो :** अवश्य ही, वे निर्माण मूल्य ले लेते हैं ।

†**श्री श्रीनारायण दास :** कितना मुनाफा लिया जा रहा है ?

†**श्री कानूनगो :** कारखाने में कितना मुनाफा हो रहा है यह मैं नहीं बता सकता ।

†**अध्यक्ष महोदय :** अगला प्रश्न । श्री रघुनाथ सिंह ।

श्री रघुनाथ सिंह : प्रश्न संख्या ४५६ ।

†**वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन) :** गोआ में प्रवेश के लिये परमिट प्रणाली

†**श्री रघुनाथ सिंह :** मेरा प्रश्न हिन्दी में है । उत्तर हिन्दी में दिया जाना चाहिये । यह सवाल हिन्दी में दिया गया है । माननीय मंत्री हिन्दी स्टेट से आती हैं । हिन्दी में जवाब देना चाहिये ।

अध्यक्ष महोदय : हाउस ने इस बारे में पहले ही फ़ैसला किया है, और मैं ने भी यहां पर अर्ज़ किया है कि अगर सवाल हिन्दी में होगा, तो आम तौर पर हिन्दी में जवाब दिया जायगा, लेकिन अगर मिनिस्टर हिन्दी में जवाब नहीं दे सकते तो माननीय सदस्यों को अंग्रेज़ी में ही जवाब को समझने की कोशिश करनी चाहिये ।

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन :** मैं हिन्दी में पढ़ सकती हूं ।

गोआ में प्रवेश

***४५६. श्री रघुनाथ सिंह :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत सरकार के गोआ प्रवेश सम्बन्धी नवीन आदेशों के कारण गोआ के मल नागरिक जो केन्या, युगांडा आदि में रहते हैं उन्हें गोआ प्रवेश करने में कठिनाई हो रही है क्योंकि पुर्तगाल सरकार उन को पासपोर्ट देने से इन्कार करती है ; और

(ख) क्या सेन्ट्रल काउन्सिल आफ गोअन असोसियेशन, यूगांडा, पूर्व अफ्रीकन लीग तथा अन्य संस्थाओं से इस सम्बन्ध में ज्ञापन अथवा संकल्प मिले हैं ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन) : (क) गोआ में प्रवेश करने के लिये जो अनुमति-पत्र प्रणाली है, उस का प्रार्थी के पास रहने वाले पासपोर्ट से कोई सम्बन्ध नहीं है। यह प्रणाली भारतीय नागरिकों सहित सभी ग़ैर-गोआनियों पर लागू होती है । यदि कोई विदेशी पासपोर्ट पाने में असमर्थ है तो इस का अर्थ यह है कि वह भारत नहीं आ सकता । अनुमति-पत्र प्रणाली से इस मसले पर किसी भी तरह असर नहीं पड़ता ।

(ख) अनुमति-पत्र प्रणाली के ब्यौरों के सम्बन्ध में उगांडा स्थित केन्द्रीय गोआनी परिषद् संस्था और कीनिया की पूर्व अफ्रीकी गोआनी लीग से कुछ ज्ञापन मिले हैं । उन्हें यह सूचना दे दी गई है कि गोआ-मूलक लोगों के लिये किसी अनुमति-पत्र की आवश्यकता नहीं है ।

श्री रघुनाथसिंह : मैं यह जानना चाहता हूं कि ईस्ट अफ्रीका की गोअन लीग ने कौन सी दिक्कतें ज़ाहिर की हैं, जोकि वहां के लोगों को पेश आ रही हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन** : वास्तव में परमिट प्रणाली के बारे में गलतफहमी के कारण ऐसा है क्योंकि गोआनियों के लिये तो किसी परमिट की जरूरत ही नहीं होती ।

†**श्री हेम बरुआ** : क्या गोआ में पुर्तगाली बन्दियों के प्रत्यावर्तन का मतलब पुर्तगाली बस्तियों में भारतीय राष्ट्रजनों के प्रत्यावर्तन से है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : जहां तक मुझे मालूम है, इस बात का इस प्रश्न से कोई सम्बन्ध नहीं है ।

†**श्री हेम बरुआ** : मूल प्रश्न विदेशों में भारतीय राष्ट्रजनों के लिये पासपोर्ट प्राप्त करने के सम्बन्ध में है । पासपोर्ट संबंधित सरकारें जारी करती हैं । इसलिये मैं ने यह प्रश्न पूछा था कि क्या गोआ में पुर्तगाली बंदियों के प्रत्यावर्तन का मतलब पुर्तगाली बस्तियों में भारतीय राष्ट्रजनों के प्रत्यावर्तन से है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रत्यावर्तन एक बिलकुल अलग चीज है । एक अलग प्रश्न पूछा जाय और उस का उत्तर दिया जायगा ।

†**श्री नाथ पाई** : शायद प्रधान मंत्री इस के साथ प्रश्न संख्या ४७६ का भी उत्तर देना पसंद करें । वह भी गोआ के लिये प्रवेशपत्रों के सम्बन्ध में है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : अगर शुरु में वे इस की ओर ध्यान दिलाते तो मैंने अनुमति दी होती लेकिन अब नहीं ।

†**श्री हेम बरुआ** : इस का क्या कारण है कि गोआ जाने वाले भारतीय राष्ट्रजनों पर परमिट प्रणाली लादी गयी है ? क्या यह विचित्र बात नहीं है ?

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन** : यह केवल अस्थायी स्थिति है । यह इसलिए लागू किया गया था कि गोआ की मुक्ति के बाद हम नहीं चाहते थे कि सभी प्रकार के लोग वहां जायें और प्रशासन के लिए तथा जनता के लिये भी कठिनाइयां पैदा करें । इसलिये ज्यों ही सामान्य स्थिति उत्पन्न हो जायगी और इन बन्दियों को भेज दिया जायगा तब निश्चय ही हर कोई वहां जा सकेगा ।

†**श्री नाथ पाई** : चूंकि आप ने उस प्रश्न पर जो बाद में आने वाला है, एक अनुपूरक प्रश्न के लिये अनुमति दी है, मैं समझता हूं कि उस का उत्तर भी दिया जा सकता है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : यह अभिलेखों में पड़ा भद्दा दिखाई देगा । किसी विशिष्ट-प्रश्न पर अनुपूरक प्रश्न पूछे जाने के बाद, जब तक कि वह प्रश्न समाप्त न हो जाये, दूसरा प्रश्न ले लेना कठिन होगा । यही कठिनाई है अन्यथा मैं अनुमति दे देता । अब हम दूसरा प्रश्न लें । यदि माननीय सदस्य सहयोग दें, तो शायद वहां तक हम पहुंच जायें ।

कपड़ा मिलें

†*४५७. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ और कपड़ा मिलें जो बन्द हो गई थीं फिर से चलने लगी हैं ;

(ख) यदि हां, तो १९६१ में ऐसी कितनी मिलें पुनः चालू की गई ; और

(ग) उन को कितनी वित्तीय सहायता दी गई थी ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) और (ख) . जी हां । बन्द पड़ी हुई १४ सूती कपड़ा मिलों ने फिर काम करना शुरू कर दिया है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) केन्द्रीय सरकार सूती कपड़ा मिलों को वित्तीय सहायता राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम की मार्फत देती है। १९६१ में पुनः चालू की गई १४ मिलों में से दो मिलों को निगम ने क्रमशः ४९.६० लाख रुपये और १३ लाख रुपये के ऋण मंजूर किये हैं।

†**श्री स० मो० बनर्जी :** माननीय मंत्री ने बताया कि १४ मिलों ने फिर काम शुरू कर दिया है। मैं यह जानना चाहता हूं कि अभी कुल कितनी मिलों को काम शुरू करना है और उन के सामने क्या कठिनाइयां हैं ?

†**श्री मनुभाई शाह :** अभी तक ११ मिलें बन्द पड़ी हैं। जिन में से हमें आशा है कि पांच मिलों को शीघ्र ही पुनः चालू कर दिया जायगा। २ मिलों को हमेशा के लिये बन्द कर दिया जायगा। शेष चार वित्तीय कठिनाइयां अनुभव कर रही हैं।

†**श्री स० मो० बनर्जी :** क्या इन १४ मिलों में से कुछ मिलों को सरकार ने अपने अधीन ले लिया है या क्या ये सभी मिलें उन्हें संस्थाओं द्वारा चलाई जाती हैं ?

†**श्री मनुभाई शाह :** उन में से २ मिलों को सरकार ने अपने हाथ में ले लिया है और बाकी मिलें गर-सरकारी संस्थायें चला रही हैं।

†**श्री नम्बियार :** जो दो मिलें हमेशा के लिये बंद कर दी जाने वाली हैं उन में कुल कितने कर्मचारी हैं ?

†**श्री मनुभाई शाह :** ९०० या इस के लगभग।

†**श्री नम्बियार :** इन आदमियों के लिये दूसरा कौनसा रोजगार सोचा गया है ?

†**श्री मनुभाई शाह :** इन क्षेत्रों में कई नये उद्योग स्थापित हो रहे हैं। जब कोई उद्योग लाभदायक नहीं रह जाता तो बन्द करना ही पड़ता है।

श्री रघुनाथ सिंह : जो छः मिलें स्कैम होने वाली हैं या हो गई हैं, वे कौन सी मिलें हैं ?

श्री मनुभाई शाह : एक वालाजाबाद में है, एक किशनगढ़ में है, दो पेंडेलपाका में हैं, एक बंदेरा में है और छठा बांकुरा मिल है।

†**श्री ओझा :** क्या मोरवी मिलों को पुनः चालू किया जायगा ?

†**श्री मनुभाई शाह :** उन मिलों के पुनः चालू किये जाने की संभावना है यद्यपि जिन ११ मिलों का मैंने उल्लेख किया है उन में वह शामिल नहीं हैं। मोरवी मिलों को शायद बम्बई राज्य के कोटे में हस्तांतरित किया जाना था।

\+ **केरल में कताई मिलें**

†*४५८. **श्री वासुदेवन् नायर :**
श्री वारियार :
श्री नटराज पिल्लै :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल राज्य में नई कताई मिलें स्थापित करने के लिये कोई नये लाइसेंस दिये गये थे ;

(ख) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) क्या यह सच है कि केरल के किसी उद्योगपति को एक भी लाइसेंस नहीं मिला ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) अभी तक लाइसेंस नहीं दिये गये हैं ।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

†**श्री वासुदेवन् नायर** : कुछ महीने पहिले माननीय मंत्री ने इस सभा में कहा था कि लाइसेंस देने का प्रश्न विचाराधीन है । अब भी वही उत्तर दोहराया गया है । इस पर कब तक विचार होता रहेगा ।

†**श्री मनुभाई शाह** : अन्तिम निश्चय बहुत जल्द घोषित किया जायेगा और लाइसेंस दे दिये जायेंगे ।

†**श्री वासुदेवन् नायर** : केरल सरकार ने केरल के उद्योगपतियों के कुल प्रार्थनापत्रों में से कितने प्रार्थनापत्र केन्द्रीय सरकार को भेजे थे ?

†**श्री मनुभाई शाह** : यदि माननीय सदस्य यह सुझाव देते हैं कि केरल के उद्योगपतियों से कुछ लोगों के उदभव का पता लगाना है तो मुझे कोई जानकारी नहीं है । १३७ उद्योगपतियों ने प्रार्थनापत्र भेजे थे जिनमें से ११ को लाइसेन्स दिया जायगा ।

†**श्री अ० क० गोपालन** : क्या यह सच है कि केरल के उद्योग मंत्री ने एक वक्तव्य दिया है जिसमें उल्लेख है कि उन्होंने एक वर्ष पहिले तकुए मांगे थे और केन्द्रीय सरकार देने में देर कर रही हैं और राज्य सरकार की ओर से कोई देर नहीं है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : माननीय सदस्य का कथन आंशिक रूप में सच है और आंशिक रूप में प्रश्न और है। हमारे पास विभिन्न व्यक्तियों के अनेक अध्यावेदन हैं जिनकी सिफारिश नहीं की गई है और कहा गया है कि उनके साथ अन्याय हुआ है । अतः स्वाभाविक है कि अत्याधिक सन्तोष प्रदान करने के लिये और शिकायत के सारे मौके दूर करने के लिये हमने और विचार करने में कुछ समय लिया ।

†**श्री अ० क० गोपालन** : अन्तिम निश्चय कौन करेगा और कब करेगा ?

†**श्री मनुभाई शाह** : भारत सरकार बहुत शीघ्र निश्चय करेगी ।

†**श्री रामेश्वर टांटिया** : क्या लाइसेन्स को कार्यान्वित करने के लिये कोई समय-सीमा निर्धारित है और यदि कुछ लोग लाइसेन्स पाने के बाद निर्धारित समय में काम आरम्भ नहीं करते हैं ; तो क्या सरकार उन लाइसेन्सों को अन्य लोगों को देने पर विचार करेगी ?

†**श्री मनुभाई शाह** : औद्योगिक विवाद अधिनियम में इसके लिये उपबन्ध है । यदि लाइसेन्सधारी नौ मास में प्रथम प्रभावी कार्यवाही नहीं करता है और सारा काम अठारह महीने में पूरा नहीं करता है तो लाइसेन्स यह सूचना दे कर समाप्त कर दिया जाता है कि लाइसेन्स का प्रयोग न करने के क्या कारण हैं । हम प्रति वर्ष स्थिति का पुनरीक्षण करते हैं और हर साल अनेक ऐसे मामले होते हैं जिनमें कारण बताने की सूचना दे कर लाइसेन्स समाप्त कर दिया जाता है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री वेंकटा सुब्बैया** : केरल के अतिरिक्तर क्या आन्ध्र में कोई लाइसेन्स दिया गया है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : आन्ध्र में कोई लाइसेंस नहीं दिया गया है। १४ राज्यों में से लाइसेन्स १० राज्यों में दिये गये हैं । अन्य चार राज्यों का मामला राज्य सरकारों के विचाराधीन है ।

नेपा न्यूजप्रिंट फैक्टरी

+

†*४५९. { **श्री वीरेन्द्र बहादुर सिंह** :
श्रीमती मैमूना सुल्तान :
श्री मुरारका :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नेपा न्यूजप्रिंट फैक्टरी में बिजली तथा कच्चे माल का पर्याप्त संभरण न होने के कारण हाल ही में अखबारी कागज़ के उत्पादन में रुकावट पैदा हो गई है ;

(ख) इस संबंध में आत्मनिर्भरता लाने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ; और

(ग) सरकार कब तक इस समस्या को हल करन की आशा करती है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) से (ग). एक विवरण पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

बिजली कम मिलने के कारण नपा न्यूजप्रिंट एण्ड पेपर मिल्स १०० टन प्रति दिन का निर्धारित लक्ष्य पूरा न कर सका । अभी तक कच्चे सामान की कमी के कारण उत्पादन को धक्का नहीं लगा ।

मध्य प्रदेश विद्युत वोर्ड चम्बल प्रणाली से बिजली देने का प्रबन्ध कर रहा है मिल्स ने मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र सरकारों से और अधिक क्षेत्र मांगे हैं जहां से बांस और सलाई घास प्राप्त हो सके ताकि केवल अनुकूलातम उत्पादन ही न बना रहे बल्कि वर्तमान क्षमता बढ़कर दुगनी हो जाये । आशा है कि कारखाना आगामी वर्ष के मध्य से पूर्ण क्षमता पर उत्पादन करेगा ।

†**अध्यक्ष महोदय** : अगला प्रश्न ।

†**श्री वीरेन्द्र बहादुर सिंह** : क्या मैं जान सकता हूं ....

†**अध्यक्ष महोदय** : आप बहुत देर से बोले । मैं दूसरा प्रश्न का उत्तर दिये जाने के लिये कह चुका हूं । मैं इतनी देर तक उनकी तरफ देखता रहा वह उठे ही नहीं । अब मैंने अगले प्रश्न का उत्तर दिये जाने के लिये कह दिया है ।

†**श्री रघुनाथ सिंह** : माननीय सदस्य के बाद हम भी अनुपूरक प्रश्न पूछना चाहते थे ।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य द्वारा प्रश्न रखे जाने के बाद उसका उत्तर दिया गया । उत्तर के बाद मूल्य प्रश्न पूछन वाले माननीय सदस्य या अन्य में माननीय सदस्य अनुपूरक प्रश्न पूछ सकते थे । लेकिन कोई भी न उठा । ऐसी स्थिति दूसरे प्रश्न का उत्तर दिये जाने के लिये कहने के अलावा कोई चारा न था ।

---

†मूल अंग्रेजी में

कोयला क्षेत्रों के लिये जल-संभरण

+

†*४६०. {श्री अ० क० गोपालन :
श्री प० कुन्हन :

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न कोयला क्षेत्रों में जल-संभरण को बढ़ाने के लिये सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार करती है;

(ख) इस के लिये चालू वर्ष में कितनी राशि खर्च करने की संभावना है; और

(ग) पहिले पेश की गई योजनाओं की शीघ्र कार्यान्विति के मार्ग में क्या बाधायें हैं ?

†**श्रम और रोजगार मंत्रालय में श्रम मंत्री (श्री हाथी)** : (क) कोयला खान क्षेत्रों में संविहित जल बोर्ड बनाने के लिये राज्य सरकारों से प्रार्थना की गई है और कहा गया है कि जल-संभरण योजनायें बनाते समय कोयला खान क्षेत्रों को प्राथमिकता दें। कोयला-खान मालिकों से अपने कोयला-क्षेत्रों के लिये उपयुक्त जल-संभरण योजनाएं बनाने के लिये और वित्तीय सहायता के लिये कोयला खान-मजदूर कल्याण निधि से प्रार्थना करने के लिये कहा गया है।

(ग) योजनाओं की थोड़ी टैक्निकल जानकारी होना। इस के फलस्वरूप, राज्य सरकारों और खान मालिकों से बड़ा लम्बा पत्र-व्यवहार चलता है।

†**श्री अ० क० गोपालन** : क्या कोयला क्षेत्रों को पर्याप्त जल देना सुनिश्चित करने के लिये इसके अलावा कोई और ठोस कार्यवाही की जायगी ?

†**श्री हाथी** : हमने राज्य सरकारों से संविहित बोर्ड बनाने को कहा है। खानों से योजनायें बनान के लिये कहा गया है। वे लगभग ३० योजनायें भेज चुके हैं। हम इस विषय पर आगे विचार करेंगे।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : क्या किसी सरकार ने जिसके क्षेत्र में कोयले की खाने हैं, में संविहित निकाय बनाये हैं ? कोयला खान मालिकों द्वारा पेश की गई योजनाओं में से कितनी योजनाओं की जांच पड़ताल की गई है ?

†**श्री हाथी** : ३० योजनाओं की एक लम्बी सूची है। यदि माननीय सदस्य चाहें तो मैं उन्हें सारी योजनाओं का ब्यौरा बाद में दे सकता हूं। पश्चिम बंगाल सरकार संविहित जल बोर्ड बनाने के लिये सहमत हो गई है। झीरिया में पहिले से ही एक बोर्ड है।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : हम देखते हैं कि कोयला-क्षेत्रों में जल का संभरण सर्वथा कम है, इसलिये क्या सारी योजना के निश्चित होने के तक जल संभरण के लिये कोई अस्थायी उपाय किये जायेंगे।

†**श्री हाथी** : कुछ क्षेत्रो में कुएं खोदे गये हैं क्योंकि यह काम तत्काल किया जा सकता था। अन्य क्षेत्रों की योजना में कुछ समय लगेगा।

†**श्री अ० क० गोपालन**: क्या विद्यमान जल बोर्ड धन के अभाव से जल का पर्याप्त संभरण नहीं कर सकते, तो क्या केन्द्र उन्हें कोई वित्तीय सहायता देगा ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री हाथी :** ऋण और आर्थिक सहायता के रूप में कल्याण निधि से सहायता दी जा रही है।

†**डा० क० भ० राव :** इस बात को ध्यान में रख कर कि वर्तमान जल संभरण योजनायें अपर्याप्त हैं, क्या कोयला-खान मालकों ने सिंचाई और लोक निर्माण विभागों से निवेदन किया है कि वे कोयला क्षेत्रों में जल का पर्याप्त संभरण करने के लिये जांच पड़ताल कर के व्यापक योजनायें बनायें।

†**श्री हाथी :** कोयला खानों को कहा गया है कि वे अपनी योजनाओं पर राज्य सरकारों से बातचीत करें। उन योजनाओं की जांच राज्य सरकारें करती हैं। बड़ी योजनाओं की जांच केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय करता है ।

†**श्री स० चं० सामन्त :** क्या राज्य सरकारें और कोयला खानें व्यय उठायेंगी ?

†**श्री हाथी :** साधारणतया इस की जिम्मेदारी राज्य सरकारों और कोयला खान मालिकों पर है। परन्तु हम भी कोयला खान मजदूर कल्याण निधि से सहायता देते हैं। अतः यह व्यय तीनों उठाते हैं—खान-क्षेत्र में मुख्य कर खान मालिक, फिर राज्य सरकार और फिर केन्द्रीय सरकार व्यय उठाती हैं ।

†**श्री काशीनाथ पांडे :** क्या केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाये गये क्वार्टरों में भी जल देने का उत्तर-दायित्व राज्य सरकार का है ?

†**श्री हाथी :** प्रश्न क्वार्टरों में जल संभरण करने का नहीं है । प्रश्न कोयला क्षेत्रों में जल संभरण की योजनाओं के बारे में है। जल संभरण की योजना एक बार बनने पर स्वाभाविक है कि मजदूरों को जल दिया जाये । प्रश्न समूचे क्षेत्र में जल संभरण योजनाओं की कमी का है।

†**श्री दाजी :** अभी तक कितनी राज्य सरकारों ने योजना के बारे में उत्तर नहीं दिया है और जिन राज्य सरकारों ने उत्तर नहीं दिया है उन राज्यों में केन्द्रीय सरकार क्या कार्यवाही करेगी ?

†**श्री हाथी :** जैसा कि मैंने कहा था कि विभिन्न राज्य सरकारों ने जल संभरण की योजनायें बनाई हैं। कुछ उन्होंने बनाई हैं और कुछ खान मालिकों ने बनाई हैं।

†**श्री द्वा० ना० तिवारी :** यदि कोई कोयला खान-मालिक ऐसा न करें तो क्या उसे बाध्य करने के लिए कोई उपबन्ध है ?

†**श्री हाथी :** कोयला क्षेत्र में जल संभरण-योजनाओं का उत्तरदायित्व मुख्य रूप से राज्य सरकारों का है। परन्तु काम पर मजदूरों को जल देने का उत्तरदायित्व खान मालिकों पर है । हमने उन्हें सहायता दी है ताकि राज्य सरकारें और खान-मालिक दोनों ही मिलकर योजनायें बनायेंगे और केन्द्रीय सरकार आर्थिक सहायता या कुछ ऋण देगी।

अखबारों के लिये अखबारी कागज

†***४६१. श्री बासप्पा :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न अखबारों के लिये अखबारी कागज के वितरण में सुधार करने की आवश्यकता है ; और

(ख) यदि हां, तो अखबारों को होने वाली कठिनाई दूर करने के लिये क्या कार्यवाही की जाती है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)**: (क) और (ख). विभिन्न अखबारों को अखबारी कागज देने का प्रबन्ध स्वदेशीय अखबारी कागज की उपलब्धता विशेष रुपया भुगतान प्रबन्ध के अन्तर्गत होने वाले आयात और अखबारी कागज के लिए आवंटित कुल विदेशी मुद्रा से होने वाले आयात का ध्यान रखकर किया जाता है। देश में अखबारी कागज के भण्डारियों से कागज लेने में छोटे अखबारों को कुछ कठिनाई हुई थी। इन कठिनाइयों को दूर करने का ध्यान रखकर अखबारी कागज उद्योग के प्रतिनिधियों के परामर्श से यह निश्चय किया गया है कि उन्हें सीधे लाइसेन्स दिये जायें। जिनसे वे भण्डारियों से जब जी चाहे कागज ले सकते हैं।

श्रीमान्, मैं इस संबंध में सभा का ध्यान दिनांक १ मई, १९६२ के 'गजट आफ़ इण्डिया' में प्रकाशित एक लोक सूचना की ओर आकर्षित करता हूं।

डा० गोविन्ददास: क्या यह बात सही है कि अखबारों को जो पर्याप्त कागज नहीं मिल रहा है उसका कारण यह भी है कि हमारे देश में कागज का जितना उत्पादन होना चाहिए उतना नहीं हो रहा है? अभी एक सवाल किया गया नेपा मिल के सम्बन्ध में। चूंकि मैं भी उसी प्रदेश से आता हूं, इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि नेपा मिल में बहुत सी दिक्कतें हैं जिनकी वजह से वहां कागज का उत्पादन नहीं हो पाता। कभी बिजली की दिक्कत आती है और कभी कुछ और दिक्कत आती है। क्या इस सम्बन्ध में कुछ किया जा रहा है?

श्री मनुभाई शाह: इस संसद में जो विवरण रखा गया है नेपा मिल के बारे में उसमें बताया गया था कि जब हमने उसको हाथ में लिया तो उसका उत्पादन ३००० टन भी नहीं हो पाता था। आज उसकी कार्य क्षमता कुछ बढ़ी है और उसका उत्पादन २८ हजार टन हो गया है। हम उसको दुगना करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा भी तीन नई फैक्टरियां लगायी जा रही हैं।

†**श्री बासप्पा**: इन अखबारों को कुल कितना अखबारी कागज दिया गया और इनकी आवश्यकताओं का निर्धारण कैसे किया जाता है?

†**श्री मनुभाई शाह**: प्रमाणित विक्रय के आधार पर जिसे प्राधिकृत लेखा परीक्षक प्रमाणित करते हैं, निर्धारण होता है और अखबारों के रजिस्ट्रार स्वयं भी तसल्ली के लिए कि प्रमाणपत्र ठीक है या नहीं उसकी पुनः जांच करते हैं। आवश्यकता ८५,००० से १,२५,००० तक की है। यदि अधिक कागज उपलब्ध हो तो, अधिक प्रयोग हो सकता है।

†**श्री महेश्वर नायक**: क्या यह सच है कि कुछ अखबारों ने अपने विक्रय से ज्यादा अखबारी कागज ले लिया था और यदि हां, तो क्या जिन रचनाओं को कठिनाई हो रही है, उन्हें इस अधिक कोटा में से कागज नहीं दिया जा सकता?

†**श्री मनुभाई शाह**: शायद दोनों प्रश्न का आपस में कोई संबंध नहीं है। जहां तक प्रमाणपत्रों का संबंध है, वे चार्टर्ड लेखापाल तथा लेखा परीक्षक देते हैं और काफी विश्वसनीय होते हैं। फिर, हम भी उनकी जांच करते हैं। यदि माननीय सदस्य १ मई, १९६२ को जारी किये गये हमारे नोटिस को देखें तो देखेंगे कि हमने छोटे अखबारों के हितों की रक्षा करने का प्रयत्न किया है। छोटे अखबारों में भाषाई अखबार आते हैं जिन्हें हमने आवश्यकता का प्रायः शतप्रतिशत कागज दिया है। हम तो बड़े अखबारों के साथ ही कड़े बने हैं। विदेशी मुद्रा की कमी के कारण और देश में अखबारी कागज की कम उपलब्धता के कारण हमने निर्धारित किया है कि जिनका विक्रय ही १०,००० से १५,००० प्रतियों का हो, उन्हें हम विक्रय में अधिकतम २० प्रतिशत वृद्धि करने की अनुमति दे सकते हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री भक्त दर्शन : श्रीमान्, क्या माननीय मंत्री जी के ध्यान में यह बात आई है कि बहुत से समाचारपत्रों ने---खासकर अंग्रेजी के समाचारपत्रों ने--अपने कोटे से ज्यादा न्यूज़प्रिन्ट ले कर उस का दुरुपयोग किया है ? यदि हां, तो उन के खिलाफ़ क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री मनुभाईशाह : लोगों में यह खयाल बहुत ज्यादा है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है, क्योंकि जो लोग समाचारपत्र चलाते हैं, उन का प्राइमरी मोटिव न्यूज़-प्रिन्ट को उस में इस्तेमाल करने का होता है । लेकिन यह ज़रूर है कि कुछ न कुछ ब्लैक-मार्केटिंग होता है ।

†**श्री श्याम लाल सर्राफ :** क्या माननीय मंत्री को विदित है कि कम महत्व के या कम महत्वपूर्ण स्थानों के अखबारों को भी अखबारी कागज़ प्राप्त करने में कठिनाई होती है और मंत्री जी को विदित है, तो कागज़ उपलब्ध करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

†**श्री मनुभाई शाह :** मैं माननीय सदस्य या सदस्यों से निवेदन करता हूं कि यदि वे देखते हैं कि नीति को उदार बनाने के बाद भी किसी विशेष अखबार को कठिनाई होती है, तो मैं एक-एक मामले की जांच करने को तैयार हूं ।

†**श्री नी० श्रीकान्तननायर :** क्या अखबारों से, विशेषकर छोटे अखबार को अब भी कुल कोटे का कुछ प्रतिशत कागज़ नेपा का लेना पड़ता है और यदि हां, तो यह प्रतिशत क्या है ?

†**श्री मनुभाई शाह :** अनिवार्यता कुछ नहीं है । यह स्वदेशीय उत्पादन है । स्वाभाविक है कि प्रयोग का मुख्य आधार स्वदेशीय कागज़ होगा । हमने अखबारों को बताया है कि कोटा में ५० प्रतिशत नेपा का कागज और ५० प्रतिशत आयातित कागज़ होगा ।

†**श्री उमानाथ :** क्या यह सच है कि व्यक्तियों को पर्मिट लेने के लिए प्राय दिल्ली आना पड़ता है और यदि हां, तो सरकार क्या कार्यवाही करेगी ताकि उन्हें दिल्ली आये बिना ही कोटा मिल जाये ?

†**श्री मनुभाई शाह :** ऐसी स्थिति नहीं है ।

श्री सरजू पाण्डेय : क्या माननीय मंत्री को इस बारे में कोई शिकायत मिली है कि लखनऊ से निकलने वाले **जनयुग** अखबार को पिछले कई सालों से उस का कोटा नहीं मिला है ?

अध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री ने कहा है कि जिस किसी अखबार के बारे में शिकायत हो, वह उन को भेज दी जाये ।

†**श्री वेंकटा सुब्बैया :** क्या अपनी जरूरत से ज्यादा लिये गये अखबारी कागज को काले बाजार में बेचने के मामलों की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया है और यदि हां, तो क्या कार्यवाही की गयी है ?

†**अध्यक्ष महोदय :** उन्होंने उस प्रश्न का उत्तर दे दिया है ।

†**श्री मनुभाई शाह :** मैंने ठीक उसी बात का उत्तर दिया है ।

पंडित ज्वा० प्र० ज्योतिषी : क्या शासन ने इस बात की जांच-पड़ताल की है कि अखबारों के अतिरिक्त और दूसरा साहित्य भी न्यूज़-प्रिन्ट पर छपता है ? अगर हां, तो उन पब्लिकेशन्ज़ के खिलाफ़ क्या कार्यवाही की गई है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री मनुभाई शाह : इस मामले में हमारी बड़ी हमदर्दी है, क्योंकि न्यूज़-प्रिन्ट काफ़ी सस्ती चीज़ है और हम ने न्यूज़-प्रिन्ट का उत्पादन करना है न सिर्फ अखबारों को देने के लिए, बल्कि, जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा है, सस्ती किताबें तैयार करने के लिए भी। फ़िलहाल हम मजबूर हैं कि हम इस बारे में इतना ज्यादा नहीं कर सकते, लेकिन मैं यह आश्वासन देना चाहता हूं कि हमारा इरादा है कि ज्यादा से ज्यादा न्यूज़-प्रिन्ट बनाया जाये और लाया जाये और सस्ती किताबें तैयार करने के लिए दिया जाये।

†**अध्यक्ष महोदय :** अगला प्रश्न।

†**श्री हेम बरूआ :** औचित्य प्रश्न के हेतु, श्रीमन्। माननीय मंत्री ने अभी अभी एक प्रश्न के उत्तर में बताया कि कुछ समाचारपत्रों ने अपनी जरूरत से ज्यादा अखबारी कागज नहीं लिया है। जहां तक मैं समझ पाया हूं, उन्होंने वही कहा है। प्राक्कलन समिति ने अपनी साठवीं रिपोर्ट में यह साफ साफ लिखा है कि कुछ अखबारों की बिक्री के ब्यौरों में काफी गड़बड़ी है और वे ज्यादा अखबारी कागज ले लेते हैं। मेरे विचार से औचित्य प्रश्न यह है कि माननीय मंत्री के कथन में और प्राक्कलन समिति की रिपोर्ट में कही गयी बात में मेल नहीं बैठता है।

†**अध्यक्ष महोदय :** यहां कोई औचित्य प्रश्न नहीं है। प्राक्कलन समिति ने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है। सरकार चाहे उससे सहमत हो या न हो। सरकार ने अपनी राय या अपनी जानकारी के अनुसार तथ्य बता दिये हैं। माननीय सदस्य केवल अनुपूरक प्रश्न पूछने का अवसर चाहते थे और अब उन्होंने औचित्य प्रश्न के रूप में वह प्रश्न पूछा है। यहां कोई औचित्य प्रश्न नहीं है। अगला प्रश्न।

†**श्री हेम बरूआ :** मुझे बहुत गलत तरीके से समझा गया है और पेश किया गया है।

†**अध्यक्ष महोदय :** मुझे बहुत खेद है अगर वह यह कहते हैं कि मैंने उन्हें गलत तरीके से पेश किया है। मैंने उन्हें बहुत ही अच्छे तरीके से सामने रखा है। अब तो वह मुझे गलत समझ रहे हैं। मैंने उन्हें कभी गलत नहीं समझा। श्री बाल्मीकी।

मध्य प्रदेश में सरकारी क्षेत्र की परियोजनायें

+

†*४६३. { **श्री वीरेन्द्र बहादुर सिंह :**
श्री विद्या चरण शुक्ल:

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री द्वारा हाल में की गई इस अपील की ओर आकर्षित किया गया है कि मध्य प्रदेश के पिछड़े होने और भारत के मध्य में स्थित होने के कारण वहां सरकारी क्षेत्र में और अधिक परियोजनायें स्थापित की जायें और

(ख) यदि हां, तो उपरोक्त वक्तव्य पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) और (ख). विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

जी हां। सरकारी क्षेत्र की परियोजनाएं स्थापित करने के मामले में सरकार का दृष्टिकोण यह है कि अन्य बातें लगभग एक जैसी होने पर प्राथमिकता उन राज्यों को दी जाती है जिन्हें अभी तक इस सम्बन्ध में लाभ का उचित हिस्सा नहीं मिला है। इस स्थूल दृष्टिकोण के साथ सरकार उन परियोजनाओं के लिए स्थान के चुनाव से सम्बद्ध ब्यौरों की छानबीन, अक्सर तदर्थ तकनीकी समितियों की मदद से, करती है। इस सम्बन्ध में सभी राज्यों की उचित मांगों पर यथोचित ध्यान दिया जाता है।

†**श्री बीरेन्द्र बहादुर सिंह** : क्या मध्य प्रदेश सरकार ने इस विषय में औपचारिक रूप से भारत सरकार को लिखा है?

†**श्री कानूनगो** : जी नहीं। हमें मुख्य मंत्री से कोई पत्र नहीं मिला है।

डा० गोविन्द दास : क्या यह बात सही है कि जिस समय मध्य प्रदेश का इतना बड़ा प्रदेश बनाया गया था उस समय यह आश्वासन दिया गया था कि वहां पर अधिक से अधिक उद्योग धंधों की स्थापना की जायगी। माननीय मंत्री जी ने जो स्टेटमेंट रखा है उसको देखने से कोई सन्तोषजनक बात निकलती हो, ऐसा पता नहीं चलता है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या इस सम्बन्ध में आगे भी और कोई विचार किया जा रहा है?

†**श्री कानूनगो** : इस स्टेटमेंट को देखने से माननीय सदस्य को पता चलेगा कि बहुत कीमती प्राजक्ट्स वहां रखे गये हैं दूसरी स्टेट्स के मुकाबले में। वहां पर ज्यादा पैसा खर्च किया गया है। वहां के जो नेचुरल रिसोर्सिस हैं उसी के आधार पर दूसरे उद्योग भी होंगे।

†**श्री अ० सिं० सहगल** : क्या उस राज्य में जनता मोटरगाड़ी परियोजना स्थापित करने का कोई प्रस्ताव मध्य प्रदेश सरकार ने रखा है?

†**श्री कानूनगो** : जी नहीं।

डा० गोविन्द दास : माननीय मंत्री जी ने कहा कि वहां पर जो प्राकृतिक चीजें हैं, उनको ध्यान में रख कर वहां के लिए योजना बनाई जा रही है। क्या माननीय मंत्री जी को मालूम है कि बस्तर और सरगूजा इत्यादि स्थानों में बहुत सी प्राकृतिक चीजें हैं और इस तरफ सरकार का कोई ध्यान नहीं गया है?

†**श्री कानूनगो** : योजना आयोग को सभी प्राकृतिक संसाधनों तथा उनके उपयोग की आवश्यकता के बारे में जानकारी है। लेकिन मैं यह बताना चाहता हूं कि आज मध्य प्रदेश में स्थित सरकारी क्षेत्र की परियोजनाओं में अन्य राज्यों की परियोजनाओं की तुलना में काफी अधिक पैसा लगा हुआ है और उसकी कीमत कहीं अधिक है।

---

†मूल अंग्रेजी में

छोटे पैमाने के उद्योगों के उत्पादों के निर्यात की योजना

+

†*४६४. { श्री प्र० चं० बरूआ :
श्री बासप्पा :
श्री वेंकटासुब्बया :
श्री भागवत झा आजाद :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के राज्य व्यापार निगम ने छोटे पैमाने और मध्यम दर्जे के उद्योगों के उत्पादों का निर्यात बढ़ाने और देश के निर्यात व्यापार में विविधता लाने के लिए एक नई योजना बनाई है; और

(ख) यदि हां, तो योजना की मुख्य मुख्य बातें क्या हैं ?

†वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) जी हां।

(ख) विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

योजना की मुख्य मुख्य बातें इस प्रकार हैं :--

(१) निर्यात योग्य वस्तुओं के चुनाव में निर्माताओं को सहायता ;

(२) शोभनीय तथा बंडल बांधने की चीजें, बिक्री साहित्य, विवरण पुस्तिकाएं और मूल्य सूचियां आदि तैयार करना ;

(३) निर्यात के आर्डर प्राप्त करने में सुविधाएं देना और उन्हें कार्यान्वित करने में, जहाजों में जगह, समुद्री तथा निर्यात जोखिम बीमा आदि की व्यवस्था करना, जहाजी कागजात तैयार करना और विदेशी खरीदारों के साथ पत्र-व्यवहार करना।

(४) राज्य व्यापार निगम द्वारा पुष्ट किये गये आदेशों के सम्बन्ध में जहाजी कागजात प्रस्तुत करने पर माल की कीमत का ६५ प्रतिशत इकट्ठा करने के लिए निर्माताओं को ऋण की सुविधाएं देना।

(५) निर्यात बिक्री के प्रशिक्षण पाठ्यक्रम देना।

†श्री प्र० चं० बरुआ : चूंकि अब एक अलग विदेशी व्यापार विभाग खोला जा चुका है, क्या सरकार की ऐसी कोई योजना है कि वह विभाग या राज्य व्यापार निगम सीधे ही छोटे पैमाने के उद्योगों की वस्तुओं का निर्यात अपने हाथ में ले ले ?

†श्री मनुभाई शाह : वह काम राज्य व्यापार निगम करेगा लेकिन हम प्रत्यक्ष आयातकर्ता या निर्यातकर्ता की बजाय एक सहायक के रूप में काम करेंगे। छोटे उद्योगों को निर्यात सहायता की योजना से ४४० उद्योगों का ध्यान आकर्षित किया है और आशा है कि वह याजना आगे बढ़ेगी।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या अन्तर्राष्ट्रीय अभिकरणों या संस्थाओं से कोई सहायता लेने के विचार हैं ?

†**श्री मनुभाई शाह** : हम उस प्रत्येक व्यक्ति की मदद करने जा रहे हैं जो इस देश से किसी भी चीज़ का निर्यात करना चाहता है। यह हमारा आश्वासन है और न केवल एक बल्कि कई अभिकरणों को बढ़ाया जा सकता है।

†**श्री वेंकटासुब्बैया** : क्या राज्य व्यापार निगम केवल छोटे पैमाने के या मंझले उद्योगपतियों और विदेशी निर्यातकर्ताओं के बीच सम्पर्क रखने वाली एक संस्था मात्र होगी या वह इस प्रयोजन के लिए वित्त देने वाले निगम के रूप में भी कार्य करेगा ?

†**श्री मनुभाई शाह** : सच्ची बात यह है कि छोटे उद्योगपति के सामने कई कठिनाइयां हैं जब कि बड़े उत्पादकों और निर्यातकर्ताओं के मामले में ऐसी बात नहीं है। मुख्य चीज जो छोटे पैमाने के उद्योगों की परियोजनाओं की उन वस्तुओं का जिनका निर्यात किया जाना है, किस्म नियंत्रण करना है। इसलिए यह योजना राज्य व्यापार निगम के सहायक के रूप में चलायी जायगी और इस योजना के अधीन, निर्यात आर्डरों के लिए लगभग ९५ प्रतिशत धन राज्य व्यापार निगम के जरिये छोटे पैमाने के उद्योगों को दिया जायगा।

श्री कमल नयन बजाज : मिनिस्टर साहब ने इस बात की खबरदारी की है क्या कि स्माल स्केल इंडस्ट्रीज़ को अपनी चीज़ों को एक्सपोर्ट करने के वास्ते सेल्ज़ आर्गेनाइजेशन की जिस तरह की आवश्यकता होनी चाहिये, उसकी कमी है और इसकी बदौलत बहुत कुछ उन्हें दिक्कत होती है। मैं जानना चाहता हूं कि इस दिक्कत को दूर करने के लिए क्या कुछ किया जा रहा है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : बहुत कमियां हैं और इसलिए उनको आने वाले सालों में बड़ी कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। बहुत सी एजेंसीज़ इस मुल्क में और बाहर भी खड़ी करनी पड़ेंगी। मैं आश्वासन देना चाहता हूं कि जल्दी से जल्दी इन चीज़ों के लिए एक्सपोर्ट एजेंसीज़, एक्सपोर्ट हाउसिज़, इंटरनेशनल ट्रेडिंग कम्पनीज़ इस मुल्क में कायम की जायेंगी।

†**श्री त्यागी** : क्या प्रतियोगिता दूर करने की दृष्टि से सरकार ने ऐसे कोई तरीक ढूंढ़ निकाले हैं जिनसे राज्य व्यापार निगम विदशी व्यापारियों को अपन मूल्य बताने से पहले सुप्रसिद्ध निर्यातकर्ताओं से परामर्श ले सके ?

†**श्री मनुभाई शाह** : वह आवश्यक नहीं है। वास्तव में उत्पादन मूल्य मालूम रहना है। फिर, जो लोग निर्यात करत हैं उन्हें दुनिया के बाजारों में प्रचलित मूल्य भी मालूम रहत हैं। इस लिये हम यही करने की कोशिश करेंगे कि सब से ऊंची कीमत पर बेचा जाये और कम से कम कीमत पर उत्पादन किया जाय।

†**श्री त्यागी** : क्या सरकार के ध्यान में यह बात आयी है कि कई मामलों में राज्य व्यापार निगम द्वारा बनाय गये मूल्य पहले गैर-सरकारी पार्टियों द्वारा विदेशों को बनाये गये मूल्य से अधिक ऊंचे थे ?

†**श्री मनुभाई शाह** : मैं इसे एक सामान्य बात नहीं मानूगा लेकिन मोट तौर पर राज्य व्यापार निगम सब से कम टेंडर और सब से ऊंची बोली प्राप्त करन के बारे में बहुत अधिक जागरूक रहता है। लेकिन यदि माननीय सदस्य किसी खास ठेके के बारे में मुझे बताय तो मैं उस मामल की जांच करने के लिये तैयार हूं।

---

†मूल अंग्रेजी मे

†**श्रीमती सावित्री निगम** : क्या कुटीर उद्योगों की वस्तुओं का निर्यात व्यापार बढ़ाने के लिये विदशों में नये शो-रूम और एम्पोरियम खोलने का सरकार का विचार है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : जी हां ।

†**श्री भागवत झा आजाद** : विवरण में बताये गये विभिन्न उपायों के फलस्वरूप इन बस्तुओं के निर्यात में कितनी वृद्धि होने की संभावना है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : यह योजना अभी पन्द्रह दिन पहले शुरू हुई है और मैं अभी कुछ नहीं बता सकता । लेकिन मैं माननीय सदस्य को आश्वासन दे सकता हूं कि ज्यों ज्यों हमें जानकारी मिलेगी हम इस योजना के परिणाम के बारे में सभा को जानकारी देते रहेंगे ।

†**श्री इकबाल सिंह** : विवरण में, निर्यात् के आर्डर प्राप्त करने की सुविधाओं के बारे में कहा गया है । क्या सरकार पंजाब में जहां अधिकतर छोट पैमान के उद्योग चल रहे हैं, राज्य ब्यापार निगम का कोई शाखा कार्यालय या प्रादेशिक कार्यालय खोलने जा रही है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : यह कार्यवाही के लिये सुझाव है । हम न केवल पंजाब में लुधियाना, अम्बाला, होशियारपुर जैसे शहरों में बल्कि देश के कई दूसरे शहरों में भी कार्यालय खोलने की उम्मीद करते हैं । मैं यह बतलाना चाहता था कि ये सब बातें हम सरकारी अधिकारणों के जरिये ही नहीं करने जा रहे हैं । प्रत्यक निर्माता और उत्पादक को ऐसे अभिकरणों के जरिये जिन्हें वे वास्तव में स्थापित कर सकते हैं, निर्यात व्यापार बढ़ान के लिये प्रोत्साहन देना होगा ।

†**श्री श्याम लाल सर्राफ** : क्या केवल विशिष्ट वस्तुओं का निर्यात बढ़ाने या छोट पैमान के उद्योगों मे तैयार की गयी प्रत्येक वस्तु को खुली छट देने का विचार है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : हम ठीक उसी तरह से आगे बढ़ रहे हैं कि केवल उन्हीं चुनी हुई वस्तुओं या विशिष्ट वस्तुओं का निर्यात बढ़ाया जाय, जो काफी मात्रा में निर्यात की जा सकती हैं और जिनके निर्यात से ऊंची आमदनी हो सकती है ।

†**श्री हेम बरुआ** : क्या सरकार का ध्यान प्रायः इस आलोचना की ओर दिलाया गया है कि राज्य-व्यापार निगम निर्यात बढ़ाने में असफल हुआ है क्योंकि उसके अधीन सारे कर्मचारी असैनिक कर्मचारी हैं । यदि हां, तो क्या सरकार ने इस आलोचना की छानबीन की है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : यह इस प्रश्न से उत्पन्न नहीं होता हमें इस प्रश्न का उत्तर देने का अवसर मिला था हमें यह आरोप स्वीकार नहीं है । लेकिन हम अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में यथा संभव अधिक से अधिक भाग लेकर राज्य व्यापार निगम को इस देश के लिये निर्यात संवर्धन का एक मुख्य साधन बना कर उसमें और अधिक सुधार करना चाहते हैं ।

†**श्री नम्बियार** : इस बात को देखते हुये कि दक्षिण में हथे करघा उद्योग संकट में है, क्या उस उद्योग द्वारा तैयार किये गये माल को दूसरे माल की तुलना में निर्यात के लिये प्राथमिकता दी जायगी ?

†**श्री मनुभाई शाह** : दक्षिण या उत्तर में उस उद्योग के सामन कोई संकट नहीं है । आज हथ-करघा उद्योग में पहले की अपक्षा शायद कम स्टाक है और हम निर्यात तथा देश में उपभोग, दोनों को ही बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री कमल नयन बजाज** : इस बात को देखते हुये कि छोटे पैमाने के उद्योग में उत्पादन लागत कुछ अधिक ऊंची है, क्या निर्यात, के लिये बड़े पैमाने के उद्योग के साथ उसे संग्रहित करने की कोई योजना है जहां उत्पादन लागत कम हो, ताकि अधिक कुटीर उद्योगों को उस संग्रह में से राज सहायता दी जा सके ।

†**श्री मनुभाई शाह** : मुझे खेद है कि प्रश्न के पहले भाग में कही गयी बात मैं मंजूर नहीं कर सकता । छोटे पैमान के क्षेत्र में ऐसे कई उद्योग हैं जिनकी उत्पादन लागत बड़े उद्योगों की उत्पादन लागत से कहीं कम है और ठीक इसके विपरीत भी है जहां बड़े उद्योगों में व्यापक रूप से मशीनों का प्रयोग होता है और उन्हें कम लागत की सुविधा मिलती है । संग्रह की कल्पना अच्छी है और हम उसे हर उद्योग में लागू करने जा र हे हैं । हम पांच संग्रह पहले ही शुरू कर चुक हैं ।

†**श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या निर्यात-वृद्धि के लिये किसी अन्तर्राष्ट्रीय अभिकरण या संस्था से सहायता मांगी जायगी ?

†**श्री मनुभाई शाह** : जी हां । मैंने बताया कि हम प्रत्येक अभिकरण का स्वागत करते हैं जो निर्यात बढ़ाने और हमार विदेशी व्यापार को अधिक अच्छी तरह सुदृढ़ करने और बढ़ाने में मदद कर सके । यदि कोई संस्था हमारी मदद करना चाहती हो तो हम उसका स्वागत करेंगे ।

रूस में भारतीय राजदूत

†***४६६. श्री केप्पन** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रूस में हमार राजदूत की गतिविधि पर कोई प्रतिबन्ध है ;

(ख) यदि हां, तो प्रतिबन्ध किस प्रकार के हैं ; और

(ग) क्या भारत में रूसी राजदूत पर भी वैसे प्रतिबन्ध हैं ?

†**वैदेशिक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन)** : (क) और (ख). ज्ञात हुआ है कि सोवियट संघ में नियुक्त सभी राजदूतों को जिनमें भारतीय राजदूत भी शामिल हैं, मास्को से ४० किलोमीटर के घेरे से बाहर जान के लिये सोवियत समाजवादी गणतंत्र संघ के वैदशिक कार्य मंत्रालय के प्रोटोकोल डिवीजन को ४८ घंट पहले सूचना देनी होती है ।

(ग) भारत सरकार भारत में नियुक्त विदशी राजदूतों पर जिनमें रूसी राजदूत भी शामिल है, कोई प्रतिबन्ध नहीं लगाती ।

†**श्री केप्पन** : क्या हमारे राजदूत पर से यह प्रतिबन्ध हटा देने के लिय सरकार ने कोई कार्य-वाही की है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : यदि वह सभी पर लागू है, तो वह एक के लिये अलग कैसे हो सकता है ?

श्री रघुनाथ सिंह : मैं यह जनना चाहता हूं कि जैसा ब्यवहार हमार राजदूत के साथ रूस वाले करते हैं वैसा ही ब्यवहार हिन्दुस्तान के भीतर हम लोग उन के साथ क्यों नहीं करते ?

अध्यक्ष महोदय : जवाब तो दे दिया उन्होंने ।

†**श्री भागवत झा आजाद** : क्या भारत सरकार ने रूसी सरकार को यह लिखा है कि जिस हद तक हम अपन दश में उनके राजदूत को घूमने फिरने की स्वतंत्रता दे रहे हैं उसी हद तक वे भी स्वतंत्रता क्यों नहीं देते, और यदि हां, तो उसका क्या नतीजा निकला ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन** : हमारा ऐसा विचार नहीं है। हम रूसी सरकार को क्यों लिखें ?

†**श्री मुहम्मद ताहिर** : क्या सोवियत समाजवादी गणतंत्र संघ में जाने वाली संसदीय प्रतिनिधि मंडलों या दूसरे प्रतिनिधि मंडलों पर ऐसा कोई प्रतिबन्ध लगाया गया है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : यह हमारा संबंध राजदूतों से हैं। संसद् सदस्य अगली बार आयेंगे।

†**श्री नाथ पाई** : रूस सरकार का तर्क यह रहा कि ये प्रतिबन्ध उन देशों के राजनयिकों की गतिविधि पर लगाये गये हैं जो सोवियत संघ के घनिष्ट मित्र नहीं हैं ताकि उन्हें एसे काम करने से जो सोवियत संघ के हित में न हो रोका जा सके। भारत सरकार निश्चय ही उस श्रणी में नहीं आती। इस बात को देखते हुये क्या भारत सरकार इस सवाल पर बातचीत करेगी कि हमारे राजदूत पर से यह प्रतिबन्ध हटा लिया जाय ?

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन** : जैसा कि मैंने अपने उत्तर में बताया है यह एक सामान्य प्रतिबन्ध है जो सोवियत संघ में नियुक्त सभी राजदूतों पर लगाया गया है। हमें शिकायत करने का कोई कारण नहीं है क्यों कि कि हमारे राजदूत के साथ हमशा ही अत्यधिक सद्भाव से व्यवहार किया जाता है।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : इस बात के बावजूद कि सोवियत संघ दूसरे देशों के साथ किस तरह का बर्ताव करता है, क्या यह सच है कि पंचशील के आधार पर भारत और सोवियत संघ के बीच अधिक मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित हो जाने के बाद भी ये प्रतिबन्ध जारी रहेंगे, और यदि हां, तो इस मामले पर सोवियत संघ के साथ बात चीत क्यों नहीं की गयी है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : तब सभी दूसरे देश इस पर आपत्ति करेंगे कि उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है, और भारत के साथ अधिक अच्छा व्यवहार किया जा रहा है।

†**श्री हरि विष्णू कामत** : जी नहीं। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं। पंचशील के आधार पर सोवियत संघ के साथ हमारे विशेष सम्बन्ध हैं और यह होते हुए भी प्रतिबन्ध जारी हैं। ऐसा क्यों है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : यह तो सोवियत संघ से पूछा जाना चाहिये कि क्या वास्तव में हमारे उनके साथ विशेष सम्बन्ध हैं, क्या वह हमें सभी दूसरे देशों के बराबर ही समझना चाहता है या हमें कुछ खास रियायतें देना चाहता है। उसकी नीति यह है कि वह हमें दूसरों के साथ एक ही वर्ग में शामिल करता है, जहां ये प्रतिबन्ध सभी देशों पर लगाये गये हैं। हम यहां यह नहीं निश्चय कर सकते कि उसे क्या करना चाहिये। यह तो सोवियत संघ की नीति का मामला है।

†**श्री हरि विष्णू कामत** : क्या सरकार ने सोवियत संघ के साथ इस मामले पर बातचीत की है ?

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन** : मैं पहले ही इस प्रश्न का उत्तर दे चुकी हूं।

†**श्री हरि विष्णू कामत** : औचित्य प्रश्न के हेतु। उसने यह प्रश्न टाल दिया है। क्या इस मामले पर कोई बातचीत हुई है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : शान्ति, शान्ति।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन** मैंने बता दिया है कि ये तिबन्ध सभी दूतावासों पर लागू होते हैं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है कि क्या सोवियत संघ के साथ पंचशील सम्बन्ध के आधार पर इस विषय में बातचीत हुई है ?

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन** : जी नहीं ।

†**श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या सोवियत संघ में हमारे राजदूत को ४० मील की सीमा के परे जाने के लिए अनुमति प्राप्त करने में कभी कोई कठिनाई हुई है ?

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन** : मैं बता चुकी हूं कि हमारे राजदूतों के साथ सब से अधिक सद्भावपूर्ण बर्ताव किया जाता है ।

†**श्री प्र० रं० चक्रवर्ती** : क्या सरकार ने निश्चित रूप से यह जान लिया है कि आवागमन सम्बन्धी प्रतिबन्ध दूसरों के लिए शिथिल नहीं किये गये हैं ?

†**अध्यक्ष महोदय** : मंत्री महोदय के पास जो भी जानकारी थी वह दी जा चुकी है। वह और क्या चाहते हैं ?

†**श्री नाथ पाई** : क्या ये प्रतिबन्ध उन देशों पर भी लागू होते हैं जिन्हें सोवियत संघ समाजवादी मित्रराष्ट्र कहता है ? माननीय मंत्री ने बताया कि ये प्रतिबन्ध सभी दूतावासों पर लागू होते हैं । क्या नमें उन देशों के राजदूत भी शामिल हैं जिन्हें सोवियत संघ समाजवादी देश कहता है ?

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन** : यह सवाल सोवियत संघ से पूछा जाना चाहिये ।

कुछ माननीय सदस्य उठे—

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य इस प्रश्न से बहुत उत्तेजित हो रहे हैं कि कुछ देशों का एक वर्ग या समुदाय है जिस पर ये तिबन्ध लगाये जा रहे हैं । माननीय मंत्री ने बताया कि सभी देशों पर यह प्रतिबन्ध लागू होते हैं । अब विशिष्ट प्रश्न यह है कि क्या ये प्रतिबन्ध उन देशों पर लागू होते हैं जिन्हें सोवियत संघ समाजवादी देश कहता है ।

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन** : मैं यह बता दूं कि कोई भी ४० किलोमीटर के घेरे से आगे जा सकता है अगर वह सोवियत वैदेशिक कार्य मंत्रालय को ४८ घटे पहले सूचना दे देता है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या वह उन देशों पर भी लागू होते हैं ?

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन** : मुझे यह मालूम नहीं कि यह उन पर लागू होते हैं या नहीं ।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : प्रधान मंत्री यहां हैं वे यह बता सकते हैं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न पूछा गया और उत्तर देने वाले मंत्री ने कहा कि उन्हें मालूम नहीं है । तब हमें अगला प्रश्न लेना पड़ता है ।

†**श्री नाथ पाई** : क्या प्रधान मंत्री जानकारी देंगे ?

†**अध्यक्ष महोदय** : यह पूछने का कोई तरीका नहीं है । क्या प्रधान मंत्री उत्तर दे सकेंगे ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री और अणु शक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : जहां तक मुझे मालूम है यह एक सामान्य नियम है जो सभी पर लागू होता है। लेकिन मुझे निश्चित रूप से मालूम नहीं। जो भी हो, हमारे राजदूतों को कहीं भी, सूचना देकर, जाने में कोई कठिनाई नहीं होती (**अन्तर्बाधा**)

†**अध्यक्ष महोदय** : अगला प्रश्न ।

लाख उद्योग

†*४६७. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लाख उद्योग के लिये अतिरिक्त स्टाक (बफर स्टाक) बनाने की योजना चालू की गई है ;

(ख) क्या वह योजना दाना लाख की कुछ किस्मों पर ही लागू की जायेगी, और यदि हां, तो क्यों

(ग) 'बफर स्टाक' का उपयोग किस निम्नतम मूल्य के बाद किया जायेगा ; और

(घ) पश्चिमी बंगाल के पुरुलिया में स्टाक की खरीद और उसके संग्रह के लिये क्या व्यवस्थायें की गई हैं ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) जी, हां। अतिरिक्त स्टाक बनाना आरम्भ हो गया है।

(ख) जी, हां। कुछ प्रमुख किस्मों तक उनकी व्यावहारिक आवश्यकताओं के कारण सीमित है परन्तु अतिरिक्त स्टाक बनाने का प्रभाव, चाहे यह कुछ किस्मों तक ही सीमित हो, सारी लाख पर पड़ेगा।

(ग) जब तक निम्नतम स्तर तक नहीं पहुंच जाता, अतिरिक्त स्टाक के लिये खरीद जारी रहेगी जिसका समय समय पर निर्यात के लिये निर्धारित निम्नतम मूल्य से सम्बन्ध है।

(घ) पुरुलिया जिले के लिये बलरामपुर में एक केन्द्र खोला गया है। गोदाम में पहले लाख का बीज आता है। उसका विश्लेषण करने के बाद संभरणकर्ता को पूरा मूल्य चुका दिया जाता है। फिर इस स्टाक को भंडार के लिये कलकत्ता भेज दिया जाता है।

†**श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या माननीय सदस्य को पता है कि आन्तरिक मूल्य और निर्यात मूल्य में अन्तर होने के कारण कई कारखाने बन्द हो गये हैं? इस अतिरिक्त स्टाक से यह अन्तर किस हद तक कम होगा और इससे किस हद तक कारखाने पुनः खुल सकेंगे ?

†**श्री मनुभाई शाह** : हमारा इरादा राष्ट्रीय उत्पादन के लगभग २५ से ३० प्रतिशत तक का अतिरिक्त स्टाक बनाना है। वह लगभग १½ से २ लाख मन बनता है। जब हम मंडी से इतना माल ले लेंगे तो स्वभावतः ही कारखानों के लिये बाकी माल मंडी में बेचना आसान होगा।

†**श्री इन्द्रजीत गुप्त** : किसी अन्य स्थान की लाख की अपेक्षा पुरुलिया लाख की मांग बहुत अधिक है। अतः क्या सरकार पुरुलिया लाख के लिये अधिक समाहार केन्द्र स्थापित करने के बारे में विचार करेगी ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री मनुभाई शाह** : हम अधिक केन्द्र खोलेंगे ।

†**डा० पं० शा० देशमुख** : इस अतिरिक्त स्टा क का समाहार किस अभिकरण द्वारा किया जा रहा है और अब तक कितनी मात्रा का समाहार किया गया है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : वर्तमान अभिकरण राज्य व्यापार निगम है और स्टाक १½ से २ लाख मन लाख का होगा ।

†**डा० पं० शा० देशमुख** : मैं अब तक खरीदी गई मा ा के बारे में जानना चाहता था ।

†**श्री मनुभाई शाह** : लगभग २८,००० मन ।

†**श्री वीरेन्द्र बहादुर सिंह** : क्या दो वर्ष पूर्व भारतीय लाख उपकर समिति के सिफारिशों के अनुसार, मध्य प्रदेश में राजनन्दगांव में कोई भंडार गोदाम स्थापित किया गया है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : मुझे ठीक स्थान का पता नहीं है । परन्तु, जैसा मैंने अभी बताया, हम उत्पादन केन्द्रों में अधिक डिपो खोलना चाहते हैं ताकि किसान लोग समर्थन मूल्य से अधिकाधिक लाभ उठा सकें ।

†**डा० पं० शा० देशमुख** : क्या समाहार-कार्य में सहायता देने के लिये किसी सहकारी समिति ने कहा है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : अभी तक नहीं । कल ही एक सहका ी समिति ने मुझे पत्र भेजा है ।

†**श्रीमती रेण चक्रवर्ती** : इस मौसम के लिये क्या निम्नतम मूल्य रखा गया है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : मैं यह नहीं बताऊंगा । परन्तु मैं माननीय सदस्य को आश्वासन दिलाता हूं कि मूल्य का निर्माण निर्यात से सम्बन्ध होगा और उत्पादक को अधिकतम लाभ दिये जायेंगे ।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न काल समाप्त हो गया है ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

छोटे तथा कुटीर उद्योगों में प्रशिक्षण

*४६२. **श्री बाल्मीकी** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छोटे तथा कुटीर उद्योगों में विशेष प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिये अप्रैल, १९६० से अप्रैल, १९६२ तक की अवधि में कितने व्यक्ति विदेशों को भेजे गये ; और

(ख) किस देश को सब से अधिक व्यक्ति भेजे गये थे ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो) : (क) इस अवधि में छोटे तथा कुटीर उद्योगों में विशेष प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिये ३० अधिकारी विदेश भेजे गये ।

(ख) डेन्मार्क ।

राष्ट्रीय आय

†*४६५. **श्री हो० ना० मुकर्जी** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोई ऐसे आंकड़े उपलब्ध हैं जिनसे यह पता लगे कि पिछले पांच वर्षों में मंजूरी पाने वालों तथा अन्य निर्धारित आय वर्ग के व्यक्तियों की कितनी और कैसी आय केदारों और विविध लाइसेंस, परमिट, कोटा तथा रियायत पाने वाले व्यक्तियों के हाथ में चली गई है ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) राष्ट्रीय औसत प्रति व्यक्ति आय को काफी बढ़ाने के लिये जो अर्धास्थर रही है, क्या प्रयास किया जा रहा है और उसमें कितनी सफलता मिली है ?

†**योजना तथा श्रम और रोजगार मंत्री (श्री नन्दा)** : (क) पर्याप्त सांख्यकीय आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। आय और दौलत के वितरण सम्बधी समिति के, जो इस समय आय के वितरण और धन के एकीकरण में प्रवृत्ति का पता लगाने में व्यस्त है, सूचना में अन्तर का पता लगाने और उसको दूर करने के उपाय सुझाने की आशा है

(ख) विकास की पंच वर्षीय योजनायें धीरे धीरे प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि के लिये बनाई जाती है। प्रति व्यक्ति आय (१९६०–६१) में मूल्य प्रथम और द्वितीय योजना अवधियों से १६ प्रतिशत बढ़े हैं। तृतीय योजना में यह १७ प्रतिशत और बढ़ जायेंगे।

औद्योगिक मजदूरों के लिये योगासन

†*४६८. **श्री ओझा** : क्या **श्रम और रोजगार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) औद्योगिक मजदूरों के स्वास्थ्य सुधार के लिये योगासन चालू करने की दिशा में क्या प्रगति हुई है ; और

(ख) अब तक कितने केन्द्र खोले गये और उसका क्या परिणाम निकला

†**श्रम और रोजगार मंत्रालय में श्रम मंत्री (श्री हाथी)** : (क) भारत सेवक समाज द्वारा कर्मचारी राज्य बीमा निगम से सहाय्य अनुदान पर अक्तूबर, १९६० से दिल्ली के बीमाशुदा औद्योगिक श्रमिकों के लिये योगासन की एक प्रमुख परियोजना चलाई जा रही है। दिल्ली में अंशदायी स्वास्थ्य सेवा योजना के अधीन भी उस योजना में आने वाले सभी व्यक्तियों के लिये योगासन की सुविधायें दी जा रही हैं।

(ख) कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अधीन ५ केन्द्र खोले गये हैं जहां ३१–१२–६१ तक १३३८ श्रमिकों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया। अंशदायी स्वास्थ्य सेवा योजना के अधीन आठ केन्द्र चल रहे हैं।

भवन निर्माण उद्योग में लगे राजों का प्रशिक्षण

†*४६९. **श्री दी० चं० शर्मा** :
श्री बालकृष्णन् :

क्या **श्रम और रोजगार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भवन-निर्माण उद्योग में लगे हुए राजों और अन्य मजदूरों को निर्माण का प्रशिक्षण देने के लिये कुछ प्रशिक्षण स्कूल स्थापित करने का प्रस्ताव है ;

(ख) क्या प्रस्ताव को ब्यौरेवार ढंग से तैयार कर लिया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो उसका विवरण क्या है

†**श्रम और रोजगार मंत्रालय में श्रम मंत्री (श्री हाथी)** : (क) भवन और निर्माण उद्योग में प्रशिक्षण की एक योजना विचाराधीन है।

(ख) और (ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

---

†मूल अंग्रेजी में

कर्मचारी राज्य बीमा योजना

†*४७०. { डा० रानेन सेन :
श्री दीनेन भट्टाचार्य :
डा० सरादीश राय :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री सरकार मुरमू :

क्या श्रम तथा रोजगार मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कर्मचारी राज्य बीमा योजना के कार्य की छानबीन करने के लिये जो आयोग तथा समितियां स्थापित की गई थीं उन्होंने कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अन्तर्गत बीमा शुदा श्रमिकों के परिवारों को भी सम्मिलित कर लेने की सिफारिश की है ; और

(ख) यदि हां, तो पश्चिमी बंगाल और बम्बई में बीमा शुदा व्यक्तियों के परिवारों को योजना के अन्तर्गत न लाये जाने के क्या कारण हैं ?

†श्रम और रोजगार मंत्रालय में श्रम मंत्री (श्री हाथी) : (क) जी, हां।

(ख) वृहत्तर बम्बई में २४ जनवरी, १९६२ से परिवार सम्मिलित कर लिये गये हैं। पश्चिम बंगाल में राज्य सरकार अस्पताल में रोगियों को भर्ती करने के लिये पर्याप्त व्यवस्था करने के बाद परिवारों को चिकित्सा सुविधा देगी।

बड़े अल्यूमिनियम कारखाने की स्थापना

†*४७१. श्री दा० रा० चावन : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयना जल-विद्युत् पर आधारित एक बड़े अल्युमिनियम कारखाने की स्थापना के लिये लाइसेंस दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सरकारी क्षेत्र में होगा या गैर-सरकारी क्षेत्र में ;

(ग) यदि यह गैर-सरकारी क्षेत्र में होगा, तो लाइसेंस प्राप्त करने वाली फर्म का नाम क्या है; और

(घ) कारखाने के कहां स्थापित किये जाने का प्रस्ताव है ?

†वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो) : (क) से (घ). कोयना जल-विद्युत् पर निर्भर रत्न गिरि जिले (महाराष्ट्र) में चिपलुन के समीप पोफली में एक २०,००० टन की क्षमता वाला अल्युमिनियम गलाने का कारखाना स्थापित करने के लिये बम्बई के मेसर्ज तेन्दुलकर इण्डस्ट्रीज (प्राइवेट) लिमिटेड को उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, १९५१ के अन्तर्गत लाइसेंस दिया गया है।

घाना के लिये भारतीय प्रविधिक कर्मचारी

†*४७२. श्री इन्द्रजीतलाल मल्होत्रा : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि घाना सरकार काफी संख्या में भारतीय प्रविधिक कर्मचारियों को अपनी सेवा में ले रही है ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो क्या इस प्रकार की किसी भर्ती के लिये घाना सरकार ने भारत सरकार से कहा है ?

†**वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन)** : (क) घाना सरकार ने भारत के कुछ प्रविधिक व्यक्तियों को रोजगार पर लगाया है ।

(ख) जी, हां। घाना सरकार ने अपनी विभिन्न सेवाओं के लिये कुछ प्रविधिक व्यक्ति भर्ती करने में हमारी सहायता ली है और ले रही है ।

केन्द्रीय नमक बोर्ड

*४७३. **श्री बिशनचन्द्र सेठ** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या यह सच है कि सरकार देश के नमक व्यवसाय की उन्नति हेतु एक स्वायत्तशासी केन्द्रीय नमक बोर्ड स्थापित करने का विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो उपरोक्त बोर्ड की स्थापना से क्या लाभ होगा ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो) : (क) जी, हां।

(ख) प्रस्तावित बोर्ड एक ओर तो नमक के वास्तविक विकास सम्बन्धी कार्य तथा दूसरी ओर नमक कारखानों में काम करने वाले मजदूरों का कल्याण सम्बन्धी कार्य अधिक अच्छी तरह कर सकेगा ।

कार्मिक संघों की सदस्यता की पड़ताल

†*४७४. **श्री नाथ पाई** : क्या **श्रम और रोजगार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १९६०–६१ में कार्मिक संघों की सदस्यता की पड़ताल का कार्य पूरा हो गया है ; और

(ख) यदि हां, तो कोयला खानों के कार्मिक संघों के सम्बन्ध में पड़ताल के परिणाम क्या हैं और मध्य प्रदेश की प्रत्येक खान के विभिन्न कार्मिक संघों की सदस्यता की क्या स्थिति है ?

†**श्रम और रोजगार मंत्रालय में श्रम मंत्री (श्री हाथी)** : (क) जैसा कि कार्मिक संघ संगठन की इच्छा थी, वर्ष १९६०–६१ के लिये, सामान्य निर्वाचनों के कारण पड़ताल कार्य आरम्भ नहीं किया गया ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

नेफा में आदिम जाति परामर्शदाता बोर्ड

†*४७५. { **श्री डा० एरिंग** :
श्री रिशांग किशिंग :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेफा प्रशासन ने योजनाओं को बनाने और उनकी क्रियान्विति के लिये आदिवासी परामर्शदाता बोर्ड या समिति बनाई है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो बोर्ड के सदस्यों के नाम और उनकी संख्या क्या है ; और

(ग) यह बोर्ड या समिति कब बनाई गई थी

†**वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन) :** (क) से (ग). नेफा विकास समिति वर्ष १९५४ में बनाई गई थी। इसको हाल ही में 'नेफा विकास बोर्ड' नाम दिया गया है और यह विकास योजनाओं के बनाने में और उनके क्रियान्वयन में परामर्श देने का काम करती है। बोर्ड में निम्नलिखित १७ सदस्य हैं :

१. श्री डा० एरिंग, संसद् सदस्य;

२. श्री चौखामन गोहेन, नेफा से भूतपूर्व संसद् सदस्य ;

३. अभिकर के पांच डिवीजनों में से प्रत्येक से आदिम जाति का एक एक प्रतिनिधि ;

४. नेफा के आयुक्त ;

५. नेफा के विकास आयुक्त ;

६. नेफा के सहायक वित्तीय परामर्शदाता;

७. नेफा के विकास विभागों के मुखिया ;

८. सहकारी समितियों के डिप्टी रजिस्ट्रार; और

९. कुटीर उद्योग अधिकारी।

अन्य ८ पदाधिकारियों को आवश्यकता पड़ने पर बोर्ड की बैठक में सम्मिलित होने को कहा गया है।

गोआ के लिये पर्मिट

†*४७६. **श्री जेधे :**
श्री नाथ पाई :
श्री बी० चं० शर्मा :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गोआ जाने के लिये वर्तमान पर्मिट प्रणाली कब तक जारी रहेगी ;

(ख) इस समय किन परिस्थितियों के अधीन भारत के अन्य भागों के नागरिकों को गोआ जाने का पर्मिट दिया जाता है ; और

(ग) क्या प्रतिदिन जारी किये जाने वाले पर्मिटों की संख्या में वृद्धि हो रही है ; और

(घ) यदि हां तो किस अनुपात में।

†**वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन) :** (क) सरकार निकट भविष्य में पर्मिट की वर्तमान प्रणाली को समाप्त करने का विचार कर रही है।

(ख) पर्मिट प्रणाली अस्थायी तौर पर लागू की गयी थी ताकि गोआ, दमन और दीव में सामान्य स्थिति बनने से पूर्व भारत के अन्य भागों से बड़ी मात्रा में व्यक्ति न आ जायें। पर्मिट देने में भी इसी बात को ध्यान में रखा गया। सामान्यतः भारत के अन्य भागों से नागरिकों को, सम्बन्धियों

---

†मूल अंग्रेजी में

और मित्रों से मिलने, तीर्थयात्रा करने अथवा वर्तमान व्यापार हितों को बनाये रखने और उनके विकास के लिये पर्मिट दिये जाते हैं।

(ग) और (घ) जारी किये गये पर्मिटों की संख्या में वृद्धि होती रही है। पर्मिट प्रणाली जनवरी, १९६२ में लागू की गयी थी। जारी किये गये पर्मिटों की संख्या निम्न प्रकार है :—

जनवरी (२२-१-६२ से)	११८
फरवरी	७८६
मार्च	१८६२
अप्रैल	२१७०

काते हुए रेशम के कारखाने[1]

†*४७७. **श्रीमती रेणुका राय** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों में किस मापदंड के आधार पर काते हुए रेशम के कारखानों की स्थापना की जाती है ; और

(ख) अभी तक कुल कितने काते हुए रेशम के कारखानों की स्थापना की गई है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

काते हुए रेशम के कारखाने स्थापित करने का आधार

१. वास्तविक मांग और वर्तमान मिलों की अधिष्ठापित क्षमता के आधार पर अतिरिक्त काते हुए रेशम के धागे के उत्पादन की आवश्यकता।

२. वर्तमान मिलों की आवश्यकता पूरी करने के बाद देश में पर्याप्त कच्चे माल की उपलब्धता।

३. तैयार माल की बिक्री।

४. मशीनों के आयात के लिये विदेशी मुद्रा की उपलब्धता।

५. नये कारखाने चालू कर के विदेशी मुद्रा की आय/बचत।

(ख) दो—एक मैसूर में और एक आसाम में।

दिल्ली में विस्थापित व्यक्ति

†*४७८. **श्री शिव चरण गुप्त** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में ऐसे पात्र विस्थापित व्यक्तियों की संख्या कितनी है जिन्हें अभी तक व्यवसाय के लिये वैकल्पिक स्थान नहीं दिया गया है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Spun Silk Factories.

(ख) क्या उन्हें व्यवसाय के लिये स्थान देने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ग) उनको पूरी तरह बसाने में कितना समय और लगेगा ?

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना)** : (क) अगस्त, १९५० से पूर्व दिल्ली में पंजीयित, विस्थापित व्यक्तियों में से जो दिल्ली में मकानों/दुकानों के आवंटन के लिये पत्रथ थे, अधिकांश को दिल्ली में निष्क्रान्त सम्पत्ति में या पुनर्वास विभाग द्वारा बनाये गये ५९,००० मकानों, दुकानों और प्लाटों में स्थान दे दिया गया है ।

(ख) और (ग) पुनर्वास विभाग अब कोई योजना नहीं बना रहा है । बाकी विस्थापित व्यक्तियों की समस्या पर दिल्ली में भीड़-भाड़ और गन्दी बस्तियों को हटाने की पूरी समस्या के एक भाग के रूप में कार्यवाही की जावेगी ।

पाट (हेम्प) का निर्यात

†*४७९. **श्री हेम बरुआ** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्रिटेन भारतीय पाट (हेम्प) का एक खरीदार है ; और

(ख) यदि हां, तब प्रतिवर्ष उस देश में कितना पाट (हेम्प) निर्यात किया जाता है और कितनी विदेशी मुद्रा की आय होती है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)**: (क) जी, हां ।

(ख) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

पिछले चार वर्षों में ब्रिटेन को कच्चे पाट और पटुआ के निर्यात का विवरण

वर्ष	मात्रा (हजार हंडर्ड वेट में)	मूल्य (लाख रुपयों में)
१९५८	११०	४१
१९५९	७७	२९
१९६०	७३	३२
१९६१	४३	१८

कृत्रिम रबड़ का उत्पादन

†*४८०. **श्री चांडक** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कृत्रिम रबड़ का उत्पादन कब शुरू होने की आशा है ;

(ख) क्या यह सच है कि औद्योगिक अल्कोंहल की कमी के कारण कृत्रिम रबड़ के उत्पादन में विलम्ब हुआ है ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) यदि हां, तो औद्योगिक अल्कोहल का उत्पादन बढ़ाने के लिये सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) वर्ष १९६२ के अन्त तक ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

सिलाई की मशीनों का निर्यात

†*४८१. { **श्री दलजीत सिंह** :
श्री इ० मधुसूदन राव :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष की पहली तिमाही में कितनी सिलाई की मशीनों का निर्यात किया गया ; और

(ख) इन का किन-किन देशों को निर्यात किया गया ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) और (ख) चालू वर्ष में निर्यात के आंकड़े केवल जनवरी और फरवरी, १९६२ के लिये ही उपलब्ध हैं । इस अवधि में २.२४ लाख रुपये के मूल्य की २६३९ सिलाई की मशीनें ईरान, इराक, नाइजीरिया, कुवैत, पाकिस्तान, श्रीलंका, मलाया, थाईदेश, घाना, केन्या आदि को निर्यात की गयीं ।

भूटान का विकास

*४८२. **श्री भक्त दर्शन** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भूटान के विकास के लिये भारत सरकार द्वारा उस देश को अब तक कितनी सहायता दी गई है ; और

(ख) भविष्य में भूटान के विकास के लिये किस प्रकार की सहायता देने का विचार है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन) : (क) हमारे योजनाबद्ध सहायता-कार्यक्रम के अन्तर्गत अभी तक कुल १ करोड़ ८७ लाख रुपये की सहायता दी जा चुकी है ।

(ख) अभी जिस तरह की सहायता दी जा रही है, वह उस समय तक चालू रह सकेगी, जब तक कि वह देश आर्थिक दृष्टि से अपेक्षाकृत आत्मनिर्भर न हो जाय । हमारा उद्देश्य यह है कि भूतानी लोगों के जीवन की वर्तमान परिस्थितियों में सुधार हो। १९६१ में, हमारे योजना आयोग का एक तकनीकी दल भूतान गया था और उस ने एक रिपोर्ट तैयार की, जिस मे एक पंचवर्षीय विकास योजना का सुझाव रखा गया था । इस पूरी योजना पर १७.४८ करोड़ रुपये खर्च बैठेगा, जिसे हम

†मूल अंग्रेजी में

उठायेंगे । ऐसा विचार है कि कृषि, पशुपालन, वन और भूमि संरक्षण, लघु उद्योग, शिक्षा, संचार और स्वास्थ्य के क्षेत्रों में सहायता दी जाए ।

कर्मचारी राज्य बीमा योजना में अंशदान

†*४८३. **श्री स० मो० बनर्जी :** क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नियोजकों ने कर्मचारी राज्य बीमा योजना में अपना अंशदान बढ़ाना स्वीकार कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो किस हद तक ?

†**श्रम और रोजगार मंत्रालय में श्रम-मंत्री (श्री हाथी):** (क) और (ख) कर्मचारी राज्य बीमा निगम की सिफारिश पर नियोजकों का विशेष अंशदान १ अप्रैल, १९६२ से 'क्रियान्वित क्षेत्रों' मे मजूरी बिलों का १ $^{1}/_{4}$ प्रतिशत से बढ़ा कर २ $^{1}/_{2}$ प्रतिशत कर दिया गया है ?

गोआ में न्यायपालिका

†*४८४. **श्री रघुनाथ सिंह :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार गोआ की न्यायपालिका को शेष भारत की न्यायपालिका के साथ मिलाने के लिये गोआ में भारतीय ढंग पर कोई कुशल न्याय व्यवस्था की स्थापना करने के बारे में विचार कर रही है ?

†**वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन):** गोआ में इस समय न्याय-पालिका पुराने ढंग पर चल रही है । बाद में इस को भारतीय ढंग अपनाना ही पड़ेगा । तथापि, यह महसूस किया गया है कि एकीकरण का कार्य धीरे धीरे हो ताकि ठोस परिवर्तन के लिये विधि-वेत्ताओं को, सामान्य जनता को और न्यायपालिका को पर्याप्त समय मिल जाये ।

त्रावनकोर में टिटेनियम उद्योग

†*४८५. **श्री वारियर :**
श्री वासुदेवन् नायर :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इन्डस्ट्रियल ग्रुप मोन्टीकेटिनी के तीन प्रतिनिधियों की एक समिति ने केन्द्रीय सरकार अथवा केरल की राज्य सरकार से त्रावनकोर में टिटेनियम उद्योग का विकास करने के लिये सहयोग देने के बारे में कोई बातचीत की है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग-मंत्री (श्री कानूनगो):** (क) और (ख). इटली की इन्डस्ट्रियल ग्रुप मोन्टीकेटिनी के प्रतिनिधियों का एक दल हाल ही में मेसर्ज़ त्रावनकोर टिटेनियम प्राडक्ट्स लिमिटेड, त्रिवेन्द्रम द्वारा टिटेनियम डाय-आक्साइड बनाने के लिये सहयोग की शर्तों

†मूल अंग्रेज़ी में

पर भारत सरकार से बातचीत करने के लिये भारत आया था । क्योंकि मोन्टीकेटिनी के साथ सहयोग के प्रश्न पर अभी बातचीत जारी है, वार्ता के परिणामों के बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता ।

केन्द्रीय शिशिक्षा[1] परिषद् की स्थापना

†*४८६. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शिशिक्षा अधिनियम, १९६१ के अनुसार केन्द्रीय शिशिक्षा परिषद् की स्थापना हो चुकी है ;

(ख) यदि नहीं, तो परिषद् बनाने में देरी के कारण क्या हैं ; और

(ग) अधिनियम के अनुसार १९६२ के अन्त तक कितने शिशिक्षुओं की भर्ती होने की संभावना है ?

†**श्रम और रोजगार मंत्रालय में श्रम मंत्री (श्री हाथी)** : (क) और (ख). जी, नहीं । परिषद् के गठन आदि के बारे में नियम बनाये जा चुके हैं और अब परिषद् की स्थापना के लिये कदम उठाये जा रहे हैं ।

(ग) इस प्रक्रम पर संख्या बताना संभव नहीं है ।

मध्य प्रदेश में अल्युमिनियम संयंत्र

†*४८७. **श्री वीरेन्द्र बहादुर सिंह :**
श्री सुबोध हंसदा :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री नवल प्रभाकर :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मध्य प्रदेश में एक अल्युमिनियम संयंत्र स्थापित करने के लिये हंगरी के विशेषज्ञों का प्रतिवेदन मिल गया है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) क्या सरकार ने इस बीच उन पर विचार कर लिया है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Apprenticeship.

महलानोबिस समिति

†*४८८. श्री दी० चं० शर्मा :
श्री श्रीनारयण दास :
श्री विभूति मिश्र :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री यलमंदा रेड्डी :
श्री बड़े :
श्री ब्रह्मजीत :

क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आय के वितरण के बारे में भारत सरकार द्वारा नियुक्त की गई महलानोबिस समिति ने क्या प्रगति की है ; और

(ख) समिति अपना प्रतिवेदन कब देगी ?

†**योजना तथा श्रम और रोजगार मंत्री (श्री नन्दा)** : (क) समिति की पिछली बैठक ५ और ६ अप्रैल, १९६२ को हुई थी और इसने अपने प्रतिवेदन के रूप पर विचार किया।

(ख) यह आशा की जाती है कि समिति अगले ४ या ५ महीनों में एकत्रित किये गये आंकड़ों के आधार पर अपने प्रतिवेदन के प्राथमिक मूल रूप पर विचार करेगी। इस समय इस बारे में ठीक तिथि बताना संभव नहीं है कि समिति अपना प्रतिवेदन कब तक दे देगी।

बिस्कुट निर्माताओं की कठिनाइयां

†*४८९. **श्री विद्याचरण शुक्ल** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान भारत के बिस्कुट निर्माता संघ की बारहवीं वार्षिक सामान्य बैठक में अध्यक्ष-पद से दिये गये भाषण की ओर आकृष्ट किया गया है, जिसमें बिस्कुट निर्माताओं की कठिनाइयों का उल्लेख किया गया है ;

(ख) उनकी मुख्य कठिनाइयां क्या हैं ;

(ग) उनमें से प्रत्येक के बारे में क्या उपचारात्मक कार्यवाही करने का विचार है ;

(घ) क्या यह सच है कि उद्योग मंत्री ने लगभग तीन वर्ष पूर्व निर्यात के लिये बनाये जाने वाले बिस्कुटों के लिये निर्यात-मूल्य पर चीनी देने का आश्वासन दिया था ; और

(ङ) यदि हां, तो यह आश्वासन कब और किस प्रकार पूरा किया जायेगा ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) से (ङ). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ८७]**

---

†मूल अंग्रेज़ी में

बागान श्रमिकों को बोनस

†*४९०. **श्री प्र० चं० बरुआ :** क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बागान श्रमिकों को वर्ष १९६० का बोनस दिये जाने का प्रश्न तय हो गया है ; और

(ख) यदि नहीं, तो इस मामले को सुलझाने के लिये बागान श्रमिक समिति कितना समय-लेगी ?

†**श्रम और रोजगार मंत्रालय में श्रम मंत्री (श्री हाथी) :** (क) जी, हां। वर्ष १९५९, १९६० और १९६१ के लिये आसाम, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा में बागान श्रमिकों की बोनस देने के बारे में बागान सम्बन्धी औद्योगिक समिति की बोनस उप-समिति की बैठक में २६-४-६१ को एक करार पर हस्ताक्षर किये गये ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

औद्योगिक बस्तियां

†*४९१. **श्रीमती रेणुका राय:** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तृतीय पंचवर्षीय योजना-काल में ग्रामीण क्षेत्रों में राज्य-वार आधार पर बड़ी संख्या में औद्योगिक बस्तियां स्थापित की जावेंगी ; और

(ख) यदि हां, तो इन ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे पैमाने के उद्योगों को चलाने के लिये जहां अभी तक बिजली नहीं दी गयी है बिजली लगाने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो) :** (क) जी, हां ।

(ख) तृतीय पंचवर्षीय योजना में २०,००० गांवों में बिजली लगाने की व्यवस्था है जिससे योजना के अन्त तक बिजली लगे गांवों की कुल संख्या ४३,००० हो जावेगी ।

'मेनियोका चूर्ण'[१] का निर्यात

†*४९२. **श्री अ० क० गोपालन :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंग कि :

(क) 'टेपियो का चिप्स' से तैयार किया गया जो 'मेनियोका चूर्ण' केरल से निर्यात किया जाता है उसकी किस्म कैसी होती है ;

(ख) क्या राज्य व्यापार निगम ने इस वर्ष 'मेनियोका चूर्ण' का समाहार और निर्यात करने के लिये कोई प्रयत्न किया था ; और

(ग) यदि हां, तो क्या प्रयत्न सफर हुए हैं ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह):** (क) केरल से 'टेपियोका चिप्स' से बना 'मेनियोका चूर्ण' के निर्यात की किस्म विभिन्न निर्यातकर्ता के पास भिन्न होती है परन्तु सामान्यत: यह निम्नांकित स्तर का होता है :

१. न्यूनतम स्टार्च वाला.	७० प्रतिशत
२. अधिकतम मिश्रण	
—कच्चा तंतु	५ प्रतिशत
—रेत और सिलिसा	२ प्रतिशत

†मूल अंग्रेजी में

[१]Manioca Meals.

(ख) और (ग) जी, हां। मई, १९६२ को समाप्त होने वाले चालू मौसम में 'मेनियोका-चूर्ण' को अधिक मात्रा में निर्यात करने का राज्य व्यापार निगम का विचार था परन्तु निर्यात के लिये उपलब्ध 'टपियोका चिप्स' की मात्रा, असमय वर्षा, बाढ़ और फसल खराब होने के करण बहुत कम रही।

कोयला खानों में 'ओवरमैन"

†*४९३. **श्री नाथ पाई** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गत कई वर्षों से कोयला खानों में 'ओवरमैन' के पदों पर काम करने वाले 'ओवरमैनों' को उस पद पर स्थायी होने के लिये एक लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण होना पड़ता है ;

(ख) यदि हां, तो ऐसे 'ओवरमैनों' की क्या संख्या है ; और

(ग) सरकार ने किन कारणों से इनको लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिये कहा है ?

†**श्रम और रोजगार मंत्रालय में श्रम मंत्री (श्री हाथी)** : (क) कोयला खान विनियम, १९५७ के अधीन 'ओवरमैन' के रूप में नियुक्त किये गये व्यक्तियों को एक लिखित परीक्षा पास करनी पड़ती है ताकि वे 'ओवरमैन' के रूप में बने रहें। तथापि, उन व्यक्तियों के लिये जिन्होंने ५ वर्ष तक 'ओवरमैन' के रूप में काम किया हो, २३ अक्तूबर, १९६० तक और उन व्यक्तियों के लिये जिन्होंने दस वर्ष तक 'ओवरमैन' के रूप में काम किया हो, २८ फरवरी, १९६२ तक लिखित परीक्षा देना आवश्यक नहीं था।

(ख) जानकारी प्राप्त की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जावेगी।

(ग) खान के कार्यकरण में अधिक सुरक्षा।

गोआवासियों के लिये पुर्तगाली राष्ट्रीयता

†*४९४. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पुर्तगाली सरकार से यह समझौता हो गया है कि गोआ, दमन, दीव के जो निवासी पुर्तगाली राष्ट्रीयता कायम रखना चाहते हैं उनकी पुर्तगाली राष्ट्रीयता जारी रखी जाये ; और

(ख) यदि हां, तो समझौते की शर्तें क्या हैं ?

†**वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन)** : (क) जी, हां। भारत सरकार ने बताया है कि उस किसी भी व्यक्ति पर, जो भारतीय नागरिकता स्वीकार नहीं करता, भारतीय राष्ट्रीयता नहीं थोपी जायेगी।

(ख) इस विषय में भारत सरकार और पुर्तगाल सरकार के बीच भेजे गये टिप्पण सभा पटल पर रखे जाते हैं। **[पुस्तकालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० ८२/६२]**

---

†मूल अंग्रेजी में

लघु उद्योग निगम

†*४९५. **श्री वारियर :**
श्री वासुदेवन नायर :
श्री मे० क० कुमारन् :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संघ सरकार ने राज्यों के लघु उद्योग निगमों को पुन: वित्त देने की योजना बनाई है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

अमृतसर में कोयले तथा कच्चे माल की कमी

†*४९६. **श्री सुबोध हंसदा :**
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमृतसर में मार्च में कोयले, कोक तथा कच्चे माल, जैसे कृत्रिम रेशम तथा ऊन का धागा की कमी के कारण औद्योगिक उत्पादन पर बुरा प्रभाव पड़ा था ;

(ख) यदि हां, तो उपरोक्त संभरण पूरा करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ग) इस समय क्या स्थिति है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) से (ग) अमृतसर के छोटे पैमाने के ऊन निर्माता संघ ने उचित मूल्य पर ऊनी बुनाई का धागा प्राप्त करने में कठिनाई के विरुद्ध अभ्यावेदन किया है। अखिल भारत ऊनी मिल संघ और ऊनी निर्माता मण्डल के जरिये ऊनी निर्माताओं को उचित मूल्य पर ऊन बुनने के धागे के संभरण की व्यवस्था के लिये कदम उठाये गये हैं ।

कोयला और कोक की कमी के कारण किस मिल के बन्द होने का पता नहीं लगा है ।

आकाशवाणी द्वारा सामान्य चुनाव के परिणामों की घोषणा

७२२. **श्रीमती मिनीमाता** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत आम चुनाव में आकाशवाणी के विभिन्न केन्द्रों से चुनाव परिणाम सम्बन्धी घोषणायें कुल कितने घंटे हुई ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० बे० गोपाल रेड्डी) : २५ फरवरी और १ मार्च १९६२ के बीच, जब कि अधिकांश चुनाव परिणाम मालूम हुए, चुनाव परिणाम संबंधी विशेष बुलेटिनों के

†मूल अंग्रेजी में

प्रसारण में कुल ३५ घंटे और ३० मिनट लगे । यह अवधि उस समय के अलावा है जो सामान्य समाचार बुलेटिनों में चुनाव-परिणामों के प्रसारण में लगा ।

आकाशवाणी का साहित्य समारोह

७२३. **श्रीमती मिनीमाता :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बतानें की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आकाशवाणी पिछले अनेक वर्षों से अपना साहित्य समारोह दिल्ली में आयोजित करता रहा है ; और

(ख) क्या आकाशवाणी का अगला साहित्य समारोह अन्य किसी स्थान पर आयोजित किये जाने की संभावना है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० बे० गोपाल रेड्डी) : (क) जी, हां ।

(ख) इस मामले पर उपयुक्त समय पर विचार किया जायेगा :

उत्तर प्रदेश में पंजीबद्ध बेरोजगार

†७२४. **श्री सरजु पाण्डेय :** क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) उत्तर प्रदेश में विभिन्न काम दिलाऊ दफ्तरों में वर्ष १९६१–६२ के दौरान कितने व्यक्ति (स्नातक और गैर-स्नातक) पंजीयित किये गये; और

(ख) उसी अवधि में दोनों श्रेणियों के कितने व्यक्तियों को रोजगार दिलाया गया ?

†**श्रम और रोजगार मंत्रालय में श्रम मंत्री (श्री हाथी) :** (क) और (ख).

	वर्ष १९६१–६२ में पंजीयन	वर्ष १९६१–६२ में रोजगार दिलाया गया
स्नातक . . .	२०,६९४	२,६४६
गैर-स्नातक (मैट्रिकुलेट और इंटरमीडियेट) .	१,८०,३५०	१८,०००

तिरुनेलवेल्ली में कागज निर्माण उद्योग

†७२५. **श्री म० प० स्वामी :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार मद्रास राज्य के तिरुनेलवेल्ली जिले में, कागज निर्माण उद्योग स्थापित करने पर विचार कर रही है; जहां इसके लिये कच्चा माल बड़ी मात्रा में है;

(ख) यदि हां, तो उसका क्या ब्योरा है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस के क्या कारण हैं ?

†मूल अंग्रेजी में

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) से (ग). कागज उद्योग का विकास अधिकांशत: गैर-सरकारी क्षेत्र पर छोड़ा हुआ है और एक गैर सरकारी पक्ष को मद्रास राज्य के तिरुनेलवेल्ली जिले में प्रतिदिन १० टन की क्षमता वाला समेकित गूदा और कागज संयंत्र स्थापित करने के लिये लाइसेंस दिया गया है। इस सयंत्र में वर्ष १९६३ में उत्पादन होने की आशा है। इस जिले में एक कागज निर्माण कारखाना स्थापित करने का सरकार का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

ग्राम्य आवास योजना

†**७२६. श्री इ० मधुसूदन राव** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९६२–६३ के लिये विभिन्न राज्य सरकारों को ग्राम्य आवास योजना के लये कितना धन आवंटित किया गया है ; और

(ख) उक्त योजना के अधीन गांवों में मकान बनाने के लिये किसानों को दिये जाने वाले ऋण की क्या शर्तें हैं ?

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना)**: (क) इस समय आंकड़े बताना सम्भव नहीं है क्योंकि केन्द्रीय सहायता के आवंटन के बारे में तभी हिसाब लगाया जा सकता है और राज्य सरकारों को बताया जा सकता है जब कि चालू वित्तीय वर्ष के लिये अनुदानों की मांगें संसद द्वारा स्वीकृत कर दी जावें।

(ख) ग्राम्य आवास परियोजना योजना के अधीन, राज्य सरकारें प्रति मकान अधिकतम २००० रुपये तक, निर्माण की प्राक्कलित लागत के ६६$^{२}/_{३}$ प्रतिशत तक भवन-निर्माण ऋण मंजूर कर सकती हैं। यह ऋण ५ प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ २० वर्षों में चुकाया जाना है।

भारत में विदेशी वैज्ञानिकों को प्रशिक्षण

†**७२७. श्री विभूति मिश्र** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि ·

(क) क्या सरकार ने तृतीय पंचवर्षीय योजना-काल में बनाये जा रहे अणुशक्ति केन्द्रों में विदेशी वैज्ञानिकों को प्रशिक्षण देने के लिये कोई योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, योजना की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) इस बारे में भारत सरकार द्वारा कितना प्राक्कलित व्यय किया जायेगा ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) सरकार का यह इरादा है कि तारापुर में स्थापित किये जाने वाले प्रथम अणुशक्ति केन्द्र में अन्य देशों और विशेषत: अविकसित देशों की सरकारों से स्वीकृत वैज्ञानिकों को प्रशिक्षण दिया जाये। तारापुर में इस केन्द्र के चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के प्रथम वर्ष में पूरा हो जाने की आशा है। अत: इस अणुशक्ति केन्द्र में प्रशिक्षण के लिये विस्तृत योजना अभी नहीं बनाई जा सकती।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

---

†मूल अंग्रेजी में

उत्तर प्रदेश को वित्तीय सहायता

†७२८. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **योजना** मंत्री बतानें की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तीसरी पंचवर्षीय योजना में विभिन्न राज्यों को वित्तीय सहायता देने का अन्तिम निश्चय कर लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो उत्तर प्रदेश को क्या सहायता दी गई है; और

(ग) उत्तर प्रदेश की वास्तविक मांग कितनी थी ?

†**योजना तथा श्रम और रोजगार मंत्री (श्री नन्दा)**: (क) कुल व्यय, प्रत्येक राज्य द्वारा बनाये जानें वाले साधन और तीसरी योजना-काल के लिए केन्द्रीय सहायता पर साधारण रूप में सहमति हो गई है ।

(ख) वर्ष १९६१–६२ और वर्ष १९६२–६३ की वार्षिक योजना के लिए क्रमानुसार ५१ करोड़ और ५८ करोड़ रुपयों की केन्द्रीय सहायता आवंटित की है ।

(ग) राज्यों की योजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता अनेक संगत बातों पर विचार करने के बाद आवंटित की जाती है । ये बातें प्रत्येक राज्य के बारे में भिन्न भिन्न हैं ।

भारत-जर्मन उत्पादन व प्रशिक्षण केन्द्र

†७२९. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत-जर्मन उत्पादन व प्रशिक्षण केन्द्र में कोई पाठ्यक्रम नहीं है;

(ख) यदि हां, तो विभिन्न प्रशिक्षण योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या हाल में एक भारतीय संचालक ने केन्द्र छोड़ दिया है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) से (घ). एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

(क) सारे प्रोग्रामों का ब्यौरा और प्रत्येक क्रम का पाठ्यक्रम तैयार कर लिया गया है ।

(ख) केन्द्र ने योजनायें बना ली हैं और निम्न विषयों में प्रशिक्षण दे रहा है :—

(१) टूल रूप, मशीन शाप ।

(२) लोहारगिरी और ढलाई शाप ।

(३) ग्राइंडिंग और प्लेटिंग शाप ।

(४) हीट ट्रीटमेन्ट शाप ।

(५) वेल्डिंग ।

(६) शीट मेटल ।

(७) ढलाई ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(८) नमूना शाप ।

(९) लकड़ी का काम ।

(१०) रोगनगिरी ।

(११) विद्युत् संधारण ।

(१२) ड्राइंग आफिस ।

(१३) सामान परीक्षण ।

(ग) और (घ). भारतीय संचालक, जो ९-६-१९६० से राष्ट्रीय लघुउद्योग निगम लिमिटेड पुनः नियुक्ति पर था, अपने विभाग में वापस चले गये हैं और उनके स्थान पर अन्य अधिकारी संचालक होकर आ गये हैं ।

भारतीय भाषाओं के अखबारों का विक्रय

†७३०. **श्री रघुनाथ सिंह :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत में भारतीय भाषाओं के ऐसे कितने अखबार हैं जिनके विक्रय में चार या पांच साल पहिले विदेशी अखबारी कागज के वर्तमान नियंत्रण तथा अखबारी कागज का आयात करने के लाइसेन्स के आदेश जारी किये जाने के बाद निरन्तर वृद्धि हुई है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह):** निम्नलिखित तालिका में भारत में भाषायी अखबारों (अंग्रेजी, द्विभाषी और बहुभाषी अखबारों को छोड़ कर) की संख्या और ३१ मार्च, १९६० के समाप्त होने वाले चार वर्ष के बारे में तत्काल उपलब्ध जानकारी दी है :—

वर्ष	अखबारों की संख्या	पिछले सालों में विक्रय में हुई वृद्धि का प्रतिशत
१९५६–५७	१,२४८	०.६
१९५७–५८	१,७२९	९.२
१९५८–५९	२,१४५	११.९
१९५९–६०	२,२९४	८.३

पाकिस्तानी राष्ट्रजनों द्वारा डकैतियां

†७३१. **श्री रघूनाथ सिंह :**
श्री विभूति मिश्र :
श्रीमती मैमूना सुल्तान :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ३ अप्रैल, १९६२ को आठ पाकिस्तानी राष्ट्रजनों ने सिरियानवाली गांव में, जो जिला फीरोजपुर में फजलिका से पांच मील दूर है; एक सशस्त्र डकैती डाली; और

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ।

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मत्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) हां, श्रीमान् । कुछ पाकिस्तानी सशस्त्र राष्ट्रजनों ने ३/४ अप्रैल, १९६२ की रात को फजलिका के पास हिरनवाली गांव में डकैती डाली थी ।

(ख) इस घटना के बाद भारतीय सीमा पुलिस अधिकारियों और उन के पाकिस्तानी प्रत्याधिकारियों के बीच अपराधियों को पकड़ने के लिये अनेक बैठकें हुई हैं । आगे जांच पड़ताल हो रही है ।

ईंधन तथा भाप की बचत

†७३२. **श्री श्रीनारायण दास** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ब्रिटिश औद्योगिक कुशलता सेवा के विशेषज्ञों ने ईंधन तथा भाप की बचत के बारे मे क्या महत्वपूर्ण सिफारिशें कीं और सुझाव दिये हैं ; और

(ख) इन्हें कहां तक लागू किया गया है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) और (ख). एक विवरण संलग्न है । **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ८८]**

कुशलता तथा कल्याण संहिता

†७३३. { **श्री श्रीनारायण दास** :
श्री काशीनाथ पांडे :

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुशलता तथा कल्याण सम्बन्धो प्रारूप संहिता पर चर्चा करने के लिये त्रिदलीय समिति की हाल में बैठक होगी ;

(ख) यदि हां, तो बैठक कब होगी ; और

(ग) बैठक क्यों स्थगित की गई थी ?

†**श्रम और रोजगार मंत्रालय में श्रम मंत्री (श्री हाथी)** : (क) हां ।

(ख) अभी तारीख निर्धारित नहीं की गई है ।

(ग) ७ अप्रैल के लिये आयोजित की गई बैठक प्रशासी सुविधा के कारण स्थगित कर दी गई थी ।

लोहे और इस्पात के कारखानों में हड़तालें और तालाबन्दी

७३४. **श्री बाल्मीकी** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अप्रैल १९६१ से अप्रैल, १९६२ तक सरकारी और गैर-सरकारी दोनों क्षेत्रों के लोहे तथा इस्पात के कारखानों में कितनी हड़तालें और तालाबन्दियां हुई ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) इन में मजदूरों की मांगें क्या क्या थीं; और

(ग) उन को हल करने के लिये क्या कदम उठाये गये ?

श्रम और रोजगार मंत्रालय में श्रम मंत्री (श्री हाथी) : (क) से (ग) अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और प्राप्त होने पर सभा की मेज़ पर रख दी जायेगी ।

लोहे और इस्पात के कारखानों में मजदूरों की छंटनी

७३५. श्री बाल्मीकी : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सरकार की जानकारी मे है कि सरकारी क्षेत्र के लोहे तथा इस्पात के कारखानों में मजदूरों की छंटनी जोरों पर है ; और

(ख) यदि हां, तो उसको रोकने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

श्रम और रोजगार मंत्रालय में श्रम मंत्री (श्री हाथी) : (क) और (ख) हाल के महीनों में सरकारी क्षेत्र के लोहे तथा इस्पात के कारखानों में मज़दूरों की छंटनी ज़ोरों पर नहीं हुई है ।

बर्मा में भारतीयों की जमीनें

†**७३६. श्री रामनाथन् चेट्टियार** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि बर्मा सरकार ने उन भारतीय राष्ट्रजनों को अब तक कितना प्रतिकर दिया है जिन की बर्मा में जमीनें हैं ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : समझा जाता है कि बर्मा सरकार अपने नागरिकों और अन्य देशों के नागरिकों को दिये गये प्रतिकर के आंकड़े अलग अलग नहीं रखती । अब तक बर्मा सरकार ने उन व्यक्तियों को जिन की जमीनों का राष्ट्रीयकरण किया गया है, अब तक दिया गया कुल प्रतिकर निम्न है :—

	बर्मी सिक्के
१९५६–५७	४४,१३,५७५
१९५७–५८ . . .	६२,३३,९०४
१९५८–५९	४९,३९,६६५
१९५९–६०	११,७९,०८८
१९६०–६१	६,६५,८५१
कुल .	१७४,३२,०८३

इस राशि में से भारतीय नागरिकों को कितना धन दिया गया, यह विदित नहीं है ।

†मूल अंग्रेजी में

भारत में टेलीविजन

†७३७. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या भारत में टेलीविज़न सेवा लोकप्रिय हो रही है और इसे अधिक लोक-प्रिय तथा सस्ता बनाने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ताकि जन-साधारण इस से लाभ उठा सके ।

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० बे० गोपाल रेड्डी)** : हां, श्रीमान् । दिल्ली में वयस्क शिक्षा केन्द्रों और उच्च माध्यमिक स्कूलों में टेलीविज़न की छोटी सेवा अपने सीमित क्षेत्र में लोक-प्रिय और लाभदायिक सिद्ध हुई है । मूलत: इस में उन बस्तियों के लोग लाभ उठाते हैं जहां सामु-दायिक टेलीविज़न सेट लगाये जाते हैं और स्कूलों में विद्यार्थी लाभ उठाते हैं ।

दिल्ली में और उच्च माध्यमिक स्कूलों में और अधिक सामुदायिक केन्द्रों या टेलीक्लबों में सेट लगाने की कार्यवाही की जा रही है । हां, दिल्ली में लोकप्रिय मनोरंजन प्रोग्राम आरम्भ करने का कोई प्रस्ताव नहीं है क्योंकि शिक्षा सम्बन्धी टेलीविज़न केन्द्र में उस के लिये पर्याप्त व्यवस्था नहीं है और फिर सामान्य विक्रय के लिये टेलीविज़न सेट भी उपलब्ध नहीं हैं ।

चाय उद्योग में बिजली की कमी

†७३८. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर-पूर्व भारत के चाय उद्योग में बिजली की कमी है ;

(ख) यदि हां, तो आवश्यकताओं की अपेक्षा उपलब्धि में वार्षिक कमी कितनी रहती है ;

(ग) जलढाका परियोजना के पूरे होने से इस में से कितनी कमी पूरी हो जायेगी; और

(घ) यह परियोजना कब तक पूरी होगी ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) दार्जिलिंग क्षेत्र के केवल कुछ बागों ने बिजली की कमी की शिकायत की है ।

(ख) ठीक जानकारी उपलब्ध नहीं है ।

(ग) और (घ) . जलढाका परियोजना से १९६४ में बिजली उपलब्ध होने की आशा है । इस बिजली तथा बिजनवाड़ी जल परियोजना और दि-लिटिल रंगनीत योजना से पहिले से प्राप्त होने वाली बिजली से आशा है कि उत्तर बंगाल में बागों में बिजली की कमी न रहेगी ।

शिशिक्षुओं[1] का प्रशिक्षण

†७३९. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह निश्चित हो गया है कि शिशिक्षु अधिनियम, १९६१ के अन्तर्गत किस अनुपात से शिशिक्षु भर्ती किये जायेंगे ;

(ख) क्या शिशिक्षु-काल और देय छात्रवृत्ति के बारे में कोई निश्चय किया गया है ; और

---

†मूल अंग्रेज़ी में

[1]Apprentices.

(ग) क्या शिशिक्षुओं को आश्वासन दिया जायेगा कि उन्हें शिशिक्षा समाप्त होने पर नियमित रोज़गार मिल जायेगा ?

†**श्रम और रोजगार मंत्रालय में श्रम मंत्री (श्री हाथी)** : (क) और (ख). नहीं। इन प्रश्नों पर केन्द्रीय शिशिक्षा परिषद् के परामर्श से विचार किया जायेगा। परिषद् की स्थापना जल्दी ही होगी।

(ग) नहीं। शिशिक्षु अधिनियम, १९६१ की धारा २२(१) में पहिले से ही उपबन्ध है कि न तो काम पर रखने वाला काम देने के लिये बाध्य होगा और न ही शिशिक्षा लेने वाला उस के अधीन काम करने के लिये बाध्य होगा।

चाय बागानों को ऋण

†७४०. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चाय बागानों को ऋण देने के लिये ५ करोड़ रुपये की एक योजना आरम्भ की है ;

(ख) यदि हां, तो योजनाधीन ऋण पाने के लिये कितने प्रार्थनापत्र प्राप्त हुए हैं और उन में से कितनों को निपटा दिया गया है ; और

(ग) योजना के अन्तर्गत अब तक कुल कितने धन के ऋण दिये गये हैं ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) हां, श्रीमान्।

(ख) और (ग). २.१६ करोड़ रु० के ऋण के लिये ३६ प्रार्थनापत्रों की चाय बोर्ड जांच कर रहा है।

नेफा में सड़क निर्माण

†७४१. **श्री रिशांग किशिंग** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) द्वितीय पंचवर्षीय योजना-काल में नेफा में सारा साल प्रयोग हो सकने वाली और केवल अच्छे मौसम में प्रयोग हो सकने वाली कितने कितने मील लम्बी ऐसी सड़कें बनाई गईं जिन पर मोटरें चल सकें ;

(ख) इन सड़कों पर छोटे व बड़े कितने पुल बनाये गये ; और

(ग) निर्धारित लक्ष्य कहां तक प्राप्त हुआ है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) दूसरी पंचवर्षीय योजनाकाल में नेफा में सभी मौसमों में और अच्छे मौसम में प्रयोग हो सकने वाली ३१७ मील ४ फर्लांग लम्बी ऐसी सड़कें बनाई गईं जिन पर मोटरें चल सकें।

(ख) कंक्रीट या लोहे का कोई छोटा या बड़ा पुल नहीं बना। फिर भी, इन सड़कों पर अन्य प्रकार के पुल, जहां कहीं आवश्यक था, बनाये गये हैं।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

(ग) दूसरी पंचवर्षीय योजना में २७३ मील लम्बी सड़कों का लक्ष्य था। इस प्रकार लक्ष्य से अधिक कार्य हुआ है।

ग्रामीण आवास योजना

†७४२. **श्री रिशांग किशिंग** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ग्रामीण आवास योजना के अन्तर्गत मनीपुर, नागालैंड और नेफा में कुछ गांव चुने हैं ;

(ख) यदि हां, तो कितने गांव चुने गये हैं और उनके नाम क्या हैं ; और

(ग) तीसरी पंचवर्षीय योजना काल के शेष काल में योजना के विस्तार की कितनी गुंजाइश है ?

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना)**: (क) केवल मनीपुर प्रशासन ने ग्राम आवास परियोजनाओं की योजना के अन्तर्गत विकास के लिए कुछ गांव चुने हैं। अन्य प्रशासनों ने योजना में रुचि नहीं दिखाई है।

(ख) योजना काल में अपने २० गांवों के आवंटन के बदले मनीपुर प्रशासन ने २९ गांवों का अस्थाई चुनाव किया है। गांवों की एक सूची संलग्न है। [**देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ८९**]

(ग) मनीपुर के और गांवों में योजना लागू करने के प्रश्न पर केवल उस समय विचार किया जा सकता है जब कि चुने गांवों में योजना काफी लागू हो चुकी हो।

नेताजी जांच समिति की रिपोर्ट

†७४३. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान नेता जी जांच समिति की रिपोर्ट में उन कथित गलतियों की ओर आकर्षित किया गया है जिनका उल्लेख अप्रैल के दूसरे सप्ताह में कलकत्ता विश्वविद्यालय संस्था के सांस्कृतिक तथा चर्चा विभाग द्वारा आयोजित गोष्ठी में किया गया था ; और

(ख) यदि हां, तो क्या उपरोक्त अनियमितताओं को ध्यान में रख कर सरकार नेताजी के गुम हो जाने के रहस्य की और आगे जांच पड़ताल करेगी ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री तथा अणु शक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) हां, श्रीमान। सरकार ने समाचार देखे हैं कि कलकत्ता विश्वविद्यालय संस्था के सांस्कृतिक तथा चर्चा विभाग ने अप्रैल के दूसरे सप्ताह में एक गोष्ठी का आयोजन किया था। उसमें नेताजी जांच समिति की रिपोर्ट के कुछ पहलुओं पर चर्चा हुई थी।

(ख) नेताजी जांच समिति ने सारी गवाहियों पर विचार करके बहुमत से एक रिपोर्ट पेश की है। इसमें निश्चित रूप से कहा गया था कि नेताजी की मृत्यु एक विमान दुर्घटना में हो गई थी। समिति के मूल निष्कर्षों पर कभी आपत्ति नहीं की गई है। सरकार सन्तुष्ट है कि इस प्रश्न की और जांच करने के लिये उपलब्ध तथ्यों के आधार पर कोई औचित्य नहीं है।

---

†मूल अंग्रेजी में

चीनी मिलें और खपरेल (टाइल्स) बनाने के कारखाने

†७४४. **श्री जेना** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने केन्द्रीय सरकार से उद्योगों की स्थापना के लिए विशेषकर गांवों में चीनी की मिलें और खपरैल (टाइल्स) बनाने के कारखाने खोलने के लिए कुछ अधिक धन-राशि देने की प्रार्थना की है ताकि राज्य में मकानों की छतें अग्निसिद्ध बनाई जा सकें ; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) और (ख). जानकारी एकत्रित की जा रही है और यथासमय पटल पर रख दी जायेगी ।

केरल में खनिज रेत

†७४५. **श्री नटराज पिल्लै** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में समुद्र तट के साथ साथ मिलने वाले खनिज रेत की मात्रा का पिछले दस सालों में कोई निर्धारण किया गया है ; और

(ख) क्या केरल के खनिज रेत में कम पाई जाने वाली खनिजों, जैसे मोनाजाइट, आदि की किस्म, उपयोगिता और मात्रा का कोई निर्धारण किया गया है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) हां । केरल और मद्रास राज्यों के समुद्र तट के भारी आले खनिज रेत में 'मोनाजाइट' और 'इमोनाइट' की मात्रा का अनुमान लगाने के लिए अणुशक्ति विभाग के आणुविक खनिज डिवीजन ने वर्ष १९५०-५१ में जांच पड़ताल की थी। यह जांच पड़ताल बाद के वर्षों में लगातार होती रही है । इन जांच पड़तालों और उनके परिणामों सम्बन्धी जानकारी अणुशक्ति विभाग की वार्षिक रिपोर्टों में प्रकाशित होती है । ये रिपोर्टें संसत्सदस्यों को दी जाती हैं । यह जानकारी निम्नलिखित वैज्ञानिक पत्रों/पत्रिकाओं में भी दी होती है जिनकी प्रतियां संसद् पुस्तकालय में रखी जा रही हैं :—

(१) "बी० महादेवन, सी० आर० नारायणदास और एन० नागराज राव के "प्रोस्पेक्टिंग एण्ड इवेलुएशन आफ वीच प्लेसर्स अलोंग दि कोस्टल बेल्ट आफ इंडिया ।" यह सितम्बर, १९५८ में जेनेवा में अणुशक्ति के शान्तिपूर्ण प्रयोगों पर द्वितीय अन्तर्राष्ट्रीय कान्फ्रेंस में पेश की गई थी । यह रचना कान्फ्रेंस की कार्यवाही में शामिल है ।

(२) के० एल० भोला, आदि के "ए सर्वे आफ युरेनियम एण्ड थोरियल आकरेंसेंस इन इण्डिया"—यह रचना सितम्बर, १९५८ में जेनेवा में अणुशक्ति के शान्तिपूर्ण प्रयोगों पर द्वितीय अन्तर्राष्ट्रीय कान्फ्रेस में पेश की गई थी और यह कान्फ्रेंस की कार्यवाही में शामिल है ।

(३) डी० एन० वाडिया और के० के० दार का "ए रिव्यू आफ दि एक्टीविटीज़ आफ दि एटोमिक मिनरल्स डिविज़न" जो जनवरी, १९६१ के "इंडस्ट्रियल इण्डिया—एटोमिक इनर्जी सप्लीमेंट में शामिल है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) किनारे के रेत में पाये जाने वाले मूल्यवान खनिजों के नाम हैं इलमेनाइट, मोनाजाइट, रियूटाइल, ज़रकान और सिलिमेनाइट। इस बात का सुनिश्चय करने की दृष्टि से कि पाई जाने वाली खनिजों की किस्म अनौपचारिक रूप में उत्तम है, कुछ न्यूनतम विशिष्टीकरण निर्धारित किये गये हैं। फिर भी, उत्तम किस्म के खनिज प्राप्त करने के लिये अनुसन्धान कार्य होता है और उनकी प्राप्ति के लिये एक समन्वित 'फ्लो शीट' बनाई गई है। इन खनिजों के बड़े बड़े प्रयोग सुविदित हैं। फिर भी, उद्योगों में उनका प्रयोग बढ़ाने के लिए प्रमुख परियोजनाओं पर कार्य हो रहा है।

जम्मू तथा काश्मीर में उद्योग

†७४६. **बख्शी अब्दुलरशीद श्री अब्दुल गनी गोनी** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९६०-६१ और १९६१-६२ में जम्मू तथा काश्मीर राज्य में कितने नये उद्योग आरम्भ किये गये ; और

(ख) केन्द्रीय सरकार ने उनको क्या सुविधाएं प्रदान कीं ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) और (ख). सूचना एकत्रित की जा रही है और यथासमय सभा पटल पर रख दी जायेगी।

मनीपुर में हथकरघे का कपड़ा

†७४७. **श्री रिंशिंग किशिंग** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६०-६१ और १९६१-६२ में मनीपुर में कुल कितने धागे को उपयोग में लाया गया ;

(ख) उक्त वर्षों में राज्य में हथकरघा वस्तुओं का कितना उत्पादन हुआ ;

(ग) मनीपुर के अन्दर और बाहर हथकरघा वस्तुओं के लिये विपणन सम्बन्धी क्या सुविधाएं उपलब्ध हैं ; और

(घ) हथकरघा उत्पादों को उनन्त करने तथा बढ़ाने और अधिक विपणन सुविधाओं का लाभ उठाने के लिये क्या योजनाएं हैं ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) से (घ). विवरण संलग्न है।

विवरण

(क) सूचना उपलब्ध नहीं है किन्तु मनीपुर प्रशासन से एकत्रित की जा रही है।

(ख) पत्री वर्षों के लिये उत्पादन आंकड़ों का संकलन किया जाता है, वर्ष १९६० और १९६१ के आंकड़े इस प्रकार हैं :—

वर्ष	उत्पादन की मात्रा (लाख गज़ों में)	मूल्य (लागत लाख रुपयों में)
१९६०	३.०६	४.४६
१९६१	४.८४	६.७६

†मूल अंग्रेजी में

(ग) इस प्रशासन के लिये पांच बिक्री डिपू मंजूर किये गये हैं। मनीपुर प्रशासन विपणन वाली शिखर संस्था को ऋण देता है। अखिल भारतीय हथकरघा कपड़ा विपणन सहकारी संस्था समय समय पर मनीपुर की हथकरघा वस्तुएं खरीदती रहती है और उनको बम्बई, कलकत्ता, दिल्ली, और मद्रास आदि शहरों में बेचती रहती है।

(घ) भारत सरकार मनीपुर में हथकरघा उद्योग के विकास के लिये ऋण और अनुदान देती है। १९५५ से १९६१ की अवधि के बीच ३१४२३६ रुपये का ऋण और १४३३४५ रुपये का अनुदान मंजूर किया गया था।

जामसर (राजस्थान) में गंधक का कारखाना

७४८. श्री प० ला० बारुपाल : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंग कि :

(क) क्या राजस्थान के बीकानर जिले की प्रसिद्ध जिप्सम खान जामसर में गंधक का कारखाना बनाने की कोई योजना है; और

(ख) यदि हां तो यह कार्य कब तक चालू किया जायगा ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

मद्रास राज्य के रोजगार दफ्तरों में पंजीबद्ध अनुसूचित जातियों के लोग

†**७४९. श्री इलयापेरुमाल** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६१-६२ में मद्रास राज्य के विविध रोजगार दफ्तरों में अनुसूचित जातियों के कितने (स्नातक और गैर-स्नातक) पंजीबद्ध हुए थे, और

(ख) उन में से कितन व्यक्तियों को उक्त अवधि में इन रोजगार दफ्तरों ने सहायता दी ?

†**श्रम और रोजगार मंत्रालय में श्रम मंत्री (श्री हाथी)** : (क) २७३९४।

(ख) ४००५ (शैक्षणिक योग्यता संबंधी सूचना उपलब्ध नहीं है)

मद्रास राज्य में पंजीबद्ध बेरोजगार लोग

†**७५०. श्री इलयापेरुमाल** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मद्रास राज्य के विभिन्न रोजगार दफ्तरों में कितने व्यक्ति (स्नातक और गैर-स्नातक) पंजीबद्ध हुए थे; और

(ख) उक्त अवधि में कितने व्यक्तियों को रोजगार संबंधी सहायता प्रदान की गई ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्रम और रोजगार मंत्रालय में श्रम मंत्री (श्री हाथी) : (क) और (ख).

	१९६१-६२ में पंजीयन	१९६१-६२ में रोजगार दिलाया गया
स्नातक	७२१६	१५१५
गैर-स्नातक . . . . (मैट्रिक व इंटरमीडिएट)	६१३५३	१६१९९

सिंगरेनी कोलिरीज कम्पनी में औद्योगिक विवाद

†७५१. **श्री प० कुन्हन** : क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मुख्य स्टोरों के स्टोर कीपरों को पढ़ा हुआ सत्यापन भत्ता देने के सम्बन्ध में सिंगरेनी कोलियरी कम्पनी में औद्योगिक विवाद के बारे में, जो २३ जनवरी १९६२ से सरकार के पास निलंबित था, निर्णय करने में विलम्ब होने के क्या कारण थे; और

(ख) कब तक निर्णय किये जाने की संभावना है ?

†श्रम और रोजगार मंत्रालय में श्रम मंत्री (श्री हाथी) : (क) और (ख) विवाद १८ अप्रैल, १९६२ को कार्य निर्वाचन के लिये भेजा जा चुका है ।

पाकिस्तान से रूई का आयात

†७५२. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बतान की कृपा करेंग कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत पाकिस्ताना से रूई का अधिक संभरण प्राप्त करने का विचार करता है ?

(ख) यदि हां, उस देश में अगले वर्ष कितनी रूई आयात की जायेगी तथा पिछले दो वर्षों में प्रत्येक ने वहां से कितनी रूई आयात की गई और

(ग) उपरोक्त भाग (ख) में उल्लिखित प्रस्थापना के सम्बन्ध में पाकिस्तान सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

†वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) जी हां ।

(ख) पाकिस्तान से रूई का आयात भारत-पाकिस्तान व्यापार करार के अधीन किया जाता है । करार के पिछले दो वर्षों में, पाकिस्तानी रूई का आयात ३३८९१ गांठें और ३-३-६२ तक ३२४३७ गांठें क्रमश: था । अगले वर्ष में कितनी रूई आयात की जान की संभावना है, यह अभी बताना कठिन है ।

(ग) अभी प्रस्थापना की जानी है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

नेफा में खनिज

†७५४. **श्री डा० रमरिंग** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेफा क्षेत्र में मूल्यवान खनिज निक्षपों का सरकार को पता है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार शीघ्र ही उन खनिज पदार्थों को निकालने की व्यवस्था कर रही है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) और (ख). भूत्वीय सर्वेक्षण न दूसरी पंचवर्षीय योजना अवधि में नेफा के खनिज संसाधनों की खोज की, और खोज अभी जारी है। कोयला, पाइराइट्स, लोहा-अयस्क, चूने का पत्थर और पैट्रोल के कुछ निक्षेप पाये गये हैं। अब तक किये गये काम से इतनी मात्रा खनिज संसाधनों की विद्यमानता के संकेत नहीं मिले कि उन को निकालने का प्रयत्न किया जाये।

चीनी मजूरी बोर्ड

†७५५. **श्रीमती विमला देवी** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आंध्रप्रदेश में कितनी चीनी फैक्ट्रियों ने अखिल भारतीय चीनी मजूरी बोर्ड की सिफारिशों को कार्यान्वित किया है और जिन्हों ने उन को अभी तक कार्यान्वित नहीं किया उन के नाम क्या हैं; और

(ख) उन फैक्टिरियों में सिफारिशों को कार्यान्वित करवाने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

श्रम और रोजगार मंत्रालय में श्रम मंत्री (श्री हाथी) : (क) कोई भी सिफारिशें आंध्रप्रदेश में ११ चीनी फैक्टिरियों में से ९ फैक्टिरियों द्वारा कार्यान्वित की गई हैं। मैसर्स सर्वरिया शूगर्स लिमिटेड, चेल्लूरू के प्रबन्धकों और कार्यकर्ताओं के बीच, सिफारिशों की कार्यान्विति के सम्बन्ध में, बात-चीत चल रही है। चेल्लाधाली शूगर्स लिमिटेड, चल्लिप्पा भी ने अभी तक कार्यान्विति के लिये कोई कदम नहीं उठाया।

(ख) राज्य सरकार संबद्ध प्रबन्धकों के साथ इस मामले में बात-चीत कर रही है।

आकाशवाणी का जम्मू केन्द्र

†७५६. **श्री अब्दुलगनी गोनी** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आकाशवाणी का जम्मू केन्द्र देश भर में सुना जा सकता है ; और

(ख) यदि नहीं, तो उस को सुधारने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं और कब तक ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० बे० गोपाल रेड्डी)** : (क) जी, नहीं।

(ख) आकाशवाणी की प्रादेशिक सेवायें उस केन्द्र के इर्द गिर्द के प्रदेश के लिये होती हैं। वे समूचे देश भर में सुनाने के लिये नहीं होतीं। इस लिये जम्मू केन्द्र को समूचे देश में सुनाने योग्य बनाने की कोई प्रस्थापना नहीं है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†दिल्ली के दैनिक तथा साप्ताहिक समाचार-पत्र

†७५७. **श्री अब्दुलगनी गोनी** : क्या सूचना तथा प्रसारण मंत्री यह बताने की और कृपा करेंगे कि दिल्ली और नई दिल्ली से अंग्रेजी, हिन्दी और उर्दू में कितने दैनिक और साप्ताहिक समाचार-पत्र प्रकाशित होते हैं और उन के नाम क्या हैं ?

†सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० बे० गोपाल रेड्डी) : वर्ष १९६० सम्बन्धी सूचना समाचार पत्रों के पंजीयक वार्षिक प्रतिवेदन १९६१ (भाग २) में दी गई है, जो ७ दिसम्बर, १९६१ को सभा पटल पर रखा गया था। १९६१ संबंधी सूचना के लिये समाचार-पत्र पंजीक का प्रतिवेदन, १९६२ में यथा समय सभा पटल पर रखा जायेगा।

सरकार द्वारा देवनागरी लिपि में समाचार-पत्र निकालना

†७५८. **श्री प० ना० कयाल** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बतान की कृपा करेंगे कि क्या देवनागरी लिपि में किन्तु प्रादेशिक भाषाओं में समूचे देश में राष्ट्रीय एकता लाने तथा साथ ही साथ आम जनता को ज्ञान प्रदान की दृष्टि से, सरकार द्वारा पुरोनिधान किया गया समाचार-पत्र प्रकाशित करने की कोई प्रस्थापना है ?

†सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० बे० गोपाल रेड्डी) : जी नहीं।

पूर्वी पाकिस्तान के शरणार्थियों का पुनर्वास

७५९. **श्री बैरवा** : क्या निर्माण, आवास और संभरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंग कि :

(क) पूर्वी पाकिस्तान से आये हुए विस्थापितों को पश्चिमी बंगाल के अतिरिक्त और कहां कहां बसाया गया है ?

(ख) क्या ग्राम घट्टी, तहसील किशनगंज, जिला कोटा में भी पूर्वी पाकिस्तान के कुछ बंगाली शरणार्थियों को बसाया गया है और यदि हां, तो कितने;

(ग) घट्टी कालोनी योजना पर अब तक कुल कितना खर्च हुआ है और प्रत्यक मद के अधीन कितना-कितना खर्च हुआ है;

(घ) वहां पर कितने परिवार बसाये जाने की योजना की और प्रत्येक परिवार के लिये कितना कितना खर्च हुआ है; और

(ङ) अब वहां पर कितने परिवार बसाना बाकी है ?

निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना) : (क) आसाम, त्रिपुरा, बिहार उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, मनीपुर, राजस्थान और अन्दमान और निकोबार द्वीप के विभिन्न स्थानों में।

(ख) जी हां। इस योजना के अन्तर्गत, २६६ परिवार वहां बसाये गये थे। जिन में से बाद में १७५ परिवार पुनर्वास बस्तियों को छोड़ गये।

†मल अंग्रजी में

(ग) अपेक्षित जानकारी के सम्बन्ध में एक विवरण संलग्न है। **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ६०]**

(घ) वहां पर ६०० कृषक तथा ६० कृषक भिन्न विस्थापित परिवारों को बसाने की व्यवस्था थी। प्रत्येक परिवार पर जो खर्च हुआ वह अभी तैयार नहीं किया गया क्योंकि अभी कुछ व्यवस्थापन करना शेष है और कुछ आकलन आने शेष हैं।

(ङ) भविष्य में वहां परिवारों को बसाने की कोई प्रस्तावना नहीं क्योंकि पश्चिमी बंगाल सरकार के अनुसार पूर्वी पाकिस्तान के विस्थापित इन बस्तियों में आने के इच्छुक नहीं हैं।

गोआ में पुर्तगाली तथा विदेशी लोग

†७६०. **श्री जेधे** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय गोआ में कितने पुर्तगाली राष्ट्रजन ठहरे हुए हैं,

(ख) गोआ में (देशवार) अन्य कितने विदेशी ठहरे हुए हैं; और

(ग) आज तक वहां भारतीय सैनिक तथा पुलिस के कितने कर्मचारी ड्यूटी पर हैं?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) से (ग). सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

रांची में आकाशवाणी केन्द्र

†७६१. **श्री ह० च० लोय** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सही है कि बिहार में रांची का आकाशवाणी केन्द्र आदिम जातीय संगीत तथा संस्कृति के प्रोत्साहन तथा विकास सहित उस प्रदेश की सांस्कृतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये स्थापित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस केन्द्र द्वारा एक सप्ताह में आदिम जातीय संगीत तथा संस्कृति के कार्यक्रम के कुल समय में कितने प्रतिशत समय नियत किया जाता है तथा कितने आदिम जातीय कलाकार रखे जाते हैं और कुल कलाकारों में उन का प्रतिशत कितना है?

(ग) केन्द्र में निवास स्थान के सम्बन्ध में इन आदिम जातीय कलाकारों को क्या सुविधायें प्रदान की जाती हैं; और

(घ) कौन सी मुख्य भाषाओं को प्रोत्साहन दिया जा रहा है और किस मात्रा तक?

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० बे० गोपाल रेड्डी)** : (क) रांची स्टेशन बिहार के उस प्रदेश के सब लोगों की सांस्कृतिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये जिस में न केवल आदिम जातीय लोग ही शामिल हैं किन्तु औद्योगिक मजदूर और नगरों तथा गांवों की बड़ी संख्या भी शामिल है।

(ख) आदिम जातीय तथा गैर-आदिम जातीय संस्कृतियों के बीच समय का इस प्रकार कोई पक्का नियतन नहीं। किन्तु कुल प्रसारित कार्यक्रमों में से लगभग १० प्रतिशत कार्यक्रम ग्राम्य तथा लोक नियमों के लिये होते हैं और लगभग ३० प्रतिशत स्टाफ आर्टिस्ट आदिम जातीय समाजों से केन्द्र में रखे जाते हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) वही सुविधायें हैं जो अन्य स्टाफ आर्टिस्टों को प्राप्त हैं।

(घ) उस प्रदेश की मुख्य भाषा हिन्दी है जो कार्यक्रम की प्रमुख भाषा है। इन प्रदेशों में बहुतेरी बोलियां बोली जाती हैं और इनमें से ७ का आकाशवाणी के कार्यक्रमों में प्रयोग किया जाता है, अर्थात्, ओराओं, हो, कुरमाली, खड़िया, मुंडा, नागपुरिया तथा संथाली।

जमशेदपुर में प्रसारण केन्द्र का खोला जाना

†७६२. **श्री ह० च० सौय** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सही है कि जमशेदपुर में एक प्रसारण केन्द्र खोलने की भारत सरकार की प्रस्थापना है;

(ख) यदि हां, तो इस के कार्यक्रमों की सांस्कृतिक रूप रेखा क्या होगी; और

(ग) क्या उस क्षेत्र की स्थानीय आदिम जातीय भाषाओं को उस योजना में स्थान दिया जायेगा ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० बे० गोपाल रेड्डी)** : (क) जी, नहीं। जमशेदपुर में प्रसारण केन्द्र स्थापित करने की कोई प्रस्थापना नहीं है। तथापि अधिकतर रांची और पटना से कार्यक्रमों को रिले करने के लिये १ किलोवाट का मध्यम तरंग रिले ट्रांसमीटर लगाने की संभावना के बारे में विचार किया जाता रहा है। इस समय यह प्रस्थापना स्थगित कर दी गई है।

(ख) और (ग). सवाल पैदा नहीं होता।

भारत-नेपाल सीमा पर मुठभेड़

†७६३. **श्री नाथ पाई** :
श्रीमती मैमूना सुल्तान :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री विभूति मिश्र :
श्री अ० सिं० सहगल :
श्री द्वा० ना० तिवारी :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री योगेन्द्र झा :
श्री प्रिय गुप्त :
श्री हेम बरुआ :
श्री विश्वनाथ राय :
डा० महादेव प्रसाद :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पिछले दो महीनों में भारत-नेपाल सीमा पर विद्रोहियों तथा शाही सेनाओं के बीच मुठभेड़ हुई है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो उक्त अवधि में ऐसी कितनी घटनायें हुई हैं; और

(ग) सरकार इन घटनाओं को रोकने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार करती है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) भारत नैपाल सीमा के अतिरिक्त भारतीय इलाके में नेपाल की शाही सेनाओं और विद्रोहियों के बीच कोई मुठभेड़ नहीं हुई ?!

(ख) और (ग) सवाल पैदा नहीं होते ।

मस्जिद मोठ, नई दिल्ली के समीप भूमि की नीलामी

†७६४. { **श्री हेम बरुआ** :
श्री स० मो० बनर्जी :

क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री जनवरी, १९५८ से आज तक सरकार द्वारा नीलामी के द्वारा नई दिल्ली में मस्जिद मोठ गांव में बेची गई निष्काम्य भूमियों के क्षेत्र और मूल्य आदि संबंधी एक विस्तृत विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे ?

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना)**: अपेक्षित जानकारी देने वाला विवरण संलग्न है । **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ९१]**

कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन के प्रकाशन

७६५. श्री प्रकाशवीर शास्त्री : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन द्वारा गत ६ मास में कितने प्रकाशन निकाले गये और उन में से कितनों का हिन्दी संस्करण भी प्रकाशित हुआ है अथवा किये जाने वाला है; और

(ख) यदि प्रकाशन केवल अंग्रेजी में ही निकाले गय हैं, तो इन का हिन्दी संस्करण न निकालने के क्या कारण हैं ?

योजना तथा श्रम और रोजगार मंत्री (श्री नन्दा) : (क) और (ख). गत छः महीनों में कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन ने निम्न दो प्रकाशन निकाले हैं :—

१. कुछ सफल पंचायतें—व्यक्तिशः अध्ययन और

२. मूल्यांकन अध्ययन (१९६०—६१) का सारांश

"कुछ सफल पंचायतें—व्यक्तिशः अध्ययन" के कुछ महत्वपूर्ण निष्कर्षों का हिन्दी अनुवाद हो चुका है और सातवीं मूल्यांकन रिपोर्ट के चुने हुए भागों के हिन्दी संस्करण में शामिल किया गया है। यह संस्करण छप रहा है और संभवतः बहुत जल्द ही वितरण के लिये उपलब्ध हो जायेगा। "मूल्यांकन अध्ययन (१९६०—६१) का सारांश" का हिन्दी अनुवाद हो चुका है और यह शीघ्र ही प्रकाशित हो जायेगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

योजना आयोग के प्रकाशन

७६६. **श्री प्रकाशवीर शास्त्री** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) योजना आयोग ने गत ६ मास में कितने प्रकाशन निकाले हैं और उन में से कितनों का हिन्दी संस्करण प्रकाशित किया गया है; और

(ख) जिन प्रकाशनों का हिन्दी संस्करण अभी तक नहीं निकला है उन के हिन्दी संस्करण निकालने की क्या व्यवस्था की जा रही है ?

योजना तथा श्रम और रोजगार मंत्री (श्री नन्दा) : (क) पिछले छः महीनों में योजना आयोग ने २३ प्रकाशन निकाले हैं, इन में से ८ का हिन्दी संस्करण भी प्रकाशित किया गया है ।

(ख) बाकी प्रकाशनों में से छः का हिन्दी संस्करण निकालने का प्रस्ताव हैं । इन के अलावा अन्य परियोजना अधिकारियों के मतलब के तकनीकी किस्म के प्रतिवेदन हैं ।

राष्ट्रीय भवन निर्माण संगठन के प्रकाशन

७६७. **श्री प्रकाशवीर शास्त्री** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय भवन निर्माण संगठन ने गत ६ मास में क्या-क्या प्रकाशन निकाले हैं ;

(ख) उन में से किन-किन प्रकाशनों का हिन्दी संस्करण निकाला गया है ; और

(ग) शेष प्रकाशनों के हिन्दी संस्करण निकालने के बारे में क्या व्यवस्था की जा रही है ?

निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना) : (क) एक सूची, जिसमें राष्ट्रीय इमारत संस्था द्वारा पिछले छह महीनों में प्रकाशित किये गये प्रकाशनों के नाम दिये गये हैं, संलग्न है । **[देखिये परिशिष्ट १ अनुबन्ध संख्या ९२]** ।

(ख) मद संख्या १४ के अलावा, जो कि हिन्दी में प्रकाशित की गई है, राष्ट्रीय इमारत संस्था ने इस सूची में सम्मिलित निम्नलिखित प्रकाशनों के हिन्दी संस्करण प्रकाशित किये हैं :

१. बिल्डिंग लाइम ।

२. सैनिटरी रूरल लैट्रीन ।

(ग) राष्ट्रीय इमारत संस्था के उन प्रकाशनों को, जिन में जनसाधारण की रुचि हो सकती हो, हिन्दी में प्रकाशित करने के लिये प्रबन्ध विद्यमान है ।

तापीय पुनरवाप्त रबड़[1] का निर्माण

†७६८. **श्री चांडक** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६५-६६ तक तापीय पुनरवाप्त रबड़ के उत्पादन का क्या लक्ष्य है ;

(ख) तापीय पुनरवाप्त रबड़ के निर्माण के लिये अब तक कितनी इकाइयों को लाइसेंस दिये गये हैं ;

---

†मूल अंग्रेजी में

[1] Thermal Reclaimed Rubber.

(ग) इन में से प्रत्येक इकाई की अनुमानित स्थानीय क्षमता कितनी है ;

(घ) कितनी इकाइयां उत्पादन कर रही हैं ; और

(ङ) अन्य इकाइयां कब उत्पादन आरम्भ करेंगी ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) से (ङ). विवरण संलग्न है । **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ९३]** ।

भारत सरकार के मुद्रणालय

†७६९. **श्री रवीन्द्र वर्मा** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत सरकार के सिक्योरिटी प्रैसों समेत कितने मुद्रणालय हैं ;

(ख) ये किन स्थानों पर हैं ;

(ग) क्या सरकार ने ऐसा एक प्रेस लगाने के लिये केरल में भूमि का एक टुकड़ा लिया है; और

(घ) यदि हां, तो केरल में अधिग्रहण की गई भूमि पर प्रेस आरम्भ करने में हो रहे विलम्ब के कारण क्या हैं ?

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना)** : (क) से (घ). अपेक्षित सूचना वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।**[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ९४]**

पाकिस्तानी राष्ट्रजनों का भारत में आगमन तथा भारतीय राष्ट्रजनों का पाकिस्तान में जाना

†७७०. **श्री दलजीत सिंह** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष के पहले तीन महीनों में कितने पाकिस्तानी राष्ट्रजन भारत में आये ; और

(ख) कितने भारतीय उक्त अवधि में पाकिस्तान गये ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री तथा अणु-शक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** :

*(क) ८१·९२८

*(ख) ५०१५९

पंजाब में पंजीबद्ध बेरोजगार लोग

†७७१. **श्री दलजीत सिंह** : क्या **श्रम और रोजगार मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि चालू वर्ष के पहले तीन महीनों में पंजाब में पंजीबद्ध बेरोजगार स्नातकों, इन्टर पास तथा मैट्रिक पास लोगों में से कितने व्यक्तियों को रोजगार मिला ?

---

†मूल अंग्रेजी में

*इन आंकड़ों में फरवरी और मार्च १९६२ के गुजरात राज्य के आंकड़े शामिल नहीं हैं ।

†**श्रम और रोजगार मंत्रालय में श्रम मंत्री (श्री हाथी)** : जनवरी-मार्च १९६२ के तीन महीनों में पंजाब में इस प्रकार रोजगार दिलाया गया था :—

स्नातक	४२४
इण्टर पास	५११
मैट्रिक	४५५९

नेपाली पुलिस द्वारा अपहृत भारतीय राष्ट्रजन

†७७२. **श्री हरिविष्णु कामत** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल के महीनों में नेपाल सशस्त्र पुलिस द्वारा भारतीय राज्य क्षेत्र से भारतीय राष्ट्रजन अपहृत किये गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो कितने (यदि सम्भव है) ;

(ग) क्या वे अब निरुद्ध हैं;

(घ) क्या सरकार ने उनकी रिहाई के लिये कोई प्रयत्न किया है ;

(ङ) यदि हां, तो क्या परिणाम निकला; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री तथा अणु-शक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) से (ग). सूचना एकत्रित की जा रही है ?

(ख) उपरोक्त उत्तर की दृष्टि से ये सवाल पैदा नहीं होते ।

---

†अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

काश्मीर और चीन के सिकियांग क्षेत्र के बीच सीमा निर्धारण के बारे में बातचीत करने का पाकिस्तान और चीन का कथित निर्णय

†**श्री हेम बरुआ** (गोहाटी) : मैं नियम १९७ के अधीन प्रधान मन्त्री का ध्यान पाकिस्तान और चीन द्वारा काश्मीर और चीन के सिकियांग के बीच सीमा निर्धारण के लिये बातचीत करने के कथित निर्णय की ओर आकर्षित करता हूं और निवेदन करता हूं कि वह इस बारे में एक वक्तव्य दें।

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री तथा अणु-शक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : ३ या ४ मई को पाकिस्तान और चीन की सरकारों द्वारा एक साथ यह घोषणा की गई थी कि दोनों देशों ने चीन के सिकियांग और समीपवर्ती क्षेत्रों के बीच सीमा निर्धारण सम्बन्धी समझौता करने के लिये बातचीत करना और एक अस्थायी करार पर हस्ताक्षर करना स्वीकार कर लिया है । परन्तु दोनों पक्षों ने यह भी स्वीकार किया है कि पाकिस्तान और भारत के बीच काश्मीर सम्बन्धी विवाद हल हो जाने के पश्चात् बंधित प्रभुत्व सम्पन्न प्राधिकारी काश्मीर की सीमा के सम्बन्ध में चीनी सरकार के साथ पुनः बातचीत शुरू करेंगे । केवल यही बात उन्होंने कही थी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

काश्मीर भारत का एक अंग है । ऐसी स्थिति में चीन की यह घोषणा कि पाकिस्तान के साथ चीन आज़ाद काश्मीर के बारे में बातचीत करेगा, एक प्रकार से चीन द्वारा हस्तक्षेप ही है जो कि चीन का काश्मीर पर भारत की सार्वभौमता, उसकी वैधानिक सार्वभौमता में हस्तक्षेप है । और मेरी समझ में यह बात नहीं आती कि पाकिस्तान ने किस प्रकार यह स्वीकार कर लिया कि सीमा निर्धारण किया जाये । यह तो ऐसा मालूम होता है कि इस खास परिस्थिति का लाभ उठाया जा रहा है । ऐसा करने से तो उस सीमा में परिवर्तन हो जायेगा जो कि एक लम्बे समय से चली आ रही है । यह ठीक है कि इन पहाड़ियों मे पृथ्वी पर सीमा नहीं बनाई जा सकती है । यही कारण है कि सीमा जैसी कोई चीज नहीं होती । भूतकाल में भी हमने पाकिस्तान तथा चीन सरकार दोनों से ही यह स्पष्ट कर दिया था कि पाकिस्तान के पास सीमान्त के जो भाग हैं उनके सम्बन्ध में उन भागों ने तथा पाकिस्तान ने जो प्रबन्ध किये हैं उनको हम कोई मान्यता नहीं देते । आज से १$^{1}/_{2}$ वर्ष पूर्व जब मैं पाकिस्तान गया था तो वहां प्रेसीडेंट अय्यूब तथा विदेश मन्त्रियों से इन भागों के बारे में चर्चा की थी । क्योंकि चीन हमारी ओर बढ़ रहा है और सीमा का कुछ भाग पाकिस्तान के अधीन है । मैं यह जानना चाहता था कि पाकिस्तान ने चीन के विरुद्ध इस मामले में क्या कार्यवाही की है । यह मामला पहले भी हमारे सामने आया था । पाकिस्तान भी इस बात से सहमत है कि हुन्ज़ा नामक क्षेत्र के बारे में हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है ।

जहां तक सीमा की बात है ऐसा मालूम पड़ता है कि दोनों ही देशों को स्थिति की पूरी पूरी जानकारी नहीं है । हमें उस क्षेत्र की पूरी पूरी जानकारी है । हमने पाकिस्तान सरकार को नक्शे दिखाये । हमने पाकिस्तान के साथ मित्रता का बर्ताव किया क्योंकि हम चाहते थे कि सीमा के बारे में हम तथा पाकिस्तान जो भी कार्यवाही करता है उसमें कोई अन्तर न हो । लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि पाकिस्तान ने चीन के साथ वह समझौता किया जो भारत की वैधानिक स्थिति में हस्तक्षेप करने वाला है ।

जहां तक कि इस वर्तमान स्थिति की बात है, ऐसा प्रतीत होता है कि चीन तथा पाकिस्तान सीमा के बारे में कोई अस्थायी निर्णय करना चाहते हैं । यह कराकोरम दर्रे के बारे में है ।

सभा पटल पर रखें गये पत्र

रबड़ (द्वितीय संशोधन) नियम

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : मैं रबड़ अधिनियम, १९४७ की धारा २५ की उप-धारा (३) के अन्तर्गत दिनांक ६ जनवरी, १९६२ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० २९ में प्रकाशित रबड़ (दूसरा संशोधन) नियम, १९६१ की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी०—७९/६२]

श्री मनूभाई शाह : मैं श्री कानूनगो की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(१) नमक उप-कर अधिनियम १९५३ की धारा ६ की उपधारा (३) के अन्तर्गत दिनांक ३ फरवरी, १९६२ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १३७ में प्रका-

---

†मूल अंग्रेजी में

शित अनुज्ञप्ति प्राप्त नमक निर्माताओं को ऋण देना (संशोधन) नियम, १९६२ की एक प्रति ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी०—८०/६२]

(२) खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम, १९५६ की धारा २६ की उप-धारा (३) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(क) दिनांक २६ अगस्त, १९६१ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १०५३, जिसमें खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग (संशोधन) नियम, १९६१ दिये हुए हैं ।

(ख) दिनांक १३ जनवरी, १९६२ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ५८, जिसमें खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग (संशोधन) नियम, १९६२ दिये हुए हैं ।

(ग) दिनांक २४ मार्च, १९६२ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ३५४, जिसमें खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग (दूसरा संशोधन) नियम, १९६२ दिये हुए हैं ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी०—८१/६२]

समितियों के लिये निर्वाचन

राजघाट समाधि समिति

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पू० शे० मास्कर)** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि राजघाट समाधि अधिनियम, १९५१ की धारा ४ की उप-धारा (१) (घ) के अनुसरण में लोक-सभा के सदस्य, ऐसी रीति से, जैसे कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबन्धों के अधीन राजघाट समाधि समिति के सदस्यों के रूप में काम करने के लिये अपने में से दो सदस्य चुनें ।"

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रस्ताव यह है :

"कि राजघाट समाधि अधिनियम, १९५१ की धारा ४ की उप-धारा (१) (घ) के अनुसरण में, लोक-सभा के सदस्य, ऐसी रीति से, जैसे कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबन्धों के अधीन राजघाट समाधि समिति के सदस्यों के रूप में काम करने के लिए अपने में से दो सदस्य चुनें ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

---

†मूल अंग्रेजी में

कर्मचारी राज्य बीमा निगम

†**श्रम और रोजगार मंत्रालय में श्रम मंत्री (श्री हाथी)** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि कर्मचारी राज्य बीमा (केन्द्रीय) नियम, १९५० के नियम २क के साथ पठित कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, १९४८ की धारा ४ (एक) के अनुसरण में लोकसभा के सदस्य, ऐसी रीति से, जैसे कि अध्यक्ष निदेश दें, कर्मचारी राज्य बीमा निगम के सदस्य के रूप में काम करने के लिये अपने में से एक सदस्य चुनें।"

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि कर्मचारी राज्य बीमा (केन्द्रीय) नियम, १९५० के नियम २क के साथप ठित कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, १९४८ की धारा ४ (एक) के अनुसरण में लोकसभा के सदस्य, ऐसी रीति से, जैसे कि अध्यक्ष निदेश दें, कर्मचारी राज्य बीमा निगम के सदस्य के रूप में काम करने के लिये अपने में से एक सदस्य चुने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सामान्य आयव्ययक—सामान्य चर्चा

†**अध्यक्ष महोदय** : अब सभा में सामान्य आय व्ययक पर सामान्य चर्चा होगी।

नियम २०७(१) के अनुसार माननीय सदस्य सम्पूर्ण आय व्ययक अथवा उसमें निहित किसी एक सिद्धांत के बारे मे अपने विचार प्रकट कर सकते हैं। बजट के सम्पूर्ण रूप एवं उसके ढांचे की आलोचना की जा सकती है। कर लगाने आदि के बारे में भी अपने विचार प्रकट किये जा सकते हैं।

†**श्री अ० क० गोपालन** (कासरगोड़) : सरकार का उद्देश्य देश में समाजवादी समाज की स्थापना करने का है। अतः आय व्ययक में भी उस उद्देश्य की पूर्ति के लिये कुछ न कुछ किया जाना चाहिये। मेरा निवेदन यह है कि देश में समाजवाद की स्थापना तब तक नहीं की जा सकती जब तक कि उत्पादक पूंजी के बड़े भाग पर एकाधिकारयों और गैर-सरकारी व्यक्तियों का नियंत्रण रहता है। बैंक, खान तथा व्यापार पर इन लोगों का ही नियंत्रण है। जहा तक भूमि सुधार का सम्बन्ध है, इस समय भी ३० प्रतिशत भूमि पर ३ प्रतिशत से भी कम लोगों का अधिकार है। इसके अलावा प्रायः समस्त समाचार-पत्र कुछ एकाधिकारयों के नियंत्रण में हैं।

तीसरी योजना के शुरू करने के साथ ही आत्मनिर्भर अर्थ व्यवस्था की बात की जा रही है। वित्त मंत्री ने अपने आय व्ययक भाषण में भी इसका उल्लेख किया है लेकिन सवाल यह है कि क्या इस स्थिति में यह संभव है। इतनी अधिक विदेशी पूंजी का आयात करके, जिससे हमारा विदेशी एकाधिकारयों के प्रति दायित्व बढ़ता है, अतः आत्म निर्भर अर्थ व्यवस्था नहीं की जा सकती। हर आय व्ययक मे विदेशी एकाधिकार पूंजी के लिये छूट दी जा रही है।

हमारी राष्ट्रीय आय में ४२ प्रतिशत की वृद्धि हुई है। अर्थात् प्रति व्यक्ति की आय में ३ प्रतिशत वार्षिक वृद्धि हुई है जो कि बहुत ही थोड़ी है। जब कि विकसित देशों में प्रति व्यक्ति की आय मे काफी वृद्धि हो रही है। यदि हमारे यहां वृद्धि की दर यही रही तो १९७५ में भी हमारा देश संसार का एक

---

†नून अंग्रेजी में

[श्री अ० क० गोपालन]

बहुत गरीब देश बना रहेगा । यह बात भी रिजर्व बैंक आफ इंडिया के एक बुलेटिन में श्री आयंगार ने स्पष्ट की है ।

कृषि तथा औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि हुई है । लेकिन इस वृद्धि से जनता के स्तर में कोई सुधार नहीं हुआ है । भूमिहीन श्रमिकों की स्थित भूमि सुधार सम्बन्धी कानून के लागू किये जाने के बाद और भी खराब हो गई है । शासक दल के उच्च पदस्थ व्यक्तियों ने यह स्वीकार किया है कि भूमि की जोतों की अधिकतम सीमा हमारे उद्देश्यों की प्राप्ति में असफल रही है । भूमि हीन व्यक्तियों में पड़ती भूमि की बांट के सम्बन्ध में बहुत कम सफलता मिली है । कृषि श्रमिकों में बाल श्रमिकों का प्रतिशत १९५०–५१ में ४·९ से बढ़कर १९५६–५७ में ७.७ हो गया है । वस्तुत: स्थिति तो यह होनी चाहिये कि देश में एक भी बाल श्रमिक न हो ।

श्री जय प्रकाश नारायण की अध्यक्षता में जो अध्ययन दल बनाया गया था उसने अध्ययन के बाद बताया है कि गांवों की दशा सुधरी अवश्य है किन्तु ग्रामीणों के स्तर में कोई अन्तर नहीं आया । दूसरे भूमिहीन श्रमिक की आय भी कम हुई है । तीसरे लोगों की आय १०० रुपये प्रतिमास से भी कम है । इतना होने पर भी वित्त मंत्री कर बढ़ाकर उनके द्वारा उपभोग की जाने वाली वस्तुओं में और भी कमी कर रहे हैं ।

पिछले दस वर्षों में औद्योगिक क्षेत्र में उत्पादन में तो ५० प्रतिशत की वृद्धि हुई है किन्तु रोजगार की स्थिति प्राय: स्थिर है । मजूरियों में वृद्धि मूल्य वृद्धि के अनुरूप नहीं हुई है । वास्तविक वृद्धि बड़े व्यापारियों के लाभ में हुई है । उनमें से कुछ ने बहुत अधिक लाभांश वितरित किये हैं । ऐसी स्थिति में आम जनता का स्तर गिरा है उनकी उपभोग शक्ति मे कमी हुई है ।

सरकार की आर्थिक नीति और कराधान आय सामाजिक सिद्धांतों का अभाव प्रदर्शित करते हैं और उनसे जनता की स्थिति के प्रति उपेक्षा ही अधिक दिखाई पड़ती है । हमारे गांवों में ८० प्रतिशत व्यक्ति ऐसे हैं जिनकी मासिक आय २० से ३० रुपये ही है । यह अप्रत्यक्ष कर जनता की कोई सहायता नहीं कर सकते । कई कई वर्षों से यह अप्रत्यक्ष कर इकट्ठे होते चले आ रहे हैं । जब तक ये बैंक, व्यापार, चाय बागान आदि पूंजीपतियों के हाथ में रहेंगे तब तक असमानता रहेगी । पिछले अनेक वर्षों से अप्रत्यक्ष कराधान बढ़ रहा है । संघ सरकार की कुल राजस्व आय में राज्यों के अंश को निकाल कर, लगभग १३० प्रतिशत की वृद्धि हुई है जिसमें से अप्रत्यक्ष करों, जिनका भार जनता पर पड़ता है, २५० प्रतिशत वृद्धि हुई है जब कि प्रत्यक्ष करों में केवल ५९ प्रतिशत की वृद्धि हुई है । भारत में करापवंचन बहुत होता है और उसमें भी बुरी बात यह है कि उसमें और भी वृद्धि हो रही है । धनवान लोग बहुत अधिक लाभ कमा रहे हैं । बजट प्रस्ताव में सरकार ने वर्तमान नीतियों को बदलने की कोई चेष्टा नहीं की है दूसरी ओर व्यय कर समाप्त करके पूंजीपतियों को अग्रेतर रियायतें दी गई हैं । अत: आवश्यकता इस बात की है कि धनी लोगों पर अधिक प्रतिबन्ध लगाये जायें ।

देश में विलास की वस्तुओं के उत्पादन पर आर्थिक एवं समाजिक दोनो विचारों से कठोर नियंत्रण की आवश्यकता है ।

इस बजट में कराधान के जो प्रस्ताव किये गये हैं उनका उन व्यक्तियों पर बड़ा प्रभाव पड़ता है जो इसको अदा करने में असमर्थ हैं ।

अन्त में मेरा सुझाव है कि बैंकिग और ऋण देने वाली संस्थाओं, खानों, निर्यात आयात व्यापार, बगानों और भारी उद्योगों का राष्ट्रीय करण होना चाहिये । विदेशी पूंजी के प्रयोग पर प्रतिबन्ध लगाये

जाने चाहियें। अमीरों पर कर विशेषकर निगम कर बढ़ाने चाहियें। करापवंचन करने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जानी चाहिये। सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को अधिक कार्यदक्ष बनाना चाहिये। निजी थैलियां बंद की जानी चाहियें। अनावश्यक व्यय और भ्रष्टाचार को खत्म किया जाना चाहिये।

इन उपायों को करने से अधिक धन की प्राप्ति हो सकती है, और अधिक धन मिलने से तीसरी योजना अच्छी तरह पूरी हो सकती है। लोगों को जनता को सन्तुष्ट किये बिना उनका सहयोग मिलना मुश्किल है। जब तक जनता का सहयोग नहीं मिलेगा तब तक योजना की सफलता भी कठिन है। लोगों को सन्तुष्ट करके ही समाजवादी समाज की स्थापना संभव है। जनता की स्थिति में सुधार की आवश्यकता है। आशा है कि वित्त मंत्री इस बात पर विचार करेंगे और यह प्रयत्न करेंगे कि जनता पर कों का और अधिक भार न पड़े। धन एकत्रित करने के लिये और भी साधन हैं। उनका सहारा लिया जा सकता है।

†**श्रीमती गायत्री देवी** (जयपुर) : बजट प्रस्तावों की प्रमुख विशेषता अप्रत्यक्ष कराधान में वृद्धि है जो ६२ प्रतिशत तक है। इन अप्रत्यक्ष कों का भार साधारण जनता की आवश्यकताओं पर पड़ता है। मंत्री महोदय के दिये गये आश्वासन के विपरीत आवश्यक वस्तुओं का मूल्य बढ़ा है और उसका प्रभाव जन साधारण पर पड़ेगा। फलतः मध्य आय वाले लोगों को जीवन यापन करना बहुत कठिन हो गया है। साथ ही यह भी देखने में आया है कि सरकार गरीब लोगों से वसूल किये गये कों को अच्छी तरह उपयोग में लाने में असफल रही है।

हमारे देश में पिछले ५ वर्षों में जितनी मुद्रा स्फीति हुई है वैसी संसार में अन्यत्र कहीं नहीं हुई है। हमारा बजट मूल्यों में होने वाली वृद्धि को नहीं रोक सका है। आजकल पये का मूल्य केवल २० नये पैसे रह गया है।

सरकारी कर्मचारियों को जो मंहगाई भत्ता बढ़ाया गया है वह काफी नहीं है क्योंकि मूल्यों में बराबर बढ़ोतरी हो रही है। इसलिये ऐसी आशा है कि उनकी ओर से मंहगाई बढ़ाने के लिये फिर मांग की जायेगी।

स्वतन्त्र पार्टी का विचार है कि हमारे देश में प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष कर दोनों ही चरम सीमा तक पहुंच गये हैं। हमारा विचार है कि सामान्य व्यक्तियों की आवश्यकताओं को प्राथमिकता दी जानी चाहिये। किन्तु बजट में उनको कोई महत्व नहीं दिया गया है। लोगों के रोजाना काम में आने वाली वस्तुओं के मूल्य निरंतर बढ़ते जा रहे हैं।

अब सवाल यह उठता है कि वर्तमान स्थिति का मुकाबला कैसे किया जाये इस बारे में मेरा सुझाव है कि बेकार के खर्चे में कमी की जाये। अधिकारों की बढ़ती हुई संख्या में कमी की जाये। यदि सरकार अनुत्पादक एवं अलाभकारी परियोजनाओं को रोक दे तो उससे भी व्यय में कमी की जा सकती है।

जहां तक निजी थैलियों की बात है, मेरा सुझाव है कि भूतपूर्व शासकों को जो निजी थैलियां दी जाती हैं वे उनकी पिछली सेवाओं के लिये पेंशन के रूप में हैं। यदि अन्य लोग अपनी पेंशनें छोड़ दें तो हम भी अपनी पेंशनें छोड़ देंगे।

†**श्री शं० शा० मोरे** (पूना) : इस आय व्ययक का मैं स्वागत करता हूं। स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद हमने बजट प्रणाली को नया रूप दिया है। अब उसका उद्देश्य धन एकत्रित करना नहीं वरन्

†मूल अंग्रेजी में

[श्री शं० शा० मोरे]

देश को सभा द्वारा स्वीकृत किये गये निश्चित लक्ष्य की ओर ले जाना है । हमें वर्तमान बजट को अपनी योजनाओं के प्रसंग में देखना चाहिये । दोनों को अलग नहीं किया जा सकता । आर्थिक दृष्टि से कम विकसित देश में संसाधन कम और अपर्याप्त होते हैं । इस लिये संसाधनो की खोज में वित्त मंत्री को सुप्रसिद्ध आर्थिक सिद्धांत छोड़ना पड़ा और कभी कभी ऐसे संसाधनों का सहारा लेना पड़ा जो पश्चिमी दशों में वांछनीय नहीं समझे जाते हैं । एसे व्यक्तियों की संख्या बहुत सीमित है जो प्रत्यक्ष कर दे सकते हैं । वह सम्भवत: ४४ करोड़ की आबादी में १० लाख होगी । कुल ७१ क ोड़ रुपये के करों में से २७ क ोड़ रुपये प्रत्यक्ष करों से प्राप्त होत हैं । वास्तविक प्रश्न यह है कि हमें अपनी योजनाओं के लिये धन प्राप्त करना है जिनके लिये हम वचन बद्ध हैं । यदि साम्यवादी पक्ष तर्क स्वीकार कर लिये जायें तो वह अर्वाचीन अर्थ-व्यवस्था होगी जो मूलत: कृषि पर निर्भर है और औद्योगिक एवं प्राविधिक प्रगति मन्द हो जायेगी ।

रूस ने भी अक्तूबर की क्रांति के पश्चात् जब नई दिशा में कदम उठाया था, तो उसने तुरन्त ही समाजवादी अर्थ व्यवस्था को नहीं अपना लिया था । साथ ही उसने अप्रत्यक्ष करों का भी काफी प्रयोग किया था । अत: हमें यदि प्रगति करनी है या समाजवादी समाज की स्थापना करनी है तो यह आवश्यक है कि हम कुछ त्याग करें । यहां तक कि साधारण व्यक्तयों को भी कुछ न कुछ त्याग करना होगा ।

यदि हमारे प्रजातंत्रवाद ने उन्नति करनी है, तो श्री नबियार और उनके मित्रों का कर्तव्य है कि वे गैर-सरकारी क्षेत्र को आश्वासन दें कि वह भी सरकारी क्षेत्र की तरह अर्थ व्यवस्था का अटूट हिस्सा है और उसे किसी प्रकार का भय नहीं होना चाहिये । इस के ठोस चिन्ह ये है कि निक्षेप और प्रत्यय बढ़ र हे और बैंक सरकारी प्रतिभूतियां खरीद रहे हैं । यदि गैर-सरकारी क्षेत्र भी समाजवाद के लक्षय की ओर बढ़े, तो विषेश उद्योगों के विकास से भी देश को लाभ होगा, क्यों कि वही रोज़गार के अवसर पैदा कर रहे हैं । गैर-सरकारी क्षेत्रमें आई० सी० एस० के व्यक्ति लगाने से बहुत सा अपव्यय हो जाता है । इसको रोका जाना चाहिये ।

आय व्ययक का पूरा समर्थन करते हुए मैं एक बात मुद्रास्फीति और बढ़ते हुए मूलयों के बारे में कहना चाहूंगा । मेरे विचार में वतमान स्थिति का कारण यह है कि हमारा उत्पादन उस मांग से कम रहता है, जो कि धन राशि लोगों के हाथों में आ जाने से उत्पन्न होती है । यह स्वाभाविक है कि मांग अधिक होने और संमरण कम होने की अवस्था में मूल्य बढ़ जायें। मुद्रास्फीति का इलाज एक ही है और वह यह कि उत्पादन बढ़ाया जाये । केवल मूलय नियन्त्रण लागू करने से अधिक भ्रष्टाचार फैलेगा ।

†**श्रीमती शारदा मुकर्जी** (रत्नागिरी) : मैं सदन के सामने देश के जनसाधारण की प्रतिक्रिया रखना चाहूंगी ।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

सब से तहले मैं वित मंत्री को बधाई देती हूं कि उन्होंने कराधान को समाज के व्यापक क्षेत्र में फैला देने का प्रयत्न किया है । राष्ट्र निर्माण की जिम्मेदारी समाज के सामस्त भागों, अमीर और गरीब दोनों पर है ।

रत्नागिरि जिले में जीवन यापन व्यय बढ़ गया है और वहां पानी, सड़कों, डाक्टरी सहायता आदि की कमी है, इस कमी को दूर करने के लिए उस क्षेत्र की ओर वि शेष ध्यान देना चाहिय ।

---

†मूल अंग्रेजी में

यह सच है कि यदि करापवंचन कम हो, तो कराधान का भार कम किया जा सकता है, किन्तु यह आवश्यक है कि अमीरी और बड़े बड़े उपभोग के प्रदर्शन को रोका जाये, ताकि अतिरिक्त आय को बचत में और विनियोग में लगाया जा सके। यदि दौलत का प्रदर्शन जारी रहा, तो कानूनी प्रतिबन्ध होते हुए भी करापवंचन जारी रहेगा। इस लिए सम्पति कर में वृद्धि का स्वागत है। मैं वित्त मंत्री के साथ इस बात पर भी सहमत हूंकि व्यय कर हटा दिया जाये, क्योंकि जिस विधान से क्रियान्वित नहीं किया जा सकता, उसको हटा देना ही अच्छा है।

निगम कर ५ प्रति शत बढ़ा दिया गया है। यह अधिक अच्छ होता। यदि लाभांश कम किये जाते और बचत बढ़ाई जाती। एक तरीका यह है कि बचत में लगाये गये लाभ के भाग पर छूट की जाये।

लोगों में बहुत असंतोष है और यदि अप्रत्यक्ष कर और बढ़ाया गया, तो उपभोक्ता वस्तुओं के मूलयों में और वृद्धि होगी। सरकार का यह कर्तव्य है कि मूल्य और न बढ़े, क्योंकि इनसे महंगाई भत्ता भी सम्बन्धित है और इससे मुद्रास्फीति बढ़ती है।

आशा है कि कपड़े पर जो अतिरिक्त कर लगाया गया है, वह उपभोक्ताओं तक नहीं पहुंचाया जायेगा।

हमें सबको भी वित्त मंत्री की तरह विदेशी मुद्रा के बारे में चिन्ता है। इस लिए हम निर्यात को प्रोत्साहन देने का स्वागत करते हैं, किन्तु हमें याद रखना चाहिये कि औद्योगिक उपक्रमों में बनावट की कुछ त्रुटियां हैं। जब तक हम सस्ता और अच्छा माल न तैयार कर सकते, विदेशी मंडियों में हम मुकाबला नहीं कर सकेंगे। किन्तु यह आवश्यक है कि हम विदेशी सहायता की अपेक्षा विदेशी निर्यात पर निर्भर रहें।

अपना भाषण समाप्त करने से पहले, मैं संक्षेप रूप से फिर बताना चाहती हूं कि हमारे सामने काम क्या है। हमारा काम है मूल्यों को स्थिर रखना, बचत और राष्ट्रीय उत्पादकता बढ़ाना, उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करना और विदेशी मंडियां बनाना।

†**श्री रामानथन् चेट्टियार** (करूर) : आयव्ययक के दो अच्छे पहलूओं में से एक यह है कि बैंकिंग प्रणाली को दृढ़ आधार पर खड़ा कर के ऋण के ढांचे को मज़बूत किया गया है। ऐसा होने से बैंक औद्योगिक विकास में सहायता करेंगे। दूसरा अच्छा पहलू यह है कि वित्त मंत्री ने साभ्य पूंजी पर अधिक ज़ोर दिया है और उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया है कि संयुक्त स्कंध समवायों को बैंको या अर्ध सरकारी वित्तीय संस्थाओं के ऋणों पर निर्भर नहीं रहना चाहिये।

मुझे आशा है कि गैर-सरकारी क्षेत्र सरकार को हर संभव सहयोग देने का प्रयत्न करेगा।

यह खुशी की बात है कि पहली बार आयव्ययक को निर्यात-प्रधान बनाया गया है। निर्यात विकास निधि कि स्थापना से हमारे निर्यातों में वृद्धि होगी। आशा है कि उसका धन बढ़ाया जायेगा।

सरकार व्यापार बोर्ड की स्थापना के लिए भी धन्यवाद की पात्र है और इसने इसके लिए अच्छा मंत्री चुना है।

चाय के निर्यात शुल्क में ४४ नये पैसे से २५ नये पैसे तक की कमी बहुत अच्छी बात है। इस से विदेशी मुद्रा की आय बढ़ेगी।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री रामनाथन् चेट्टियार]

खेद है कि दियासलाई उद्योग को उतना प्रोत्साहन नहीं दिया गया। दक्षिण में यह उद्योग एक कुटीर उद्योग है और इस में काम करने वाले गरीब हैं।

साबुन उद्योग में सीमा २०० से १०० कर देने से उस पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। मैं वित्त मंत्री से अपील करूंगा कि वह इस उद्योग पर अत्यधिक कर न लगाये।

मुझे खुशी है कि उन्होंने निगम कर बढ़ा दिया है। आशा है कि ऐसा होने से कम्पनीयां अपना लाभांश कम नहीं करेगी, क्योंकि उन्हें काफी लाभ हो रहा है।

हम यह भूल नहीं सकते कि मूल्य बढ़ रहे हैं। योजना आयोग में मूल्यों की देख भाल के लिये एक अलग विभाग होना चाहिए। यदि हमने योजनाओं को सफल बनाना है तो हमें यह देखना होगा कि मूल्य अधिकाधिक न बढ़ते जायें। कम से कम इन्हें स्थिर तो रखना चाहिये।

अन्त में मुझे यह कहना है कि यह धारणा फैल रही है कि दक्षिण के राज्यों के आर्थिक और औद्योगिक विकास से उचित प्रोत्साहन नहीं दिया जाता।

केरल, आंध्र, तमिलनाड और मैसूर में सरकारी क्षेत्र की कोई परियोजना नहीं है। ऐसी परियोजनाऐं दक्षिण में अधिक से अधिक स्थापित करनी चाहियें। सरकार को देश में संतुलित प्रादेशिक विकास सुनिश्चित करने के लिये कदम उठाने चाहियें।

कावेरी की गोदी में तैल की खोज शुरू करनी चाहिये और सेतुसमुद्रम परियोजना को तीसरी योजना में सम्मिलित करना चाहिये।

में आयव्ययक प्रस्तावों का स्वागत करता हूं।

†**श्री हरि विष्णु कामत** (होशंगाबाद) : लोक-सभा में आय-व्यय का पेश किया जाना एक खाली रसम सा बन गया है, क्योंकि सरकार सब प्रस्तावों को अपने बहुमत के आधार पर पारित करवा लेती है। दूसरे सदन के अनुदानों की अनुपूरक मांगों की प्रथा भी चल पड़ी है, जिस के कारण आय-व्ययक के अनुमान ग़लत हो जाते हैं। इसलिए आय-व्ययक की चर्चा का उतना महत्व नहीं रह जाता जितना कि होना चाहिये।

वित्त मंत्री ने अपने भाषण में कहा है कि अप्रत्यक्ष करों का भार मध्य वर्ग के लोगों पर भी पड़ता है। मैं समझता हूं कि गरीब लोग तो पिस ही रहे हैं, मध्यम वर्ग भी धीरे धीरे कंगाल होता जा रहा है और यही मध्यम वर्ग देश का सहारा होता है।

वित्त मंत्री ने कहा है कि देश में ४४.३ करोड़ की आबादी में से केवल दस लाख व्यक्ति आय-कर देते हैं। यह हमारे देश की सामाजिक स्थिति पर एक महत्वपूर्ण टिप्पणी है। प्रति व्यक्ति आय इस समय २५ और ३० रुपये के बीच है। इस से अन्दाज़ा लगाया जा सकता है कि निचले तबके के लोग क्या कमाते होंगे और आप उन से करों के रूप में कितना छीन रहे हैं। इस लिये आश्चर्य की बात है कि चाय, तम्बाकू, दियासलाई आदि जैसी वस्तुओं पर कर लगा कर वित्त मंत्री ने गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों का क्या भला किया है। यह याद रखना चाहिये कि जब भी किसी वस्तु पर अप्रत्यक्ष कर लगाया जाता है, उपभोक्ता को उसका कई गुना देना पड़ता है और जैसे ही आय-व्ययक प्रस्ताव घोषित किये जाते हैं, मंडी में भाव बढ़ने लगते हैं। सरकार ने अत्यधिक मुनाफ़ों को रोकने और मूल्यों को करों के अनुसार निश्चित करने के लिए कोई कदम नहीं उठाये।

---

†मूल अंग्रेजी में

जहां तक शराबबन्दी का प्रश्न है, इस नीति के कोई अच्छे परिणाम नहीं निकले हैं। अनेक राज्यों ने आबकारी आय के बन्द होने से हुए घाटे और उसे लागू करने के खर्च की पूर्ति के लिये १०० प्रतिशत केन्द्रीय सहायता की मांग की है। यदि वित्त मंत्री मद्यनिषेध के प्रयोग के सम्बन्ध में भी वही कसौटी अपनायें जो व्यय कर के सम्बन्ध में अपनाई गई है, तो वह निश्चय ही अपनी मद्यनिषेध नीति को बदल देंगे। मेरा दल मद्यनिषेध के पक्ष में है, किन्तु हम चाहते हैं कि इस के लिए प्रचार किया जाये और लोगों को शिक्षा दी जाये। ऐसे उपायों के बिना मद्यनिषेध को लागू करना असंभव है। इस लिए मेरा सरकार को यह सुझाव है कि वे अन्य उपाय करें, जिन के कारण चाय, बीड़ी, दियासलाई और अन्य वस्तुओं पर कर न लगाने पड़ें।

सरकार केवल कर लगाना जानती है। क्या सरकार सरकारी विभागों द्वारा किये जाने वाले अपव्यय को, जो दिन प्रति दिन बढ़ रहा है, रोक नहीं सकती ? क्या वह अपने संसाधन सुरक्षित नहीं रख सकती। क्या वह अपने ऊपर कम रुपया खर्च नहीं कर सकती ? आप देखते हैं कि निर्वाचनों के बाद मंत्रियों की संख्या कितनी बढ़ गई है।

मेरा दल योजना या करारोपण के विरुद्ध नहीं है तथापि मैं यह चाहता हूं कि जनता के धन के प्रत्येक रुपये का उचित उपयोग किया जाये।

अब मैं सरकार को मितव्ययिता के सम्बन्ध में कुछ सुझाव देना चाहता हूं। पहिले तो अनुभव के आधार पर सरकार को मद्यनिषेध की नीति पर पुनर्विचार करना चाहिये। दूसरे सरकार को सामुदायिक विकास कार्यक्रमों तथा योजनाओं पर होने वाले व्यय पर भी गौर करना चाहिये। आचार्य विनोबा ने एक बार बेलगांव में कहा था कि इन परियोजनाओं में जितना धन व्यय हो रहा है उसका एक तिहाई धन का उचित उपयोग नहीं हो पाता है। इसका नतीजा यह होगा कि हम ने जो तीसरी योजना में १०,००० करोड़ रुपयों का उपबंध किया है उसमें से कई हजार करोड़ रुपये व्यर्थ जायेंगे। ऐसा देश जहां केवल १० लाख व्यक्ति ही आयकर देते हैं वहां जनता के धन का उपयोग और सावधानी से किया जाये।

प्रतिरक्षा मंत्रालय जिसके बारे में लोक लेखा समिति हर बार कटु आलोचना करती है, तथापि क्योंकि प्रतिरक्षा मंत्री को प्रधान मंत्री का सहयोग और संरक्षण प्राप्त है इसलिये वे इसकी जरा भी चिन्ता नहीं करते हैं। अतः वित्त मंत्री को चाहिये कि वे इस सम्बन्ध में कार्यवाही करें जिससे कि आगामी वर्षों में और अधिक करारोपण नहीं हो। क्योंकि करारोपण का भार बढ़ने पर जनता के लिये यह असह्य हो सकता है जिसके फलस्वरूप जनता विद्रोह करने पर उतारू हो सकती है अतः न केवल देश की जनता अपितु स्वयं अपने हित में भी सरकारी पक्ष को इस ओर ध्यान देना चाहिये।

सरकार ने न तो कर अपवंचन को रोकने का प्रयत्न किया है और न ही सरकारी प्रशासन के अपव्यय को ही रोका गया है वस्तुतः पिछले वर्षों में इन दोनों मदों के अधीन अपव्यय बढ़ता जा रहा है और दूसरी ओर करारोपण बढ़ाया गया है।

दुःख का विषय यह है कि दूसरी योजना में निर्यात की राशि घटी है। मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि वह इस सम्बन्ध में क्या कर रही है।

जहां तक सरकारी क्षेत्र का सम्बन्ध है जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए उसका कुशलता से प्रशासन किया जाना चाहिये, तथापि ऐसा नहीं हो रहा है वस्तुतः सरकार ने बहुत अधिक उपक्रमों को अपने हाथ में ले लिया है अतः सरकार को चाहिये कि इनके लिये कुशल कर्मचारी तैयार करे।

[श्री हरिविष्णु कामत]

अब मैं वित्त मंत्री का ध्यान एक दो समस्याओं की ओर दिलाना चाहता हूं । पहिली राष्ट्रीय एकता है । हमें चाहिये कि हम देश में लोकतंत्र की भावना का प्रसार करें । अतः कर भी इस प्रकार के होने चाहिये कि उन से जनता में संतोष की भावना का प्रसार हो ।

दूसरे सरकार को प्रशासन में सुधार करना चाहिये और तीसरे सरकार को ऐसे कदम उठाने चाहिये कि देश में ठोस आर्थिक उन्नति परिलक्षित हो । मैं आशा करता हूं कि वित्त मंत्री अपने गुरु महात्मा गांधी का अनुसरण करेंगे । उन्होंने "बिहार में कौमी आग" नामक पुहतक में लिखा है —

> "अनेक त्याग और तपों के बाद कांग्रेस ने प्रजा का विश्वास प्राप्त किया है । परन्तु यदि आज कांग्रेस वाले प्रजा को दगा देंगे और सेवा करने के बदले मालिक बन जायेंगे तथा स्वामित्व दिखायगे तो, मैं कदाचित जीवित रहूं या नहीं, पर इतने वर्षों के अनुभव के आधार पर यह आगाह करने की हिम्मत करता हूं कि देश में बगावत होगी, सफ़ेद टोपी वालों को प्रजा चुन-चुन कर मारेगी . . . . . "

श्री त्यागी (देहरादून) : इसी लिए माननीय सदस्य ने अपनी टोपी ब्राउन कर ली ।

श्री हरि विष्णु कामत : इसी लिए माननीय सदस्य टोपी नहीं पहनते हैं ।

> ". . . . . और कोई तीसरी सत्ता इस का लाभ लेगी ।"

†**श्री अ० चं० गूह** (बारसाट) : यह बात स्वीकार कर ली गयी है कि पिछले दो योजनाओं की अवधि में देश की आर्थिक और राजनैतिक स्थिति में काफी सुधार हुआ है ।

यद्यपि साम्यवादी दल के नेता ने अप्रत्यक्ष करों के बारे म काफी कहा है तथापि यह जानना चाहिये कि साधारण जनता पर अप्रत्यक्ष करों का भार बहुत कम है, जिन वस्तुओं का वह प्रयोग करते हैं उन पर या तो कर है ही नहीं या बहुत कम है ।

जनता का कांग्रेस पर विश्वास है और वह इन करों का समर्थन करती है इसी कारण यह जानते हुए भी कि तीसरी योजना की अवधि में कांग्रेस कर लगायेगी जनता ने कांग्रेस को ही मत दिया । वस्तुतः इन करों का उद्देश्य विकास योजनाओं की क्रियान्विति कर जनता का जीवन स्तर ऊंचा उठाना है ।

आज गांव में बनने वाली वस्तुओं की मात्रा बढ़ रही है और उनकी कीमतों में भी वृद्धि हो गयो है । इससे गांव वालों की आय पहिले की अपेक्षा बढ़ गयी है ।

हमारा उद्देश्य यह है कि कल्याणकारी राज्य की स्थापना के साथ साथ हम समाजवादी समाज की स्गापना करें । निसंदेह हम यह नहीं कप सकते हैं कि हमने अपने उद्देश्य की पूर्ति कर ली है तथापि मेरे विचार से शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़कें तथा संचार सुविधाओं के क्षत्र में आज जनता को १९४७-४८ की अपेशा कहीं अचिक सुविधायें उपलब्य हैं ।

अब मैं वित्त मंत्री का ध्यान कुछ बातों की ओर दिलाना चाहता हूं और उन से अनुरोध करता हूं कि वे उन बातों का हल खोजने का प्रयास करें ।

दुख यह है कि यदि हम योजना की क्रियान्विति के लिये दो नये पैसे देते हैं तो उनमें से एक नया पैसा तो योजना की क्रियान्विति में लगता है और एक नया पैसा विचोलिये या उद्योगपति के जेब में मुनाफे के रूप में चला जाता है ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

वित्त मंत्री ने ६० करोड़ का घाटा दिखाया है लेकिन सामान्य भावना यह है कि प्रत्येक वर्ष राजस्व को कम करके दिखाया जाता है जबकि व्यय को खूब बढ़ा चढ़ा कर दिखाया जाता है जिससे कि नये करों को लगाने के लिये कोई आधार प्राप्त हो सके । सरकार को इस सम्बन्ध में व्यावहारिक आंकड़ों का उपयोग करना चाहिये ।

पिछली योजना में करों से १२०० करोड़ रुपयों की आय हुई लेकिन इसमें से केवल ७०० करोड़ रुपयों का ही विकास कार्यों के लिये उपयोग किया गया । इस बात का प्रयत्न किया जाये कि यह सारा धन विकास कार्यों पर व्यय किया जाये ।

यह भी आरोप लगाया जाता है कि सरकार की कीमतों को नियंत्रण रखने सम्बन्धी कोई नीति नहीं है । इसके अतिरिक्त सरकार को चाहिये कि वह ऋण सम्बन्धी नीति पर नियंत्रण रखे जिससे कि बैंकों के धन का विकास कार्यों के लिये उपयोग हो सके ।

सरकार को वेतनभोगी कर्मचारियों के हितों का भी ध्यान रखना चाहिये । यह दुख की बात है कि उन्हें महंगाई भत्ते के रूप में जो लाभ दिया गया वह उन से तत्काल अधिक कर लगा कर ले लिया गया । इस प्रकार सरकार न तो कीमतों को रोकने में सफल रही और न ही उन के जीवन स्तर को ही बनाये रखने में ही सफल हो सकी । तीसरी महत्वपूर्ण समस्या बरोजगारी की है । दुख की बात है कि रोजगार दफ्तरों के चालू रजिस्टरों में बरोजगारों की संख्या में निरन्तर वृद्धि हो रही है यदि यही स्थिति रहती है तो हमारी योजनाओं का कोई लाभ नहीं ।

आय की विषमता की जांच करने के लिये दो वर्ष पूर्व एक समिति नियुक्त की गई थी तथापि अभी तक उस का प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ है । इस समस्या का बजट में कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया है ।

अन्त में जहां तक अतिरिक्त क्रय शक्ति को कम करने का प्रश्न है उस के संबंध में मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि मध्यम और निम्न वर्ग में क्रय शक्ति पहिले ही बहुत कम है अतः उन की क्रय-शक्ति कम करने का प्रश्न पैदा नहीं होता है । हमें चाहिये कि हम उच्च आय वर्ग की क्रयशक्ति कम करें ।

मेरा सुझाव है कि प्रशुल्क आयोग को स्वदेशी वस्तुओं की सही कीमतें निश्चित करने का काम दिया जाय क्योंकि जनता में यह भावना भर रही है कि उद्योगपति और फर्में बहुत मुनाफा कमा रही हैं ।

†**श्री का० रा० गुप्त** (अलवर): जहां तक करारोपण प्रस्तावों का संबंध है ग्रामीण जनता को इन से सब से अधिक आघात हुआ है और उन्हें इन कर प्रस्तावों से कोई लाभ नहीं हुआ है ।

यह कहा गया था कि सामुदायिक विकास योजनाओं से जनता की आशायें पूरी होंगी किन्तु अब नौकरशाही और उस विभाग में ऐसा गठबंधन हो गया है कि गांव विकास की ओर जाने के स्थान में विनाश की ओर जा रहे हैं। वहां के विकास कार्यों की उपेक्षा की गयी है और अम्बर चर्खा बिल्कुल असफल रहा है ।

नौकरशाही केवल कागजों में तरक्की दिखाने की कला में चतुर हो चुकी है । उदाहरणार्थ किशनगढ़ परियोजना में जब तक गैर-सरकारी बोर्ड था तब तक उसे अकुशल बताया जाता रहा था तत्पश्चात् जब कर्नल नासर आये थे तो उस पर लाखों रुपये व्यय किये गये ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

[श्री का० रा० गुप्त]

अब मैं कर अपवंचन को लेता हूं। सरकार ने यह नहीं बताया कि यह कर अपवंचन किस वर्ग में है ? वस्तुतः कम आय वालों की कठिनाइयां बहुत अधिक हैं और जो आयकर के सम्बन्ध में जो नया परिपत्र निकला है उस से भी उनकी कठिनाई में वृद्धि होगी।

साझेदारी की फर्मों के साथ भेदभाव का बर्ताव किया गया है, क्योंकि एक साझेदार व्यक्ति को स्वतंत्र व्यक्ति की अपेक्षा ४० प्रतिशत अधिक कर देना होता है।

इसी प्रकार छोटी कम्पनियों के मार्ग में कई बाधायें खड़ी कर दी गयी हैं जिस से वे बड़ी कम्पनियों की प्रतिद्वंदिता नहीं कर सकते हैं। मेरे कथन का तात्पर्य यह है कि विषमता दूर करने के लिये व्यक्ति की अधिकतम आय सीमा निश्चित करना आवश्यक है केवल करारोपण से यह विषमता दूर नहीं हो सकती है।

यदि समवाय प्रणाली इसी प्रकार बेरोकटोक चलती रही तो विषमता दूर करना बहुत कठिन हो जायेगा।

अब मैं अप्रत्यक्ष कराधान की ओर आता हूं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि दियासलाई पर कर लगाना कभी भी उचित बात नहीं समझी जायेगी। यदि हम परचून व्यापारियों पर भी इस तरह कर लगाने लगे तो समाजवादी समाज की रचना का स्वप्न अधूरा ही रह जायेगा। हमारे सामने कोई स्पष्ट चित्र नहीं आ रहा कि प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष का प्रभाव किन लोगों के कंधों पर अधिक पड़ रहा है। कहीं न कहीं भूल अवश्य हो रही है।

सरकारी क्षत्र ठीक ढंग से कार्य नहीं कर रहे। कुछ दिन हुए मैं ने अखबारों में पढ़ा था कि इस्पात उद्योग में १००० करोड़ रुपये की पूंजी लगी हुई है और इस में से साठ करोड़ रुपय का नुकसान हुआ है। ऐसा क्यों हुआ है इस की छान बीन अवश्य की जानी चाहिये। परन्तु इस का यह कदापि मतलब नहीं कि सरकारी क्षेत्र का कार्य बन्द कर दिया जाये। समस्त प्रक्रिया की छान बीन तो इसलिए की जानी चाहिये ताकि कार्य क्षमता और उत्पादन बढ़ सके। अभी तक हम यह निश्चय नहीं कर सके कि गांवों में किस प्रकार का औद्योगिक विकास किया जाये।

मेरा निवेदन यह है कि इस सब का कारण सत्तारूढ़ दल की कार्यवाहियां हैं। इस दल की कथनी और करनी में महान अन्तर है। समझ में नहीं आ रहा कि जिस ढंग से हम आज कल चल रहे हैं उस से कैसे हम समाजवादी समाज की रचना और लोकतंत्री समाजवाद की स्थापना करने में समर्थ होंगे। यदि हम वास्तव में समाजवादी समाज स्थापित करना चाहते हैं तो हमें यह सुनिश्चित करना चाहिये कि शासक दल उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिये सच्ची कोशिश कर रहा है। वर्तमान स्थिति से गड़बड़ ही उत्पन्न हो रही है। मेरा निवेदन यह है कि जो बजट प्रस्तुत किया गया है इसे लोक-कल्याणकारी राज्य का बजट नहीं कहा जा सकता। यह तो पूंजीवाद का बजट ही दिखाई देता है। हमारे देश में पूंजीवाद और समाजवाद की एक अजीब भ्रांति चल रही है। इस से यह आशा कदापि नहीं हो सकती कि हम अपने समाजवादी लक्षों को प्राप्त कर सकेंगे।

†श्री मलाइछामी (पेरियाकुलम) : हमारा देश बहुत अविकसित और पिछड़ा हुआ है। इस दृष्टि से हमारे देश की अर्थ व्यवस्था भी एक कम विकसित देश की अर्थव्यवस्था है। इस संदर्भ में तथा पंचवर्षीय योजना को कार्यान्वित करने के प्रसंग में प्रस्तावित कर आवश्यक ही जान पड़ते हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

इन से अन्ततोगत्वा हमारे देश को संकट का सामना करने में सहायता मिलेगी तथा एक समाजवादी समाज की स्थापना करने में सहायक होगी । अप्रत्यक्ष करों के लगाने की पद्धति में कोई अनुचित बात दिखाई नहीं देती । क्योंकि इससे लोग आत्मनिर्भर होना सीखते हैं । तथा यह अनुभव करने लगते हैं कि उन्हें अपनी हालत के सुधारने के लिये त्याग करना होगा । फिर भी हमें इस बात को सुनिश्चित करना होगा कि जो व्यय होता है, उस से प्रत्याशित परिणाम प्राप्त हो । सरकारी उपक्रमों से जो नफा हो वह उन में लगाई गयी राशियों के अनुपात से हो तथा यदि ऐसा नहीं है तो सारे मामले की जांच की जाय । इन उपक्रमों में जो वस्तुएं तैयार की जायें उन के मूल्य सस्ते हों तथा उस अभिप्राय से हम सस्ती कच्ची सामग्री के उत्पादन तथा यातायात की अड़चनों के दूर किये जाने को सुनिश्चित करें ।

हमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि जो माल हम तैयार करें वह अधिक से भी अधिक बाहर के देशों में जा सके । उसका निर्यात हो और वह विदेशी मंडियों के मुकाबले में सस्ते भावों में मिल सके । यह तभी सम्भव है जब हमारा उत्पादन व्यय कम हो । एक बात का हमें सदैव ध्यान रखना चाहिये कि उत्पादन बढ़ा कर ही हम देश में समाजवाद ला सकते हैं । साथ ही हमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि कृषि उत्पादन के कार्य को भी आगे बढ़ाया जाये । हमारा पड़ोसी देश जापान हम से चार गुणा अधिक पैदा करता है इस तथ्य से हम अपनी कमी का अहसास कर सकते हैं । जब तक कृषि उत्पादन और औद्योगिक उत्पादन का स्तर नीचा रहेगा हम अपना जीवन स्तर ऊंचा नहीं कर सकते । इस कार्य को ग्राम के स्तर से शुरू किया जाना चाहिये । पंचायत राज्य लागू किया जाना चाहिये । पंचायतें इस दिशा में सहायता दे सकती हैं तथा यह सुनिश्चित कर सकती हैं कि ग्राम्य क्षेत्रों की आवश्यकतायें पूरी हों । प्रत्येक ग्राम के एक सहकारी सोसाइटी हो तथा वहां एक पंचायत और स्कूल भी अवश्व हो । भू-धृतियों के टुकड़े न होने दिये जायें ताकि जहां कहीं सम्भव हो, सहकारी कृषि का काम शुरू किया जाये । हमारे प्रधान मंत्री जी ने यह भी कहा है कि प्रत्येक गांव में एक सहकारी संस्था का होना बड़ा आवश्यक है । इस कार्य के लिये देहात के लोगों को पूरी सुविधायें प्राप्त होनी चाहियें ।

मेरा निवेदन है कि बेरोजगारी की समस्या को हल करने के लिये कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन दिया जाय । अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों और पिछड़े वर्गों को अपनी योग्यता के अनुसार विकास का अवसर दिया जाय । तीसरी योजना के अन्त में लगभग १७० लाख लोग ऐसे होंगे जो बेरोजगार रह जायेंगे । ग्रामों में कुटीर उद्योगों का विकास अवश्य किया जाना चाहिये । तीसरी योजना में ११४ करोड़ रुपये अनुसूचित जातियों, अनुसूचित आदिमजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के विकास के लिये रखे गये हैं । यह ठीक है परन्तु इस बारे में मेरा निवेदन है कि केवल धन से ही काम चलने वाला नहीं है । इन लोगों में चेतना पैदा करने की आवश्यकता है । ताकि इन लोगों की हीन भावना कम हो । और यह लोग दूसरों के रहम पर जीवित रहना छोड़ दें । इन शब्दों में से मैं इस वर्ष के आयव्ययक का समर्थन करता हूं ।

श्री श्रीनारायण दास (दरभंगा) : उपाध्यक्ष महोदय, बजट पर विचार करते वक्त मेरा जहां तक खयाल है हर एक आदमी का ध्यान इस बात की ओर जाता है कि हम ने अपने संविधान में राज्य नीति के निर्देशक सिद्धान्त जो निर्णीत किये हैं, क्या उन सिद्धान्तों के मुताबिक या उन उद्देश्यों को मद्देनज़र रख कर बजट का निर्माण किया गया है या नहीं । साथ ही हम ने यह भी तय किया है कि हम निजी उद्योगों और सार्वजनिक उद्योगों, दोनों को साथ ले कर आगे बढ़ेंगे । हमें इस बात का भी खयाल करना चाहिये कि हमारा बजट इस नीति के मुताबिक है या नहीं । तीसरी बात जिस पर हमारा ध्यान जाता है यह है कि हम ने निश्चय किया है कि हम अपने देश में कल्याणकारी

[श्री श्रीनारायण दास]

राज्य की स्थापना करेंगे और उस के मुताबिक अपनी नीति निर्धारित करेंगे, उस के अनुसार यह बजट है या नहीं। और चौथी और सब से मुख्य बात है कि हम ने तय किया है कि हम अपने देश में समाजवादी व्यवस्था का निर्माण करेंगे, और बजट बनाते समय क्या इस का भी खयाल रखा गया है या नहीं। इन्हीं चार बातों को ध्यान में रख कर मेरा जहां तक खयाल है वित्त मंत्री जी ने बजट का निर्माण किया है और इस सदन में भी इन्हीं चार दृष्टिकोणों को सामने रख कर बजट पर विचार किया जाना चाहिये। हिन्दुस्तान जो कि विकास के रास्ते पर आगे बढ़ने वाला एक देश है, उस के मंत्री को बजट का निर्माण करते समय कई प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जैसा कि मैं ने कहा, हम ने तय कर लिया है कि हम अपने देश में मिक्स्ड एकानामी रक्खेंगे, यह भी हम ने तय कर लिया है कि हम अपने देश में समाजवादी समाज की स्थापना करेंगे। इन दोनों दष्टिकोणों में कभी कभी संघर्ष मालूम होता है। पर बजट के ऊपर जो विवेचना हुई है और जो प्रतिक्रियायें हुई हैं, इस सदन में दोनों तरफ से, विरोधी पक्ष की तरफ से और कांग्रेसी पक्ष की तरफ से जो प्रतिक्रियायें सुनने में आई हैं, उन्हें ध्यान में रखते हुए, मुझे यह स्पष्ट मालूम होता है कि हिन्दुस्तान के किसी भी मंत्री को इस प्रकार की समालोचना का शिकार होना पड़ेगा।

जब हम इस बात पर विचार करते हैं कि हम अपने देश में समाजवादी अर्थ-व्यवस्था को स्थापित करेंगे तो हमारा ध्यान जाता है कि हमारे देश में बहुत थोड़े से लोग हैं जो बहुत आराम की जिन्दगी बिताते हैं और साथ ही साथ हम अभी विकास में जो करोड़ों और अरबों रुपये लगा रहे हैं, उस से कुछ चुने हुए लोगों का आर्थिक विकास अधिक होता है। साधारण जनता का ध्यान जाता है कि आज जो विकास के काम हो रहे हैं उस से जो फायदा होता है वह सभी वर्ग के लोगों को होता है या नहीं। इसी लिये जहां भी मैं ने देखा, यहां पर और बाहर भी, चर्चा का विषय यही होता है। जहां एक तरफ से हमारे ऊपर वित्त मंत्री के ऊपर, यह चार्ज है कि वह पूंजीवादी मनोवृत्ति के हैं वहां दूसरी तरफ यह चार्ज होता है कि वे समाजवाद की ओर जा रहे हैं। जब इनडाइरेक्ट टैक्स लगाये जाते हैं तो आम तौर से हम में से भी बहुत से लोग और विरोधी पक्ष के ज्यादा से ज्यादा लोग इस बात आक्षेप का करते हैं कि इनडाइरेक्ट टैक्स बहुत ज्यादा लग रहे हैं, जब कि वह अर्थ व्यवस्था की जड़ होती है और औद्योगिक विकास की जड़ होती है। जिन लोगों के हाथमें आज निजी सेक्टर चलाने का मौका है, वह कहते हैं कि यह जो बजट है वह एन्टी प्रोडकटिम बजट है। इस बजट से बचत में रुकावट होती है और इस से इन्वस्टमेंट आगे नहीं बढ़ सकेगा और आर्थिक विकास तथा औद्योगिक विकास रुक जायेगा। ऐसे समय में हिन्दुस्तान के वित्त मंत्री के प्रति जितने विचार सभा के सामन विचारार्थ प्रस्तुत किये गये उन सब को मद्दे नजर रखते हुए हमारा ख्याल है कि पिछले सालों की अपेक्षा, और खास कर पिछले साल की अपेक्षा, इस वर्ष जो कर लगाय गये हैं उन का चुनाव बहुत विवेकपूर्ण ढंग से किया गया है और मिक्स्ड एकानमी का जो हमारा आज कल आदर्श है, या जो हमारा आदर्श है कि हम अपने देश में समाजवाद की स्थापना करेंगे, इन दोनों के दृष्टिकोणों को देखते हुए इस वर्ष जो कर-व्यवस्था की गई है, वह असन्तोषजनक नहीं कही जा सकती है।

बजट को सदन के सामने उपस्थित करते हुए वित्त मंत्री जी ने हमारा ध्यान जो हमारी आर्थिक अवस्था है उस की तरफ संक्षेप में खींचा था, और बजट के कागजात के साथ जो आर्थिक समीक्षाओं की एक पुस्तिका दी गई है, उस में स्पष्ट रूप से यह बतलाया गया है कि हम ने विभिन्न क्षेत्रों में, खेती के क्षेत्र में, उद्योगों के क्षेत्र में, खान के क्षेत्र में, सभी क्षेत्रों में बहुत तरक्की की है। जो तरक्की

हम ने की है वह सन्तोष की बात है, लेकिन उस में इस बात का जिक्र होना चाहिये था कि जो उत्पादन हुआ हमारे उद्योगों के क्षेत्र में, खेती के क्षेत्र में, वह तो हुआ, लेकिन अब तक हम ने प्रथम पंचवर्षीय योजना से ले कर तृतीय पंच वर्षीय योजना तक खेती के क्षेत्र या औद्योगिक क्षेत्रा में जो द्रव्य लगाया, जो धन लगाया, उस के अनुपात में उत्पादन हुआ है या नहीं। इस बात की समीक्षा उस पुस्तिका में होनी चाहिये थी। यह बात सही है कि उत्पादन क्रम क्रम से बढ़ रहा है खेती के क्षेत्र में ८ प्रतिशत की वृद्धि हुई है पिछले साल। उद्योग धंधों में भी इसी प्रकार वृद्धि हुई है, लेकिन हम ने जितना रुपया लगाया है कर लगा कर या कर्जा ले कर विभिन्न क्षेत्रों में खेती के क्षेत्र में या उद्योगों के क्षेत्र में, उस के मुताबिक हमारा उत्पादन सन्तोषजनक है या नहीं। इस का जिक्र समीक्षा में नहीं है। मैं समझता हूं कि इस का जिक्र उस में होना चाहिये था।

जब जब मुझे पिछले वर्षों में बजट पर बोलने का मौका मिला है मैं बराबर इस बात की ओर ध्यान दिलाता था कि हमारे देश में उत्पादन तो बढ़ रहा है, इस में कोई सन्देह नहीं है लेकिन इस बढ़ते हुए उत्पादन का या राष्ट्रीय आय का कौन सा हिस्सा समाज के किस अंग पर जाता है इस का विचार होना चाहिये। कई वर्ष तक लगातार मेरे और उसी प्रकार से कई अन्य माननीय सदस्यों के कहने पर प्रधान मंत्रीजी का और वित्त मंत्री जी का ध्यान इस ओर गया था कि सचमुच इस बात की जांच पड़ताल करने की आवश्यकता है कि हिन्दुस्तान में जो धन बढ़ रहा है और आयोजनापूर्ण विकास के काम में जो हमारा देश लगा हुआ है उस से जो धन का उत्पादन होता है, उस धन का कौन सा भाग किस वर्ग के पास किस प्रकार से जाता है, खुशी की बात है कि एक कमेटी नियुक्त की गई है, लेकिन अभी तक उस कमेटी की रिपोर्ट नहीं आई है। इस लिये मैं आज दोहराना चाहूंगा कि बजट उपस्थित करते हुए हमें इस बात का वर्णन संक्षेप से हर वर्ष मिलना चाहिये कि जो राष्ट्रीय आय या उत्पादन होता है उस राष्ट्रीय उत्पादन या आय का कौन सा हिस्सा हमारे देश की जनता को जाता है।

अब मैं कर प्रणाली की तरफ आता हूं। कुछ वर्ष पहले हमारे वर्तमान माननीय वित्त मंत्री से पहले जो दूसरे मंत्री थे उन्होंने कर की व्यवस्था में कुछ सुधार किया था। विरोधी पक्ष माने या न माने, लेकिन मैं मानता हूं कि हिन्दुस्तान की मौजूदा हालत में जो हमारे देश में १० या १२ लाख के करीब बड़े बड़े और धनी लोग हैं जिन से आय कर लिया जाता है, और लिया जाना चाहिये, बढ़ते हुए लिया जाना चाहिये, जहां तक मेरा खयाल है उन पर धन कर लगा कर, व्यय कर लगा कर, दान कर लगा कर, अपने देश की कर प्रणाली में सुधार किया गया था और इस दिशा में अभी भी काम हो रहा है। आज उसी कर प्रणाली के मुताबिक जो हमारे देश के अन्दर एक छोटा सा वर्ग है धनी लोगों का, उन के ऊपर कर लगाया गया है। लेकिन अगर हमारे वित्त मंत्री इस बात की तरफ बराबर ध्यान नहीं रक्खेंगे कि जिस तरह से हम सामानों पर उत्पादन कर लगा रहे हैं, जैसा कि हमारे कई माननीय सदस्यों ने बतलाया कि उस की जो दर है वह बढ़ती हुई दर है, जो व्यक्तिगत टैक्स है, या आमदनी पर टैक्स है और कारपोरेशन टैक्स है, उस की जो दर है वह बहुत ऊंची है, लेकिन पूरा फायदा उस का नहीं मिल रहा है, तो इस से काम चलने वाला नहीं है। इस में कोई शक नहीं कि दूसरे देशों के मुकाबले हमारे देश में उस की दर ऊंची है लेकिन मेरा ख्याल है कि इस जरिये से हिन्दुस्तान में जो आमदनी होती है वह बहुत कम है। इस सिलसिले में मैं यह कहना चाहूंगा कि जैसा कि कई बार जांच पड़ताल के बाद मालूम हुआ, उस का ठीक ठीक पता लगाना मुश्किल है कि हमारे देश में जो कर प्रणाली है उस प्रणाली के अन्दर कर से बचने के कितने उपाय लोग करते हैं, किस हद तक कों को छिपाया जाता है, किस हद तक हमारे खजाने में कम आमदनी आती है। लेकिन इस के बावजूद कि कई कमेटियां बनी, बावजूद इस के कि कर वसूल करने में बहुत सुधार हुआ है, फिर भी इस बात के कहने में मुझे कोई

[श्री श्रीनारायण दास]

संकोच नहीं है कि अब भी बहुत से लोग अपनी आमदनी को छिपाते हैं। इस से बचने के लिये कानून के जरिये से या दूसरे जरियों से उपाय किये जाने चाहियें। इस बात की तरफ हमारे वित्त मंत्री को ध्यान रखना होगा और जहां तक मेरा खयाल है वह कोशिश करते हैं, लेकिन ज्यादा से ज्यादा ध्यान रखना चाहिये कि जहां देश की आम जनता के विकास के कार्य को ध्यान रखते हुए ज्यादा से ज्यादा धन देने के लिये हम लोगों को मजबूर करते हैं, और मैं समझता हूं कि बिना मजबूर किये हुए हमारा काम चलने वाला नहीं है, वहां अगर देश के बड़े बड़े धनी लोगों पर भी यह कर नहीं लगाया जाये और साधारण जनता पर कर न लगे, तो बहुत दिनों तक हमारा यह सामाजिक और आर्थिक न्याय के खिलाफ होगा। इस लिये मैं समझता हूं कि अगर हमारे देश की गरीब जनता या जो यह पीढ़ी है, वह कष्ट नहीं उठायेगी, तकलीफ नहीं उठायगी, अगर यह पीढ़ी त्याग नहीं करेगी तो हमारे विकास का काम आगे ठप्प पड़ जा सकता है। मैं कहना चाहता हूं कि इसी खयाल से जब हम वोट मांगने के लिये जनता में जाते हैं और हम से तरह तरह के सवाल किये जाते हैं और कहा जाता है कि कांग्रेस के राज्य में लोगों के ऊपर कर बढ़ गये हैं, तो हम उन को समझाते हैं और समझा बुझा कर ही चुनाव में आते हैं। हम उन को बतलाते हैं कि उन की पीढ़ी के त्याग किये बिना उन की सन्तानों को सुख मिलने वाला नहीं है। और यह सोच कर ही वे हमें वोट देते हैं। वे समझ जाते हैं कि योजना का काम पूरे जोर चे चलना चाहिये, लेकिन साथ ही साथ वे यह भी कहते हैं कि बावजूद इस के कि हम इतना कर देते हैं, हमारी आर्थिक अवस्था में उतना सुधार नहीं होता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो मुट्ठी भर लोग हैं, जिन की संख्या १० या १५ लाख बतलाई जाती है, उन की आमदनी रोज बरोज बढ़ती चली जाती है। जैसा कि कहा जाता है, और मैं समझता हूं कि बहुत हद तक ठीक है कि हमारी अर्थ-व्यवस्था के अन्दर हम जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, विभिन्न क्षेत्रों में, खेती में या उद्योग में, उस का ज्यादा से ज्यादा फायदा उन के पास जाता है जिन के पास जमीन है, जिन के पास पूंजी है, जो कारखाने खोल सकते हैं, जो व्यापार और उद्योग धन्धे ज्यादा चला सकते हैं, उन को ज्यादा फायदा होता है। परन्तु जनता ज्यादा से ज्यादा तकलीफ उठा लेती है और त्याग कर देती है और ज्यादा से ज्यादा कर दे देती है। यद्यपि कर देना किसी को अच्छा नहीं लगता लेकिन फिर भी यह समझ कर कि कांग्रेस के हाथ में शासन की बागडोर है तो हमारी दशा में सुधार होगा जनता कर देती है। जनता समझती है कि यदि हम योजना पूर्वक आगे बढ़ेंगे तो हमारा सुधार होगा। इसी लिए वह टैक्स देने को तैयार हो जाती है। जनता यह समझती है कि यदि हम इस समय टैक्स नहीं देंगे तो हमारी आने वाली सन्तान सुखी नहीं हो सकेगी। इसी खयाल से लोग पेड़ लगाते हैं कि आगे उसकी सन्तानें उससे फायदा उठायेंगी। और इसी खयाल से कि हमारी आयोजना के काम का सफलतापूर्वक संचालन हो, जो हम हर साल बढ़ा हुआ टैक्स लगाते हैं उसको जनता बरदाश्त करती है। इसलिए मैं इस ओर वित्त मंत्री जी का ध्यान खींचना चाहूंगा। इसलिए यह देखा जाना चाहिए कि हम जनता से जो पैसा करों के द्वारा लेते हैं उसका ज्यादा से ज्यादा भाग उन चीजों में लगता है या नहीं जिन पर लगना चाहिए।

साथ ही साथ एक और बात की ओर ध्यान देना चाहिए। इस की तरफ विरोधी पक्ष की तरफ से भी ध्यान दिलाया गया है और कांग्रेस वाले भी इस ओर ध्यान दिलाते रहते हैं कि हमारा प्रशासन व्यय बहुत ज्यादा नहीं बढ़ना चाहिए। यह सही है कि हमारे विकास के काम बढ़ेंगे तो उनमें काम करने वालों की संख्या भी ज्यादा होगी, यह स्वाभाविक है। लेकिन हमारे प्रशासन व्यय में बहुत तरह से कमी की जा सकती है। वित्त मंत्री जी ने हम को विश्वास दिलाया है कि वह इकानामी करने का प्रयास करते हैं और कोशिश करेंगे कि कार्यकुशलता बढ़े और ज्यादा से ज्यादा पैसा विकास के काम में लगे। लेकिन फिर भी मैं मानता हूं कि अभी प्रशासन व्यय में और कमी करने की जरूरत है।

एक बात की ओर मैं और वित्त मंत्री जी का ध्यान खींचना चाहूंगा । मैं समझता हूं कि उनका ध्यान उस ओर स्वयं भी गया होगा । हम देखते हैं कि खासकर दिल्ली में कला के नाम पर, नाच गाने के नाम पर और इस प्रकार की बहुत सी चीजों के नाम पर बहुत रुपया खर्च किया जाता है । हम जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा जो करों के रूप में लेते हैं उसका ज्यादा से ज्यादा भाग विकास के कामों पर लगाया जाना चाहिए और इस प्रकार की चीजों पर उसकी बरबादी नहीं होनी चाहिए । यद्यपि इन कामों में लगी हुई रकम बहुत ज्यादा नहीं होगी, लेकिन उसका देहाती जनता पर बुरा प्रभाव पड़ता है । देहात की जनता देखती है कि दिल्ली में हमारे जो शासक रहते हैं, दिल्ली में जो दूसरे काम करने वाले रहते हैं वे हमारे धन का किस तरह से उपयोग करते हैं । मैं वित्त मंत्री से प्रार्थना करूंगा कि वे इस ओर छान बीन करायें कि सोशल फंक्शन्स आदि पर यह रुपया खर्च न किया जाये । अब तो विभागों में भी सम्मेलन करने की प्रथा चल गयी है और कला कौशल के नाम पर, नाटक के नाम पर और म्यूजिक और इस तरह की पचीसों चीजों के नाम पर रुपया खर्च किया जाता है । मैं समझता हूं कि हिन्दुस्तान की जनता की गाढ़ी कमाई का जो पैसा हम लेते हैं उसका एक एक पैसा उचित रूप में काम में लगाया जाये और एक पैसा भी बरबाद न हो इस बात की हमें कोशिश करनी चाहिए । जहां तक मेरा खयाल है इस प्रकार का खर्चा वित्त मंत्री की वजह से नहीं होता, लेकिन कुछ कारण ऐसे हैं, दिल्ली का कुछ वातावरण ऐसा हो जाता है कि कुछ इस तरह का खर्च ज्यादा हो जाता है जिसको अनुत्पादक कहा जाता है और जिसको हम अर्थशास्त्र की भाषा में कंजम्पशन एक्सपेंडीचर कहते हैं । हमको इसकी छानबीन करनी चाहिए कि जो रुपया हम जनता के करों के रूप में लेते हैं उसका कौन सा हिस्सा कंजम्पशन एक्सपेंडीचर में जाता है और कौन सा डेवलपमेंट एक्सपेंडीचर में जाता है । इस बात की समीक्षा पूर्ण रूप से होनी चाहिए । हमारे वित्त मंत्री बराबर जनता का आह्वान करते हैं कि त्याग करो, मेहनत करो, तकलीफ बरदाश्त करो, अगर आज तकलीफ नहीं उठाओगे तो हमारा देश आगे नहीं बढ़ सकता जिससे हम देश में ऐसी व्यवस्था ला सकें कि देश का औद्योगिक विकास हो और किसी खास वर्ग के हाथ में नफा न चला जाय । ऐसी अवस्था में जनता के पैसे का अधिक से अधिक उपयोग विकास के कामों में और उद्योग धन्ध और खेती के विकास में ही होना चाहिए ।

एक बात मैं और कहना चाहूंगा । हम ने अपने सामने यह आदर्श रखा है कि हम अपने देश में सम्मिलित अर्थ-व्यवस्था रखना चाहते हैं और दूसरा आदर्श हम ने अपने सामने यह रखा है कि हम अपने देश में समाजवादी समाज व्यवस्था की स्थापना करना चाहते हैं । उद्योगपतियों की ओर से यह समालोचना की जाती है कि हम ने जो कर लगाये हैं वह कर लगाने से देश में विकास के काम को पूरा करने के लिए पूंजी नहीं बन सकेगी और पूंजी नहीं बन सकेगी तो काम आगे नहीं बढ़ सकेगा । इस बात की छान बीन होनी चाहिए । दोनों आदर्शों को सामने रखते हुए हम अपने बजट का निर्माण करें और बजट को पास करने के बाद हमारा ध्यान बराबर इस बात पर रहे कि गरीबों से हम जो नाना प्रकार के इनडाइरेक्ट कर लगा कर रकम लेते हैं उसका एक पैसा भी बरबाद न हो और उसका ज्यादा से ज्यादा भाग विकास के कामों में और उद्योग धन्धों और खेती के विकास के काम में लगाया जाय जिससे समाज को सचमुच फायदा हो, उसको नाच गाने आदि इस प्रकार के कामों में न लगाया जाये । जब देश समृद्ध हो तो हम इन कामों में रुपया लगा सकते हैं और उस समय इनको बढ़ावा देना स्वाभाविक होगा । साधारण तौर पर अभी हम को इन कामों के लिए कुछ देना होगा लेकिन ज्यादा ध्यान हम को कृषि और उद्योगों की उन्नति और विकास के कामों की ओर देना होगा और करों की रकम को इन कामों में लगाना चाहिए । इस रकम को गरीब लोग इस आशा में हम को देते हैं कि ऐसा करने से उनकी आग आने वाली सन्तान सुखी होगी । उस पैसे की बरबादी नहीं होने देनी चाहिए ।

†**श्री नटराज पिल्ले** (त्रिवेन्द्रम) : हम देश के कल्याण के लिय आयोजित अर्थ-व्यवस्था को अपना रहे हैं। देश की समृद्धि और कल्याण के लिय पंचवर्षीय योजनायें बनाई जा रही हैं। इस दृष्टि से मेरा विचार यह है कि वित्त मन्त्री आयोजन के लिए अपेक्षित संसाधनों को पाने में सफल हुए हैं तथा उन्होंने अपनी करारोपण प्रस्तावनाओं से बजट घाटे को पूरा करने की चेष्टा की है। परन्तु यदि हमने पिछले वर्षों में देखी गई प्रवृत्तियों पर निर्भर किया तो नए करों से प्रत्याशित धन की प्राप्ति प्राक्कलनों से बढ़ जायेगी। इस वर्ष का घाटा ६०.७८ करोड़ रुपय था जिसे वित्त मन्त्री ने अतिरिक्त करों द्वारा पूरा करना चाहा। वैसे तो इस वर्ष का घाटा १५० करोड़ फैल जाता है उन्होंने ४४.५ करोड़ रुपया प्रत्यक्ष करों द्वारा और २७.२ करोड़ अप्रत्यक्ष करों द्वारा प्राप्त करके पूरा किया है। इन सब का कुल मिलान ७१.७ करोड़ हो जाता है। इस दिशा में मेरा निवेदन यह है कि जन साधारण के संसाधन अधिक करों को सहन नहीं कर सकते जैसा कि छोटी-छोटी राशियों की बचत में कमी होने से प्रकट होता है।

एक अन्य बात की ओर मैं सभा का ध्यान आकृष्ट करवाना चाहता हूं, वह यह कि बड़ी परियोजनाओं में हमारे विनियोजित धन से बहुत कम नफा प्राप्त हुआ है। भारी विनियोगों को सभा के सामने एक अलग मांग के रूप में रखा जाय तथा उसके साथ व्याख्या हो जिससे उसकी पूरी-पूरी जांच पड़ताल हो सके। हमें अपने संघीय प्रकार के संविधान को चलाने में कठिनाइयां पेश आई हैं। राज्यों की ऐसी भावना है कि जिस स्वायत्तता का उन्हें अधिकार था, वह कल्पना मात्र सी रह गयी है क्योंकि उनकी क्रियाशीलता पर केन्द्र का अधिकाधिक नियन्त्रण सा होता जा रहा है। उनकी आर्थिक शक्तियां असंकुचित हो रही हैं तथा केन्द्रीय निदेश दिन प्रतिदिन कड़े किये जा रहे हैं। नये करों को लगाने से पहले राज्यों के कर-शोधन सम्बन्धी सामर्थ्य का भी ध्यान रखा जाये।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

एक अन्य महत्वपूर्ण बात की ओर भी हमारा ध्यान जाना चाहिये वह यह है कि विकास की परियोजनाओं का असमतापूर्ण केन्द्रीकरण हो गया है। इससे क्षेत्रीय विषमताओं के बढ़ जाने की सम्भावना है। एक बात बड़ी स्पष्ट है कि बड़े बड़े प्रमुख उद्योगों में जो पूंजी लगाई गयी है वह विकसित राज्यों में ही सीमित रही है, अर्थात् उनका विनियोजन पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, बिहार और मद्रास राज्यों में ही हुआ है। राजस्थान और उत्तर प्रदेश को तो बिल्कुल छोड़ ही दिया गया है। आसाम और केरल को मामूली अंश प्राप्त हुआ है। देश के संतुलित विकास की दृष्टि से इस असमानता को ठीक नहीं कहा जा सकता। किसी भी राज्य से सौतेली मां का व्यवहार नहीं होना चाहिये। प्रादेशिक असमानता तथा भाषायी भावनाओं को बढ़ावा मिल रहा है इनको रोका जाना चाहिये। ऐसा न हो कि भड़क कर राष्ट्र के लिये एक समस्या बन जाये।

श्री रामेश्वर टांटिया (सीकर) : अध्यक्ष महोदय, माननीय वित्त मन्त्री जी ने जो बजट पेश किया है वह एक तरह से बहुत ही संतुलित बजट है। जहां जहां हमें अपना माल निर्यात करने की ज़रूरत है वहां वहां उन्होंने इस बात का पूरा पूरा ध्यान रखा है। उन्होंने चाय पर निर्यात ड्यूटी घटाई है। जहां पर वह ४४ नए पैसे होती थी वहां अब वह २५ नए पैसे होगी। जहां तक चाय का सम्बन्ध है हम बहुत दिनों से एसा सोच रहे थे कि अगर इस पर निर्यात ड्यूटी यही रहेगी तो हमारा जो चाय का निर्यात होता है उसको हम धीरे धीरे खो देंगे। इसलिये यह जो कदम उठाया गया है यह बहुत ही सराहनीय है।

---

†मूल अंग्रजी में

इसी तरह से उन्होंने एक्सपेंडीचर टैक्स हटा दिया है। यह भी एक तरह से बहुत अच्छा उन्होंने किया है क्योंकि बहुत थोड़ी रकम उसमें आती थी और जितनी रकम आती थी उतना तो शायद हमारा खर्चा भी लग जाता था।

हमारे वित्त मन्त्री जी वैसे तो बहुत चतुर हैं। उन्होंने छोटी मोटी एक दो बातों को हटा करके जो दूसरे टैक्स लगा दिये हैं, वे इस तरीके से लगायें हैं कि २२ करोड़ रुपया तो उनको डाइरेक्ट टैक्सों से मिल जाएगा और ५० करोड़ के करीब रुपया इंडायरेक्ट टैक्सों से मिल जायेगा। लेकिन लोगों की धारणा यह है कि उन को ७२ करोड़ रुपया नहीं बल्कि कुल रकम एक सौ करोड़ रुपये के करीब मिल जाएगी। मेरा निवेदन यह है कि हम टैक्स लगायें, हमें अपने प्लान को पूरा करने के लिये रुपये की आवश्यकता भी है और उसके लिये टैक्स लगने भी चाहियें और व लगेंगे भी। परन्तु साथ ही इस बात का भी ख्याल रखा जानाा चाहिये कि जो एस्टीमेट हम करें वह ठीक हो। दो तीन बरसों से बराबर ऐसा होता आ रहा है कि जितने के हम टैक्स लगाते हैं अदायगी उससे ज्यादा की होती है। १९५९–६० में एसा हुआ था और १९६०–६१ में भी ऐसा ही हुआ था। १९६१–६२ में भी यही हुआ। यहां पर उन्होंने कपड़े पर टैक्स लगाया है। उन्होंने कहा है कि मरसिराइजिंग और प्रासेसिंग पर जो टैक्स लगा है उससे उनको बारह करोड़ रुपया वसूल होने की उम्मीद है परन्तु जो कपड़े के मिल मालिक हैं या जो दूसरे चैम्बर्ज़ हैं उनकी धारणा ऐसी है कि इस मद में २४ करोड़ से लेकर ३० करोड़ रुपया उनको मिल जाएगा। अगर वित्त मन्त्री जी ने २४ करोड़ या ३० करोड़ रुपय का टैक्स लगाया होता तो कोई आपत्ति की बात नहीं थी परन्तु १२ करोड़ का टैक्स लगा कर अगर २० या २४ करोड़ रुपया आता है और आमदनी अनुमान से बहुत ज्यादा हो जाती है तो यह ठीक नहीं है। आप चार आने से छः आने टैक्स कर देते इसमें कोई हर्ज की बात नहीं थी। कपड़े पर जो टैक्स है, मरसेराइजिंग और प्रासेसिंग पर जो टैक्स है, उस पर किसी को कोई खास एतराज़ नहीं हो सकता क्योंकि उसे बड़े बड़े लोग पहनते हैं। परन्तु माननीय वित्त मन्त्री जी का ध्यान मैं एक बात की ओर दिलाना चाहता हूं। इसमें कुछ छोटी छोटी चीजें भी आ गई हैं छोटे छोटे उद्योग भी आ गए हैं जैसे बंगाल में हैं या देश के अन्य कुछ भागों में हैं, और व एडवर्सली इफैक्ट होंगे। जैसे प्रासैसिंग में एक तरह का मोटा हैंडलूम का और पावरलूम का कपड़ा आता है। उस पर रबड़ का सौल्यूशन दे करके, उसके थैले वगैरह बनाये जाते हैं जिन्हें छोटे बच्चे स्कूल ले जाते हैं, किताबें डाल कर ले जाने में जिसका व इस्तेमाल करते हैं या अस्पतालों में नीचे रखने के लिये वह कपड़ा काम आता है। उस पर भी यह टैक्स लग गया है चार आना मीटर, आठ आना मीटर तक। जो छोटे छोटे उद्योग हैं उनको इससे बहुत नुकसान होगा, उनको बहुत धक्का लगेगा। मैं वित्त मन्त्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि वह इस मामले को देखें और उन पर इस टैक्स को न लगायें ? इस आइटम से उन्हें कुल बीस लाख रुपया प्राप्त होने की आशा है। परन्तु जो उद्योग यह अब है और जिस में कई हजार आदमी काम करते हैं उन पर इसका बुरा असर पड़ेगा। जो साधारण श्रेणी के बच्चे हैं या बाजार में महिलायें साग सब्ज़ी लाने के लिये जिन थैलों का उपयोग करती हैं, और कुछ अस्पतालों में बैड शीट्स बनते हैं, वे भी इसमें शामिल हैं। मैं चाहता हूं कि इस तरह की जो चोजें बनाते हैं उन पर यह टैक्स नहीं लगाया जाना चाहिये।

तम्बाकू पर आपने टैक्स लगाया है। मेरा निवेदन यह है कि अगर तम्बाकू पर और अधिक टैक्स लगा दिया जाता और इसका कंजम्पशन बन्द भी कर दिया जाता तो कोई हर्ज की बात नहीं थी। इसका कारण यह है कि इससे नुकसान किसी को नहीं होगा, फायदा ही होगा। इस तरह से तम्बाकू की जो बचत होगी, उसको हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं और रुपया कमा सकते हैं। माननीय मन्त्री जी ने बम्बई में शराबबन्दी की और उससे लाभ हुआ। तम्बाकू अगर कोई नहीं पीयेगा तो हैल्थ का कोई नुकसान नहीं होगा, बल्कि फायदा ही होगा। अफीम पर भी बहुत टैक्स है। इससे अफीम खाना बहुत कम हो

[श्री रामेश्वर टांटिया]

गया है। राजस्थान में बहुत अफीम की खपत थी और लोग बहुत खाते थे। इतना ज्यादा इस पर टैक्स लगा दिया गया है कि अफीम बन्द हो गई है। अगर तम्बाकू पर और अधिक टैक्स लगा दिया जाता तो देश में मेरे ख्याल में किसी को कोई एतराज न होता।

माननीय वित्त मंत्री जी को कुछ लोग कहते हैं कि वह प्राइवेट कैपिटलिस्टों से कुछ हमदर्दी रखते हैं, उनसे सहानुभूति रखते हैं। परन्तु मैं आपको अर्ज करूं, कि आज हिदुस्तान में ऊंचे लेवल पर जो टैक्स की दर है वह दुनिया में सबसे ज्यादा है। ७०,००० रुपये के ऊपर जो कमाई एक व्यक्ति करता है उस पर ८२ परसेंट से लेकर ८७ परसेंट तक टैक्स है यानी एक एक रुपये में चौदह आने टैक्स लगा दिया जाता है। ७०,००० के ऊपर जो रुपया है उसमें कुल मिला कर अगर एक आदमी के पास २५ लाख रुपये की सम्पत्ति और डेढ़ लाख रुपये कमाई है तो उसको १ लाख ६२ हजार रुपये टैक्स का देना पड़ता है क्योंकि उसमें वैल्थ टैक्स जुड़ जाता है। इस तरह से उस पर १०४ परसेंट से लेकर ११० परसेंट तक टैक्स लगता है। इस तरह से शायद और दुनिया के किसी मुल्क में टैक्स नहीं लिया जाता है। यहां पर ऊंचे स्कैल पर बहुत ज्यादा टैक्स है। इस पर ध्यान देने की जरूरत है। टैक्स का रेट यही रहता लेकिन हाइएस्ट स्केल पर ९० परसेंट या ८५ परसेंट जैसा भी आप चाहें, रख सकते हैं। शायद कुछ लोगों को इस पर आश्चर्य होगा। परन्तु आप फिगर्ज निकाल कर देखें तो आपको पता चलेगा कि १०५ या १०७ परसेंट तक टैक्स अभी नए स्लैब में लगेगा। इसका कारण यह है कि वैल्थ टैक्स लगाया गया है और उसके फलस्वरूप टैक्स भी बढ़ गया है।

पब्लिक सैक्टर इण्डस्ट्रीज के बारे में अब मैं कुछ कहना चाहता हूं। जिन इण्डस्ट्रीज को गवर्नमेंट मैनेज करती है, उनका जो हिसाब दिया गया है उसके मुताबिक ७०९ करोड़ रुपया गवर्नमेंट मैनेज्ड इण्डस्ट्रीज पर लगा हुआ है और १६० करोड़ रुपया अगले साल और लगेगा। इनसे आमदनी आपको हुई है सिर्फ १ करोड़ ६१ लाख रुपया यानी ढाई नए पैसे प्रति सैकड़ा। इसको चाहे आप ब्याज समझ लीजिये और चाहे आमदनी समझ लीजिये यानी ०·०३ परसेंट पर एनम। ७०९ करोड़ रुपया १७ इण्डस्ट्रीज में आपका लगा है और उसमें से इतनी कम आमदनी हो रही है, ऐसा क्यों है यह सोचने की बात है। इसकी आपको जांच करनी चाहिये। हो सकता है कि उनमें कुछ इण्डस्ट्रीज अभी बन रही हों, इस वास्ते उनमें मुनाफा न हो रहा हो। परन्तु जो इण्डस्ट्रीज बन चुकी हैं, जो मोनोपोली इण्डस्ट्री है, जहां पर गवर्नमेंट अपनी प्राइस भी रखती है, उसमें भी जो फायदा है वह धीरे धीरे घट रहा है। वहां पर भी प्रोडक्शन घट रहा है। मिसाल के तौर पर मैं सिंधरी फर्टिलाइजर फैक्टरी का नाम ले सकता हूं।

माननीय उद्योग मंत्री जी ने आज बताया कि पिम्परी की जो फैक्ट्री है उस में जो पैनिसिलीन बनती है, उस के दाम तिगुने हैं, उस के मुकाबले में जो पैनिसिलीन इम्पोर्ट की जाती है। इतने अधिक दाम रख कर भी गवर्नमेंट फैक्ट्री, जो रुपया वहां लगा हुआ है उस का ब्याज भी अदा नहीं कर सकती तो इस की क्या वजह है इस की जांच होनी चाहिय।

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीयती तारकेश्वरी सिन्हा) : पिम्परी तो कमाती है।

श्री रामेश्वर टांटिया : लेकिन कितना कमाती है ? मैं तो यह कह रहा हूं कि १७ फैक्ट्रीज जो हैं जिन पर ७०९ करोड़ रुपया लगा हुआ है . . . . .

†**श्री मोरारजी देसाई** : यह ७०० करोड़ रुपये इन १७ कारखानों के लिये नहीं हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री मोदारका (झुनझुनू) : यह अनुबन्ध ८ में है ।

श्री रामेश्वर टांटिया : इसी तरह से जो कोयले की खानें हैं, गवर्नमेंट कंट्रोल्ड खाने हैं, उन में भी कुछ खानें ऐसी हैं जोकि कई साल से नुक्सान दे रही हैं और वे अच्छी खानें हैं । परन्तु उन के ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया गया है । पिछले साल जो कोल के बारे में रिपोर्ट आई थी उस मे बताया गया था कि बड़ा नुक्सान हुआ है । दूसरी खानें भी हैं जहां पर फायदा हुआ दिखाया गया था । मेरी अर्ज यह है कि टैक्स लगाने के साथ साथ जो पब्लिक सेक्टर के कारखाने बढ़ रहे हैं उन का देश को फायदा मिले और उस फायदे को वापस उस में लगाया जाये । यह भी सोचना जरूरी है क्योंकि अगर हम उस में रुपया लगाते जायेंगे और उन रुपयों का फायदा नहीं मिलेगा तो एक तरफ तो आप टैक्स बढ़ाते जायेंगे और दूसरी तरफ उस टैक्स के रुपये से, जोकि आप उन कारखानों में लगायेंगे, जनता को फायदा नहीं मिलेगा । इस से आगे चल कर क्या होने वाला होगा, इस को आप समझ सकते हैं ।

जहां तक पब्लिक सेक्टर इन्डस्ट्रीज के एलोकेशन का सवाल है, मैं कहूंगा कि राजस्थान के साथ इस मामले में बहुत अन्याय किया गया है । वहां की स्थिति ऐसी है कि वहां पर पब्लिक सेक्टर इन्डस्ट्री रक्खी जाये । राजस्थान मे आज गवर्नमेंट की कोई भी बड़ी पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री नहीं है जबकि दूसरे प्रदेशों में सैकड़ों छोटी मोटी इन्डस्ट्रीज चल रही हैं । इसलिये हर एक प्रदेश को कुछ न कुछ पाने का हक है । राजस्थान में आज फर्टिलाइजर फैक्ट्री हो सकती है या और कोई इंडस्ट्री हो सकती है । राजस्थान एक ऐसा क्षेत्र है जिस को और सरकार को ध्यान देना चाहिये ।

आज एक माननीया महिला सदस्या ने प्रीवी पेर्सेज के सम्बन्ध में कहा था । उस के बारे मे मैं भी अर्ज करना चाहता हूं । मैं भी उसी प्रदेश से आता हूं । उन्हों ने शायद प्रीवी पर्स के सम्बन्ध में कहा था कि दो एक तरह से उन का त्याग रहा है, उस के बदले में उन को प्रीवी पर्स मिलनी चाहिये । मैं नहीं समझ सकता कि उन का क्या त्याग रहा है । जो आप का हायस्ट स्लैब ७०,००० रु० है उस पर आप ८५ परसैन्ट टैक्स ले लेते हैं तो कोई वजह नहीं है कि जो प्रीवी पर्स के रूप में १५, १० या ५ लाख रुपये मिलते हैं, उन पर टैक्स न लिया जाये । एक समय था जबकि हम ने प्रीवी पर्स देना मंजूर किया था, लेकिन आज जब देश इतनी प्रगति कर रहा है, और उस के लिये हम को धन चाहिये, तो कोई वजह नहीं है कि उन लोगों को इनकम टैक्स फ्री १० लाख रु० के करीब दिया जाये जोकि करीब डेढ़ करोड़ रु० के हो गया । अगर कोई डेढ़ करोड़ कमाता है तो उस को टैक्स काट कर १० लाख रु० के लगभग पड़ता हैं । इसलिये उन को १० लाख रु० देने का मतलब १० लाख रु० नहीं बल्कि डेढ़ करोड़ रु० देना है क्योंकि आगे चल कर खाली १३ प्रतिशत ही तो बचता है । जैसा मैं ने अर्ज किया १० लाख रु० इनकम टैक्स फ्री देने का मतलब उन को डेढ़ करोड़ रुपया देना हो गया । यह डेढ़ करोड़ रुपया उन को दिया जाय, यह बात मेरी समझ में नहीं आती । इस के लिये सोचा जाना चाहिये । अगर इस को रोका जाय तो गवर्नमेंट को कम से कम ढाई या तीन करोड़ रुपये मिल जायेंगे ।

अधिक न कहते हुए मैं फिर अर्ज करना चाहता हूं कि जो रुपया गवर्नमेंट का पलिब्क सेक्टर इन्डस्ट्रीज में लगा हुआ है और जो घाटा उन में होता है, अगर जरूरत समझी जाये तो उस की अच्छी तरह से जांच की जाय और इस का पता लगाया जाय कि कहां पर गलती है । क्या कारण है कि जो प्राइवेट सेक्टर के कारखाने हैं वे १२, १२ और १४, १४ परसेन्ट तक नफा कमाते हैं और गवर्नमेंट के कारखाने नहीं कमाते ? आखिर कहीं न कहीं तो गलती कोई होगी ही । यह कहने से काम नहीं चलेगा कि गवर्नमेंट के लेबर रूल्स अलग हैं क्योंकि लेबर रूल्स तो सब जगह समान हैं और गवर्नमेंट को रुपया भी उल्टे कम ब्याज पर मिलता है । उस को ढाई परसेन्ट पर ब्याज मिल जाता है । सब

[श्री रामेश्वर टांटिया]

से अधिक जरूरत आज इस बात की है कि जो टैक्स गवर्नमेंट हर साल ले रही है और पब्लिक सेक्टर कारखानों में लगाती है, उस के सम्बन्ध में जांच की जाये कि क्या बात है, और कहां पर गलती है कि गवर्नमेंट फैक्ट्रीज़ में कोई नफा नहीं होता, उल्टा नुक्सान होता है ।

श्री व० प्र० सिंह (मुंगेर): अध्यक्ष महोदय, हर वर्ष जो बजट बनाया जाता है वह घाटे का बजट होता है और उस की पूर्ति विशेष करों से की जाती है । क्या सरकार का ध्यान इस ओर कभी जाता है कि शासन के बढ़ते हुए खर्च में मितव्ययता ला कर उस की पूर्ति की जाये ? कराची में कांग्रेस ने मंजूर किया था कि अधिक से अधिक वेतन ५०० रु० हो । उस के बाद जब हम यह निश्चय कर चुके हैं कि हम को समाजवादी ढांचे का राज्य बनाना है, समाज बनाना है, तो फिर उस ढांचे में यदि आज प्रेजिडेंट का वेतन १०,००० रु० हो, गवर्नरों का ५ या ६ हजार रु० हो और सचिवों का तथा मंत्रियों का विशेष सुविधाओं के साथ ४ या ५ हजार के करीब हो, तो क्या यह मुनासिब बात है ? आज जो कुछ हमारे देखने में आता है वह यह आता है कि जो शासक वर्ग है और जो नौकरी पेशा के लोग हैं, जो इंडस्ट्रियल लेबर हैं उन के लिये सारी सुविधायें दी जाती हैं । लेकिन जो देश के किसान हैं, जिन की संख्या ७० प्रतिशत है, उन की आय क्या है और उन के लिये क्या किया जाता है ? मेरा कहना यह नहीं है कि सरकार जान बूझ कर कोई ऐसा कार्य करती है, हमारा विश्वास हो रहा है कि किसानों और खेत मजदूरों के प्रति सरकार अनजाने मे उपेक्षा की दृष्टि से काम लेती है। ऐसी मेरी धारणा है । आये दिन कर्मचारियों की वेतन वृद्धि के लिये हड़ताल होती है और सरकार झुकती है । मेरा निवेदन है कि सरकार को जो उस का शासन का खर्च है उस को आय के आधार पर निश्चित करना चाहिये **सर्वेन्ट परसेंटएज** अर्थात् निश्चित रकम से अधिक शासन पर खर्च न होगा । ऐसा देखने में आता है कि यदि इस को नहीं रोका जायेगा तो सरकार के पास विकास कार्य के लिये रुपया नहीं रहेगा और वह सारे का सारा रुपया वेतन मे जायेगा ।

इस के बाद शराबखोरी की बात लीजिये । मैं दूसरे प्रदेशों की बात नहीं करता लेकिन बिहार में ऐग्रीकल्चर टैक्स लगाया गया था ताकि शराबखोरी बन्द हो । लेकिन आज शराब खोर भी चल रही है और ऐग्रिकल्चर टैक्स भी चल रहा है । पूज्य बापू जी कहा करते थे कि यदि एक घंटे के लिये भी मुझे अधिकार मिल जाये तो सब से पहला काम मैं यह करूंगा कि शराबखोरी बन्द हो । आज स्वास्थ्य सुधार के लिये और हरिजनों के उद्धार के लिये हमारे पास बहुत बड़ी बड़ी प्लैन्स हैं । लेकिन हरिजनों की आय का ३० प्रतिशत शराबखोरी में जाता है । क्या सरकार का ध्यान इस ओर जाता है, क्या वह मुनासिब इसे समझती है ? जहां वह अपने खर्च के लिये दूसरी दूसरी मदों में सुधार की बात करती है वहां यह शराबखोरी बन्द न कर के क्या वह गरीब जनता के साथ अन्याय नहीं कर रही है ?

साथ ही साथ एम्पलायमेंट की बात होती है । प्रथम पार्लियामेंट के समय से ही अपने प्लैनिंग मिनिस्टर से हमारा अनुरोध रहा कि वे यहां के लोगों का जीवन मान स्थिर करें, स्टैन्डर्ड आफ लिविंग फिक्स करें । यदि वे ऐसा नहीं करते और स्टैन्डर्ड आफ लिविंग फिक्स नहीं करते तो वे अनएम्प्लायमेंट की समस्या को कैसे साल्व करेंगे, यह बात पे मेरी समझ में नहीं आती । साथ ही आप यह भी निश्चित नहीं कर सके कि सोशिलिस्टिक पैटर्न आफ सोसायटी में निम्नतम जीवनमान और उच्चतम् जीवनमान में क्या अन्तर होगा । मैं नहीं कहता कि आप को उसे तुरन्त लागू करना चाहिये लेकिन सरकार को यह तो निर्धारित कर देना चाहिये कि हमारे सोशलिस्टिक पैटर्न में जीवन मान में कितना अन्तर रहेगा । आज तो ३० रु० और ३,००० रु० का अनुपात है । जब चपरासी को ३० रु० मिलते हैं तो एक सेक्रेटरी को ३,००० रु० मिलते हैं, यह सोशलिस्टिक पैटर्न मेरी समझ

मैं नहीं आता। मैं नहीं समझ पाता कि हमारे सोशलिस्टिक पैटर्न का क्या आधार है और उस के प्रति हमारा क्या विश्वास है।

आज किसान मजदूरों के प्रति जो उपेक्षा दृष्टि रक्खी गई है उस की ओर सरकार का ध्यान जाना चाहिये। जिस समय हमारा संविधान बना था उस समय हम ने निर्णय किया था कि दस वर्षों के अन्दर हम ६ से ले कर १४ वर्षों तक के बच्चों को पढ़ाने की चेष्टा करेंगे लेकिन तृतीय पंच वर्षीय योजना के अन्दर ६ से ११ वर्ष तक के बच्चों को ही पढ़ाने का प्रबन्ध हम कर पायेंगे,। १४ की तो बात ही नहीं है। अभी हाल में अखबारों में निकला कि सरकारी कर्मचारियों के बच्चों को पढ़ाने के लिये २७ स्कूल सारे देश में खुलेंगे। मैं कहता हूं कि आखिर यह भेदबुद्धि क्यों ? एक साधारण किसान का बच्चा भी उसी प्रकार नागरिक है जिस प्रकार सरकारी कर्मचारियों के बच्चे। इसलिये इस तरह की भेदबुद्धि नहीं होनी चाहिये। मेरे खयाल में शिक्षा का स्तर सब के लिये समान होना चाहिये जिस से कि सभी लोग लाभ उठा सकें।

जब सीलिंग लागू करते हैं जमीन की तो वैसी हालत में किसान को सूखा और बाढ़ से बचाने के लिये आप कोई प्रबन्ध नहीं करते हैं। जब कभी बाढ़ या सूखा होगा तो किसान और खेत मजदूर दाने दाने को मोहताज होंगे। दूसरे वे अपने बच्चों को शिक्षा नहीं दे सकेंगे और न उन की चिकित्सा ही करा सकेंगे। इसलिये सरकार के लिये मुनासिब है कि शिक्षा और चिकित्सा दोनों ही सारे देश में मुफ्त हो।

आज से पहले स्वराज्य प्राप्ति से पूर्व कांग्रेस प्लेटफार्म से किसानों को सुविधा देने के लिये कितनी ही बातें कही गई थीं, वे सारी की सारी बातें आज परोक्ष में हैं। जिस समय जमींदारी प्रथा थी उस समय जो साधारण सुविधायें किसानों को दी गई थीं वह सारी की सारी सुविधायें छीन ली गई हैं। वे सुविधायें आज नहीं हैं। बिहार में यह था कि लगान के बकाया मे उस का पार्ट होल्डिंग नीलाम होता था लेकिन अब जबकि सरकार जमींदार बन गयी है तो पार्ट होल्डिंग के बजाय उस की स्टैंडिंग क्राप और चल सम्पत्ति कुर्क होती है। मेरी समझ में नहीं आता कि पहले जो बातें किसान के सम्बन्ध में सोची जाती थीं वे बातें आज क्यों नहीं सोची जा रही हैं।

आज कहा जाता है कि देश में प्रति व्यक्ति औसत आय २९० रुपये है लेकिन किसानों की औसत आय १०० रुपये के करीब है। कहा जाता है कि तीसरी योजना के बाद लोगों की औसत आय में ३० प्रतिशत की वृद्धि हो जायेगी। यह मान लिया जाए तो भी किसानों की आय में ३० प्रतिशत जुड़ जाने से उनकी क्या दशा होगी यह सोचने की बात है। तो हमारे ख्याल से इन सब चीजों की ओर सरकार का ध्यान जाना चाहिए और उसके लिए उचित व्यवस्था करनी चाहिए।

एक बात मैं खास तौर से कहना चाहता हूं कि किसानों की उपेक्षा की जाती है। गत अक्तूबर की बाढ़ में खड़गपुर झील का बांध टूट गया और उसका ३४ फीट पानी एक दम फैल गया और उससे २६ बस्तियां ध्वस्त हो गयीं। जो उसकी रिपोर्ट आई उसको हमने चैलेंज किया तो भारत सरकार की तरफ से जो विशेषज्ञ गया उसने कहा कि वह बांध कमजोरी की वजह से टूट गया। वह १८७० में बनाया गया था और इतने दिनों से जमींदार उसकी रक्षा कर रहे थे। उस पर सरकार ने १८ लाख रुपया खर्च किया तो भी वह ठीक अवस्था में नहीं रहा और कर्मचारियों की गफलत से टूट गया। उसकी वजह से २६ बस्तियां ध्वंस्त हो गयीं। उस समय बहुत से लोग आए और गांवों के किसानों को सहायता देने की बात कही गयी लेकिन अभी किसान उसी अवस्था में हैं। सबसे आश्चर्य की बात तो यह है कि बिहार सरकार के उपमंत्री ने बिहार विधान सभा में एक वक्तव्य दिया जिसमें उन्होंने कहा कि सिर्फ ३ गांवों की बरबादी हुई है, उन्होंने २६ गांवों का कोई जिक्र

[श्री व० प्र० सिंह]

नहीं किया । आज कुछ भी नहीं देखा जाता है । हमारे इर्रीगेशन मिनिस्टर हाफिज मुहम्मद इब्राहेम साहब वहां पर गये थे । हमने उनको बताया था कि किस तरह वह झील कर्मचारियों की गफलत से टूटी है । उसकी जांच होनी चाहिए । बिहार के मुख्य मंत्री से भी हमने निवेदन किया था कि अब तो ऐसी बात नहीं होनी चाहिये । जो जांच हुई उसमें वहां के इर्रीगेशन मिनिस्टर और अधिकारियों से भिन्न मत रखते थे लेकिन जब भारत सरकार के इंजीनियर यहां से गये तो उन्होंने इंजीनियर के निर्णय पर अपनी मुहर लगा दी । वहां के किसानों की अवस्था बहुत खराब है और वह प्रत्यक्ष चोज है । मैं फाइनेन्स मिनिस्टर साहब से निवेदन करूंगा कि यदि उनको फुरसत न हो तो वे वहां के किसानों की हालत को अपने डिप्टी मिनिस्टर द्वारा दिखा सकते हैं ताकि उनको मालूम हो जाए कि उनकी क्या स्थिति है । उस बांध के टूटने से दस हजार आदमी मरते लेकिन सौभाग्य से वह आठ बजे भोर टूटा जिससे ऐसा नहीं हुआ । ३४ फोट पानी आधे घंटे में सब जगह फैल गया जिसके कारण लोग मकानों से अपना सामान भी नहीं निकाल सके । जिनको तीन एकड़ से पांच एकड़ जमीन थी उन किसानों को तो ५० और १०० रुपया मिला और जिनको जमीन ज्यादा थी उनके लिए कलेक्टर ने कहा कि उनको १५ दिन के अन्दर एन० सी० लोन दिया जाएगा लेकिन उनको वह लोन अभी तक नहीं दिया गया ।

मकान बनाने को कोयला और सीमेंट मुहय्या हुआ लेकिन उसके लिए वैगन्स नहीं मिल सके । इसलिए आज वहां के किसानों की खराब अवस्था है । मेरा अपना खयाल यह है कि आज जब इस तरह की बातें होती हैं तो किसानों को बड़ी निराशा होती है । कांग्रेस में किसानों की आस्था है और आप यह मान लें कि किसानों की यह मान्यता है कि जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं उनमें कांग्रेस सबसे बेहतरीन पार्टी है । उनका विचार है कि उसका साथ देना चाहिए । लेकिन आज कांग्रेस को किसानों की ओर जिस समर्थ भाव से देखना चाहिए वैसा नहीं हो रहा है, इसलिए लोगों को बड़ी निराशा होती है । मेरा निवेदन है कि किसानों का भला हो सके ऐसे काम करने चाहिए ।

आज बहुत से नियम बने हैं लेकिन उससे किसानों को लाभ नहीं होता । उन नियमों से अनजान होने के कारण किसान उनका लाभ नहीं उठा पाते । आप चाहते हैं कि हमारी पैदावार बढ़े, लेकिन पैदावार कैसे बढ़े ? आप जो औजार उनके लिए मंगाते हैं वे बहुत बड़े बड़े होते हैं, उनसे किसानों को कोई फायदा नहीं होता । जब आप जमीन की सीलिंग बीस और तीस एकड़ कर रहे हैं तो आपको ऐसे औजार मंगाने चाहिए जिनको छोटा किसान काम में ला सके । लेकिन ऐसा नहीं होता ।

किसानों को अच्छा बीज मिलना चाहिए और उनको ज्यादा उत्पादन करने का ढंग सिखाना चाहिए । आज साउथ बिहार में सलफेट आफ एमोनिया का व्यवहार करने से उचित लाभ इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि किसानों को इस बात की जानकारी नहीं है कि उनकी जमीन में किस चीज की कमी है और कौन सी खाद किस अवसर पर देने से उस कमी की पूर्ति हो सकती है । इसके लिए सरकार की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं है । यह काम एग्रीकल्चर विभाग को करना चाहिए लेकिन यह विभाग काफी आरगेनाइज्ड नहीं है और सरकार उसकी तरफ काफी तवज्जह नहीं दे रही है ।

हमको कम्युनिटी डेवेलपमेंट से बहुत आशा है लेकिन उसमें शासन का खर्च बहुत ज्यादा है । जो रुपया इस काम के लिए दिया जाता है उसका बड़ा हिस्सा मकान बनाने में, आमोद-प्रमोद आदि में खर्च हो जाता है । श्री श्री नारायण दास जी ने भी इस तरफ सरकार का ध्यान खींचा है कि हमारा ज्यादा से ज्यादा पैसा इस तरह खर्च होना चाहिए कि देश का उत्पादन बढ़े ।

इस बात की भी आवश्यकता है कि कम्युनिटी डेवेलपमेंट के काम में एक इंजिनियरिंग विभाग का भी आदमी होना चाहिए। उसके न होने का परिणाम यह होता है कि जो एस्टीमेट बनाया जाता है और उसके अनुसार जो रुपया दिया जाता है वह पूरी तरह खर्च नहीं हो पाता। इसलिए मेरा निवेदन है कि कम्युनिटी डेवलपमेंट की तरफ और किसानों के सम्बन्ध रखने वाली बातों की तरफ सरकार को पूरा ध्यान देना चाहिए।

†**श्री अन्सार हरवानी** (बिसौली) : माननीय वित्त मंत्री महोदय ने जो आय-व्ययक प्रस्तुत किया है उस पर मैं उन्हें मुबारकबाद देता हूं। उन के वित्त मंत्री बनते ही उनपर कई आशायें लगाई गई थीं, आशा की गई थी कि यह प्रथम गांधीवादी वित्त मंत्री देश की एक महान वित्तीय नेतृत्व प्रदान करेगा इस से पहिले जितने भी वित्त मंत्री आये वे माननीय भारतीय स्वतन्त्रता संग्राम के सैनिक नहीं थे। परन्तु हमारे वर्तमान वित्त मंत्री सब गुणों के स्वामी होने के साथ साथ देश के स्वतन्त्रता संग्राम के सैनिक भी हैं।

परन्तु इस सब के बावजूद आय-व्ययक निराशापूर्ण है। इस का प्रभाव यह प्रतीत होता है कि लोगों का विश्वास समाजवाद से उठ रहा है। मेरा निवेदन है कि जिन उपायों आदि से हम समाजवाद को लाना चाहते हैं, वह ठीक नहीं है। आज जिन सेवाओं के आधार पर हम अपने प्रशासन के आधार को समाजवाद में बदलने के इच्छुक हैं, वे सेवायें समाजवाद में प्रशिक्षित नहीं हुई हैं, उन के दिमागों में तो अब भी अंग्रेजी राज्य की स्मृतियां सजीव हैं। परन्तु खेद यह है कि स्वयं सत्तारूढ़ दल को भी इस में विश्वास नहीं है और उन्हें समाजवादी ढ़ंग के जीवन का कोई ध्यान नहीं है। समाजवाद का प्रस्ताव तो उसी दिन से पास हो रहा है जब से राष्ट्रपिता की मृत्यु हुई है परन्तु व्यावहारिक रूप में कुछ नहीं हो रहा है।

समाजवाद लाने के लिये आवश्यक है कि जीवन का दृष्टिकोण समाजवादी बनाया जाये। हम गांधीवादी जीवन-दर्शन की सादगी की परम्पराओं में पले हैं। फिर भी हम मंत्री के या किसी अन्य उच्च पद पर पहुंचते ही, सादगी का साधारण जीवन छोड़ कर शान शौकत के पीछे दौड़ने लगते हैं। फिर हम समाजवादी आन्दोलन का नेतृत्व कैसे कर सकते हैं।

देश में कर अपवंचना इतने बड़े पैमाने पर चल रही है। उस के लिये अभी तक कितने बड़े बड़े उद्योगपतियों को दण्डित किया गया है? हमारे मंत्रिगण स्वयं इन उद्योगपतियों का आतिथ्य ग्रहण करते हैं। फिर एक साधारण कर-इंस्पेक्टर कैसे ऊपर उंगली उठाने का साहस कर सकता है? इस तरह तो कर अपवंचना नहीं रोकी जा सकती।

हमारे प्रधान मंत्री का कहना है कि भारत में अन्य देशों के मुकादले सब से कम भ्रष्टाचार है। अन्य देशों में भ्रष्टाचार का होना, भारत के भ्रष्टाचार को उचित नहीं बना सकता। यह भी गलत है कि भ्रष्टाचार निचले स्तरों पर ही है। मैं ने कांग्रेस के बंगलौर अधिवेशन में एक प्रस्ताव रखा था कि सभी बड़े बड़े नताओं की वित्तीय स्थिति की जांच की जानी चाहिये। माननीय प्रधान मंत्री ने उस पर अनुदेश जारी कर दिये थे कि सभी कांग्रेसमैनों को हर साल अपनी आय का विवरण जुटाना चाहिये। लेकिन मुझे मालूम है कि कई बड़े बड़े कांग्रेस-मैन सही विवरण नहीं जुटाते। और अब भूत-पूर्व राजा-महाराजाओं को निजी थैलियां देने का भी कोई औचित्य नहीं है। यह समाजवादी समाज के आन्दोलन से मेल नहीं खाता।

भारत सरकार को राष्ट्रीय एकता की ओर सब से अधिक ध्यान देना चाहिये। हमें ते देश के अल्प संख्यक समुदायों की सामाजिक स्थिति ही नहीं, उन की आर्थिक स्थिति के बारे में भी पूरी पूरी जांच करनी चाहिये। उन के भी आर्थिक विकास का समान अवसर प्रदान किया जाना चाहिये।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री अन्सार हरवानी]

हमारे नेहरू जी दिमागी तौर पर वामपंथियों के साथ हैं, लेकिन उन की संगति दक्षिणपंथियों की है। यही देश का सब से बड़ा दुर्भाग्य है।

श्री शिवमूर्त्ति स्वामी (कोप्पल) : अध्यक्ष महोदय, अभी हमारे दोस्त ने, जो कि कांग्रेस के टिकट पर चुन कर आये हैं, जो बातें कहीं, वे उन के दिल की बातें थीं। सरकार की आर्थिक नीति के बारे में माननीय सदस्य जो कुछ इस हाउस में कहते हैं, उनसे यह मालूम होता है कि आज जो हिन्दुस्तान के हुक्मरान बन कर बैठे हैं, उनका १९४७ से पहले एक चित्र था और उस के बाद एक दूसरा ही चित्र बन रहा है।

मुझे याद पड़ता है कि जब श्री नेहरू के नेतृत्व में कांग्रेस के नेता इंटेरिम गवर्नमेंट में पद सम्भालने से पहले महात्मा गांधी का संदेश प्राप्त करने गये, तो उस दिन सोमवार होने के कारण उन का मौन-व्रत था और वह बोल नहीं सकते थे। इसलिये महात्मा गांधी ने एक छोटे से कागज पर अपना यह संदेश लिख कर दिया, जो इस प्रकार था कि डांडी मार्च, और स्वदेशी आन्दोलन को मत भूलो, जनता की इच्छा का सम्मान करो और दलित वर्गों की रक्षा करो। डांडी मार्च को याद रखने से उन का मतलब यह नहीं था कि नमक पर जो टैक्स लगाया गया है, सिर्फ उस को हटा दिया जाये, बल्कि महात्मा गांधी चाहते थे कि इस प्रिंसिपल को सामने रखा जाये कि मासिज की आम जरूरियात पर, उनकी आवश्यकता की आम अजनास पर, एक पैसा भी टैक्स न लगाया जाये। यही महात्मा गांधी की आवाज थी।

स्वदेशी मूवमेंट को याद रखने से गांधी जी का मंशा यह था कि मुल्क के अन्दर जो साधन हैं, उन से इस मुल्क की आर्थिक दशा को सुधारा जाये और उस को आगे ले जाया जाये। उस जमाने में विदेशों पर भरोसा करना बिल्कुल पाप समझा जाता था। लेकिन आज हमारी अर्थ-व्यवस्था दूसरे मुल्कों पर निर्भर है और अपना आर्थिक स्तर ऊंचा करने के लिये हम उन से कर्ज ले रहे हैं। मैं इस का बिल्कुल मुखालिफ हूं। इस का कारण यह है कि जिन देशों से हम आर्थिक सहायता लेते हैं, नीति के सम्बन्ध में हमें उन के साथ जाना पड़ता है।

डांडी में जो सत्याग्रह किया गया, उस का लक्ष्य यही था कि लोगों की आवश्यकता की चीजों पर—खाने और कपड़े पर किसी तरीके से टैक्स न लगाया जाये। इसलिये कपड़े और वीवर्ज के यार्न पर जो टैक्स लगाया गया है, उस को बिल्कुल खत्म करना चाहिये। दूसरी अजनास पर टैक्स लगा कर सरकार रुपया जमा कर सकती है, लेकिन मासिज की आम जरूरियात पर जो टैक्स लगाया गया है, उस को इसी वक्त खत्म कर देना चाहिय, यह मेरी राय है।

हम को यह जानना चाहिये कि हिन्दुस्तान एक जराअती मुल्क है, एक कृषि प्रधान देश है, जहां पर तकरीबन अस्सी प्रतिशत लोग कृषि पर निर्भर करते हैं प्लानिंग के सम्बन्ध में यह कहा जाता है कि कृषि के क्षेत्र में बहुत कुछ सुधार किया गया है, लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि प्रोजक्ट एरियाज को छोड़ कर जराअत पर मबनी लोगों के लिये कोई योजना नजर नहीं आती है। कम्युनिटी प्रोजेक्ट, डवल्पमेंट और कोआपरेशन के लिये एक अलग मंत्रालय कायम किया गया है लेकिन उस का पैसा कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स और डवल्पमेंट पर खर्च नहीं किया गया है। किसी ने खूब कहा है कि **कम्युनिटी प्राजेक्ट्स इज दी ईटिंग नोट्स डिपार्टमेंट** यानी वह पैसा खान का डिपार्टमेंट, खाता बन चुका है। हम को खास तौर पर अनुभव है कि कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स के विभाग के द्वारा गांवों के लोगों की आर्थिक दशा को सुधारने के लिये कोई भी काम ठीक तरीके से नहीं चल रहा है। सिर्फ एडवाइजरी कमेटीज,

दूसरी कई कमेटीज भत्तों और ग्रान्ट्स वगैरह के जरिये पैसे खाये जाते हैं । मैं चाहता हूं कि एक कमेटी एप्वाइंट की जानी चाहियें जो इस बात की देख भाल करे कि कम्युनिटी प्राजेक्ट एरियाज में पिछले दस सालों से डवलपमेंट की जो कोशिश की जा रही है, उस से किसानों का कोई बढ़ावा हुआ है, उन की कोई उन्नति हुई है ।

श्री जे० सी० कुमारप्पा ने अपनी किताब "स्वराज फार दि मासिज" में कहा है कि जिस देश में एक जून भोजन मुश्किल मिलता हो, उस देश में अरबों-करोड़ों रूपये की लागत की योजनायें काग़ज पर ही बनी रहेंगी । योजनायें ऐसी होनी चाहियें जो जनता की सामर्थ्य के अन्दर हों । तभी जनता का सहयोग प्राप्त किया जा सकता है । हमें यह नहीं भूलना चाहिये कि हमारा देश कृषि-प्रधान देश है, जिस की ७० प्रतिशत् जनता कृषि पर निर्भर रहती है ।

उस के बाद उसी किताब में सफा २७ पर "नीडो फिल्डज" के शीर्षक से यह कहा गया है कि जब देश में जनता भुखमरी से पीड़ित हो, तब तम्बाखू की खेती को इतना महत्व क्यों दिया जाता है ?

जहां तक बजट का सम्बन्ध है, यह उसूल सामने रखना चाहिये कि किसी उद्योग में जितने लोग हैं, उन में ईक्वी-डिस्ट्रीब्यूशन (समान वितरण) होना चाहिये । पहले बजट का सोशलाइजेशन करना जरूरी है ।

एग्रीकल्चर के लिये जो रकम रखी गयी है, वह बिल्कुल नाकाफी है। इस देश में ७० फीसदी लोग एग्रीकल्चर पर मबनी हैं । इसलिये अगर बजट में एग्रीकल्चर के लिये सत्तर फीसदी रुपया प्रोवाइड करने में कोई मजबूरी है, तो कम से कम पचास फीसदी रुपया एग्रीकल्चर के लिये जरूर रखना चाहिये। जो पैसा डायरेक्ट और इंडायरेक्ट टैक्सेशन से वसूल किया जाता है, इस मुल्क में जो पांच साला योजना चल रही है और जो चित्र उस का लोगों के सामने खींचा जाता है, मैं समझता हूं कि वह चन्द लोगो पर ही खर्च किया जाता है, उन पर खर्च कर दिया जाता है, जो पूंजापति हैं, जो पार्टी के फाइनेन्सर्ज हैं, जो हुकूमत पक्ष के व्यापारी लोग हैं । यही लोग हैं जिन को अधिक सुविधायें दी जाती हैं । जहां तक गरीब लोगो का ताल्लुक है, हरिजनों का ताल्लुक है, लेबर क्लास का ताल्लुक है जो कि गांवों में काम करती है, उनके लिए कुछ नहीं किया जाता है, उन को सर्विसेज में एबजार्ब करन के लिये कुछ नहीं किया जाता है । आम तौर से इस बजट में इन का जिक्र नहीं किया गया है। मैं चाहता हूं कि हर साल जब भी बजट पेश किया जाये तो कम से कम ५० परसेन्ट रुपया एग्रीकल्चर के लिये रिजर्व रखा जाये ।

आप टैक्स बढ़ाते जा रहे हैं लेकिन स्टेट्स को बहुत कम हिस्सा मिल रहा है । उन का आप म्युनिसिपैलिटीज का ही दर्जा देते हैं । जो पुरानी रियासतों की रेलें थीं और जो पोस्ट्स था, हैदराबाद स्टेट में जो पहले था और हैदराबाद स्टेट का जो हिस्सा अब मैसूर में आ गया है, उस से काफी आमदनी हुआ करती थी और अब यह सारी आमदनी आप को होती है । लेकिन स्टेट्स को बहुत कम हिस्सा दिया जाता है उन टैक्सों में से जो कि वे भी वसूल करन की हकदार हैं । इनकम टैक्स से जो आमदनी होती है, कम्पनी टैक्सेशन से जो आमदनी होती है, कारपोरेशन टैक्स से होती है और जिनमें स्टेट्स का हिस्सा होता है, उन का वह हिस्सा बहुत कम कर दिया गया है । उन के, कुछ मामले ऐसे हैं, कि टैक्स लगाते वक्त सेन्टर से मंजूरी लेनी पड़ती है। ये वे मामले हैं जो कि उन की हदूद के अन्दर आते हैं। फाइनेन्स कमीशन ने जो रिपोर्ट दी उस का भी जिक्र मेरे कुछ दोस्तों ने किया है। उस में भी कई स्टेट्स के साथ बेइंसाफी हुई है ।

मैं चाहता हूं कि स्टेट्स की आर्थिक दशा को सुधारने का आप को प्रयत्न करना चाहियें। आप को चाहिये कि आप ज्यादा से ज्यादा पब्लिक सैक्टर इंडस्ट्रीज से आमदनी बढ़ायें । आप डायरेक्ट

[श्री शिवभूति स्वामी]

टैक्सेशन को बढ़ायें, **इंडायरेक्ट को बढ़ायें** लेकिन ये टैक्स ऐसे सामान पर लगायें जो ऐश व आराम का सामान हैं, जिस को बड़े बड़े लोग, साहूकार लोग इस्तेमाल करते हैं। आप लैंड रेवेन्यु को भी बढ़ा सकते हैं बशर्ते कि आप उन की इनकम को भी बढ़ायें ।

अन्त में मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि बजट में ७० परसेन्ट नहीं तो कम से कम ५० परसेन्ट रुपया ऐग्रीकल्चर के लिये रिजर्व करना आप का धर्म है और इस धर्म का आप को पालन करना चाहिये ।

†**अध्यक्ष महोदय** : अब यह चर्चा जारी रहेगी ।

इसके पश्चात् लोक-सभा मंगलार, ८ मई, १९६२/१८ वैशाख, १८८४ (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई ।

---

†मूल अंग्रेजी में

सोमवार, ७ मई, १९६२

१७ वैशाख, १८८४ (शक)

सदस्यों द्वारा शपथ ग्रहण

पाँच सदस्यों ने अंग्रेजी में शपथ ली तथा प्रतिज्ञान किया

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर		१३५१—७६
तारांकित प्रश्न संख्या		
४५१	डेरी उपकरण और मशीनों का निर्माण	१३५१
४५३	भेषज कारखानों की स्थापना	१३५२—५४
४५४	नारियल—जटा से बनी वस्तुयें	१३५४—५६
४५५	पिम्परी में बनी पेनिसिलीन का मूल्य	१३५६—५८
४५६	गोआ में प्रवेश	१३५८—५९
४५७	कपड़ा मिलें	१३५९—६०
४५८	केरल में कताई मिलें	१३६०—६२
४५९	नेपा न्यूजप्रिंट फैक्टरी	१३६२
४६०	कोयला क्षेत्रों के लिये जल-सम्भरण	१३६३—६४
४६१	अखबारों के लिये अखबारी कागज	१३६४—६७
५६३	मध्यप्रदेश में सरकारी क्षेत्र की परियोजनायें	१३६७—६८
४६४	छोटे पैमाने के उद्योगों के उत्पादों के निर्यात की योजना	१३६९—७२
४६६	रूस में भारतीय राजदूत	१३७२—७५
४६७	लाख उद्योग	१३७५—७६
प्रश्नों के लिखित उत्तर		१३७६—१४१०
तारांकित प्रश्न संख्या		
४६२	छोटे तथा कुटीर उद्योगों में प्रशिक्षण	१३७६
४६५	राष्ट्रीय आय	१३७६—७७
४६८	औद्योगिक मजदूरों के लिये योगासन	१३७७

603(Ai)LSD—7

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर--		
तारांकित		
प्रश्न संख्या		
४६९	भवन निर्माण उद्योग में लगे राजों का प्रशिक्षण	१३७७
४७०	कर्मचारी राज्य बीमा योजना	१३७८
४७१	बड़े अल्युमिनियम कारखाने की स्थापना	१३७८
४७२	घाना के लिये भारतीय प्रविधिक कर्मचारी	१३७८-७९
४७३	केन्द्रीय नमक बोर्ड	१३७९
४७४	कार्मिक संघों की सदस्यता की पड़ताल	१३७९
४७५	नेफा में आदिम जाति परामर्शदाता बोर्ड	१३७९-८०
४७६	गोआ के लिये परमिट	१३८०-८१
४७७	काते हुए रेशम के कारखाने	१३८१
४७८	दिल्ली में विस्थापित व्यक्ति	१३८१-८२
४७९	पाट (हेम्प) का निर्यात	१३८२
४८०	कृत्रिम रबड़ का उत्पादन	१३८२-८३
४८१	सिलाई की मशीनों का निर्यात	१३८३
४८२	भूटान का विकास	१३८३-८४
४८३	कर्मचारी राज्य बीमा योजना में अंशदान	१३८४
४८४	गोआ में न्यायपालिका	१३८४
४८५	त्रावनकौर में टिटेनियम उद्योग	१३८४-८५
४८६	केन्द्रीय शिशिक्षा परिषद् की स्थापना	१३८५
४८७	मध्य प्रदेश में अल्युमिनियम संयंत्र	१३८५
४८८	महलानोबिस समिति	१३८६
४८९	बिस्कुट निर्माताओं की कठिनाइयां	१३८६
४९०	बागान श्रमिकों को बोनस	१३८७
४९१	औद्योगिक बस्तियां	१३८७
४९२	मेनियोका चूर्ण का निर्यात	१३८७-८८
४९३	कोयला खानों में "अवर मैन"	१३८८
४९४	गोवा वासियों के लिये पुर्तगाली राष्ट्रीयता	१३८८
४९५	लघु उद्योग निगम	१३८९
४९६	अमृतसर में कोयले तथा कच्चे माल की कमी	११८९
अतारांकित		
प्रश्न सख्या		
७२२	आकाशवाणी द्वारा सामान्य चनाव के परिणामों की घोषणा	१३८९-९०

अतारांकित प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
७२३	आकाशवाणी का साहित्य समारोह	१३९०
८२४	उत्तर प्रदेश में पंजीबद्ध बेरोजगार	१३९०
७२५	तिरुनेलवेली में कागज निर्माण उद्योग	१३९०–९१
७२६	ग्राम्य आवास योजना	१३९१
७२७	भारत में विदेशी वैज्ञानिकों को प्रशिक्षण	१३९१
७२८	उत्तर प्रदेश को वित्तीय सहायता	१३९२
७२९	भारत-जर्मन उत्पादन व प्रशिक्षण केन्द्र	१३९२–९३
७३०	भारतीय भाषाओं के अखबारों का विक्रय	१३९३
७३१	पाकिस्तानी राष्ट्रजनों द्वारा डकैतियां	१३९३–९४
७३२	ईंधन तथा भाप की बचत	१३९४
७३३	कुशलता तथा कल्याण संहिता	१३९४
७३४	लोहे और इस्पात के कारखानों में हड़तालें और तालाबन्दी	१३९४–९५
८३५	लोहे और इस्पात के कारखानों में मजदूरों की छंटनी	१३९५
७३६	बर्मा में भारतीयों की जमीनें	१३९५
७३७	भारत में टेलीविजन	१३९६
७३८	चाय उद्योग में बिजली की कमी	१३९६
७३९	शिशिक्षुओं का प्रशिक्षण	१३९६–९७
७४०	चाय बागानों को ऋण	१३९७
७४१	नेफा में सड़क निर्माण	१३९७–९८
७४२	ग्रामीण आवास योजना	१३९८
७४३	नेताजी जांच समिति की रिपोर्ट	१३९८
७४४	चीनी मिलें और खपरेल (टाइल्स) बनाने के कारखाने	१३९९
७४५	केरल में खनिज रेत	१३९९–१४००
७४६	जम्मू तथा कश्मीर में उद्योग	१४००
७४७	मनीपुर में हथकरघे का कपड़ा	१४००–०१
७४८	जामसर (राजस्थान) में गंधक का कारखाना	१४०१
७४९	मद्रास राज्य के रोजगार दफ्तरों में पंजीबद्ध अनुसूचित जातियों के लोग	१४०१
७५०	मद्रास राज्य में पंजीबद्ध बेरोजगार लोग	१४०१–०२

अतारांकित प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
७५१	सिंगरेनी कोलियरीज़ कम्पनी में औद्योगिक विवाद	१४०२
७५२	पाकिस्तान से रूई का आयात	१४०२
७५४	नेफा में खनिज	१४०३
७५५	चीनी मजूरी बोर्ड	१४०३
७५६	आकाशवाणी का जम्मू केन्द्र	१४०३
७५७	दिल्ली के दैनिक तथा साप्ताहिक समाचार पत्र	१४०४
७५८	सरकार द्वारा देवनागरी लिपि में समाचार पत्र निकालना	१४०४
७५९	पूर्वी पाकिस्तान के शरणार्थियों का पुनर्वास	१४०४–०५
७६०	गोआ में पुर्तगाली तथा विदेशी लोग	१४०५
७६१	रांची में आकाशवाणी केन्द्र	१४०५–०६
७६२	जमशेदपुर में प्रसारण केन्द्र का खोला जाना	१४०६
७६३	भारत-नेपाल सीमा पर मुठ-भेड़	१४०६–०७
७६४	मस्जिद मोठ, नई दिल्ली, के समीप भूमि की नीलामी	१४०७
७६५	कार्यक्रम मल्यांकन संगठन के प्रकाशन्	१४०७
७६६	योजना आयोग के प्रकाशन्	१४०८
७६७	राष्ट्रीय भवन निर्माण संगठन के प्रकाशन	१४०८
७६८	तापीय पुनखाप्त रबड़	१४०८–०९
७६९	भारत सरकार के मुद्रणालय	१४०९
७७०	पाकिस्तानी राष्ट्रजनों का भारत में आगमन तथा भारतीय राष्ट्रजनों का पाकिस्तन में जाना	१४०९
७७१	पंजाब में पंजीबद्ध बरोजगार लोग	१४०९–१०
७७२	नेपाली पुलिस द्वारा अपहृत भारतीय राष्ट्रजन	१४१०

अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना १४१०–११

श्री हेम बरुआ ने काश्मीर और चीन के सिंकियांग क्षत्र के बीच सीमांकन के बारे में बातचीत करने को पाकिस्तान और चीन के कथित निर्णय की ओर प्रधान मंत्री का ध्यान दिलाया ।

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्री जवाहर लाल नेहरू) ने इस संबंध में एक वक्तव्य दिया ।

विषय पृष्ठ

सभा पटल पर रखे गये पत्र १४११–१२

(१) रबड़ अधिनियम १९४७ की धारा २५ की उपधारा (३) के अंतर्गत दिनांक ६ जनवरी, १९६२ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० २९ में प्रकाशित रबड़ (दूसरा संशोधन) नियम, १९६१ की एक प्रति ।

(२) नमक उप-कर अधिनियम १९५३ की धारा ६ की उप-धारा (३) के अन्तर्गत दिनांक ३ फरवरी, १९६२ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १३७ में प्रकाशित अनुज्ञप्ति प्राप्त नमक निर्माताओं को ऋण देना (संशोधन) नियम, १९६२ की एक प्रति ।

(३) खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग अधिनिमय, १९५६ की धारा २६ की उप-धारा (४) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति ।

(क) दिनांक २६ अगस्त, १९६१ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर०, १०५३, जिमें खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग (संशोधन) नियम, १९६१ दिये हुऐ हैं ।

(ख) दिनांक १३ जनवरी, १९६२ की अधि सूचना संख्या जी० एस० आर० ५८, जिस में खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग (संशोधन) नियम, १९६२ दिये हुए हैं ।

(ग) दिनांक २४ मार्च, १९६२ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ३५४, जिस में खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग (दूसरा संशोधन) नियम, १९६२ दिये हुए हैं ।

समितियों के लिये निर्वाचन १४१२–१३

(१) निर्माण, आवास और संभरण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पू० शे० नास्कर) ने प्रस्ताव किया कि लोक सभा के सदस्य, राजघाट समाधि समिति के सदस्यों के रूप में काम करने के लिये अपने में से दो सदस्य चुनें । प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

(२) श्रम और रोजगार मंत्रालय में श्रम मंत्री (श्री हाथी) न प्रस्ताव किया कि लोक सभा के सस्दय कर्मचारी राज्य बीमा निगम के सदस्य के रूप में काम करने के लिय अपने में से एक सदस्य चुनें । प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

सामान्य आयव्ययक—सामान्य चर्चा . . . . . १४१३—३८

सामान्य आयव्ययक, १९६२–६३ पर सामान्य चर्चा आरम्भ हुई । चर्चा समाप्त नहीं हुई ।

मंगलवार, ८ मई, १९६२/१८ वैशाख, १८८४ (शक) के लिये कार्यावलि .

सामान्य आयव्ययक, १९६२–६३ पर सामान्य चर्चा ।

GMGIPND—LSIII—6c3(Ai)LSD—5-7-62—150